लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 27, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1964/1 पौष, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
610	वनस्पति में रंग का मिलाया जाना	2377–78
611	चीनी	2378–82
612	"जय जवाहर" जलयान के चालक	2382–83
613	फसल ऋण योजना	2383–86
614	कृषि कार्यों के लिये सीमेंट की कमी	2386–89
615	गोसंवर्द्धन परिषद्	2389–91
616	फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू	2391–93
617	निर्वाचन व्यय	2393–95
618	सड़कों के निर्माण के लिये जोखिम विधियां	2395–96
619	गन्ने के मूल्य	2396–98
620	अनाज प्राप्ति के भाव	2398–99

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या		
10	कलकत्ता पत्तन	2400
11	दहली दुग्ध योजना	2401–02

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या		
621	ग्रामीण ऋणग्रस्तता	2402–03
622	दिल्ली की सहकारी समितियां	2403
623	खाद्यान्नों का आयात	2404
624	अमरीका के मेसर्स हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल के साथ करार	2404

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 27, *Tuesday, December* 22, 1964/*Pausa* 1, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
610.	Colourisation of Vanaspati	2377–78
611.	Sugar	2378–82
612.	'Jai-Jawahar' Crew	2382–83
613.	Crop Loan System	2383–86
614.	Shortage of Cement for Agricultural Purposes	2386–89
615.	Gosamvardhana Council	2389–91
616.	Flue-cured Virginia Tobacco	2391–93
617.	Election Expenses	2393–95
618.	Fund for Construction of Roads	2395–96
619.	Cane Prices	2396–98
620.	Procurement Prices of Foodgrains	2398–99

SHORT NOTICE QUESTIONS—

Nos.		
10.	Calcutta Port	2400
11.	Delhi Milk Scheme	2401–02

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*		
621.	Rural Indebtedness	2402–03
622.	Co-operative Societies of Delhi	2403
623.	Import of Foodgrains	2404
624.	Agreement with M/s Hilton Hotel International of U.S.A.	2404

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
625	कृषि ऋण स्थिरीकरण विधियां	2404-05
626	आसाम के लिये विमान सेवा . . .	2405
627	उर्वरकों का दिया जाना . . .	2405
628	पत्तनों की जलयान सम्बन्धी क्षमता . . .	2406
629	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा . .	2406–07
630	मलमूत्र फार्म	2407–08
631	कृषि आयोग	2408
632	कृषि मूल्य आयोग . . .	2408–09
633	कृषि कार्यक्रम . . .	2409
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1673	भारतीय सहकारिता कांग्रेस	2409
1674	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उद्धार	2409
1675	उड़ीसा में अम्बर चरखों का प्रचार . . .	2410
1676	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	2410
1677	उडिसा में सामाजिक कल्याण विस्तार परियोजनायें .	2410–11
1678	भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन . .	2411–12
1679	कपास का उत्पादन	2412
1680	खाद्य तथा कृषि विभागों में हिन्दी का प्रयोग . .	2413
1681	खाद्य तथा कृषि विभाग में कर्मचारी . . .	2413
1682	खाद्य तथा कृषि विभागों में हिन्दी जानने वाले पदाधिकारी .	2413
1683	दिल्ली-बहादुरगढ़ बस सेवा	2414
1684	भेड़ों के रोगों के लिये टीका . . .	2414
1685	राजधानी में टैक्सी सेवा . . .	2414–15
1686	जिला परिषदें और खण्ड समितियां . . .	2415
1687	आदिवासी लड़कियों के लिये शिक्षा . . .	2416
1688	भारतीय रूई मिल्स संघ का रूई उगाने का प्रदर्शन केन्द्र	2416

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
625.	Agricultural Credit Stabilisation Funds	2404–05
626.	Air Services to Assam	2405
627.	Supply of Fertilizers	2405
628.	Handling Capacity of Harbours	2406
629.	D. T. U. Bus Service	2406–07
630.	Sewage Farming	2407–08
631.	Agricultural Commission	2408
632.	Agricultural Prices Commission	2408–09
633.	Agricultural Programmes	2409
Unstarred Question Nos.		
1673.	Indian Co-operative Congress	2409
1674.	Uplift of S. C. and S. T. in Orissa	2409
1676.	List of S. C. and S. T.	2410
1675.	Propagation of Ambar Charkha in Orissa	2410
1677.	Social Welfare Extension Projects, Orissa	2410–11
1678.	Allotment of Land to the Landless	2411–12
1679.	Production of Cotton	2412
1680.	Use of Hindi in the Departments of Food and Agriculture	2413
1681.	Employees of Departments of Food and Agriculture	2413
1682.	Hindi-knowing Officers in Food and Agriculture Departments	2413
1683.	Delhi-Bahadurgarh Bus Service	2414
1684.	Vaccine for Sheep Diseases	2414
1685.	Taxi Service in the Capital	2414–15
1686.	District Councils and Block Committees	2415
1687.	Tribal Girls Education	2416
1688.	Demonstration Centres set up by I. C. M. A. for Cotton Cultivation	2416

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1689	भारतीय रुई मिल्स संघ	2416--17
1690	दिल्ली में कीमतें तथा सिविल रसद	2417
1691	चीनी मिलों के लिये अर्हता प्राप्त मैनेजर	2417—18
1692	सुगौली-रक्सौल राजपथ	2418
1693	रूस के पशु चिकित्सकों की यात्रा	2418
1694	पाकिस्तान से चावल	2419
1695	उत्तर प्रदेश में आदिम जातियों को सूचियों की पुनरीक्षण	2419
1696	जन शक्ति का उपयोग	2419
1697	पश्चिमी बंगाल में नलकूप	2419—20
1698	सहकारी कृषि समितियां	2420
1699	बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का दो भागों में बांटना	2420
1700	किशोर-न्यायालयों तथा अवैध बच्चों के सम्बन्ध में कानून	2420—21
1701	धान की फसल का उत्पादन	2421
1702	उत्तर प्रदेश के लिये चीनी कोटा	2421
1703	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की शिक्षा प्रगति	2421—22
1704	धान के न्यूनतम मूल्य	2422
1705	राज्यों का चीनी कोटा	2422
1706	हस्तिनापुर में चीनी मिल	2422—23
1707	दिल्ली में बस परमिट	2423
1708	पर्यटन महानिदेशालय	2423
1709	खादी का उत्पादन	2423
1710	सिंचाई क्षमता का उपयोग	2424
1711	भूख शान्त के लिये गुजरात की बूटी	2424
1713	एयर इंडिया द्वारा भारतीय ओलम्पिक टीम की टोकियों को उड़ान	2424—25
1714	होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर पुल	2425
1715	बेबी फूड	2426
1716	इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन	2426
1717	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां	2426
1718	दिल्ली दुग्ध योजना	2427

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1689.	Indian Cotton Mills Association	2416–17
1690.	Prices and Civil Supplies in Delhi .	2417
1691.	Qualified Managers for Sugar Mills .	2417–18
1692.	Sauguli-Raxaul National Highway .	2418
1993.	Visit by Russian Veterinary Scientists .	2418
1694.	Rice from Pakistan .	2419
1695.	Revision of Lists of S. Ts. in U. P.	2419
1696.	Use of Manpower .	2419
1697.	Tube Wells in West Bengal .	2419–20
1698.	Co-operative Farming Societies	2420
1699.	Bifurcation of Multi-Member Constituencies . . .	2420
1700.	Legislation for Juvenile Courts and Illegitimate Children .	2420–21
1701.	Production of Paddy Crop .	2421
1702.	Sugar Quota of U. P. . .	2421
1703.	Educational Advancement of S.Cs. and S.Ts. . .	2421–22
1704.	Minimum of Prices of Paddy .	2422
1705.	Sugar Quota of States . . .	2422
1706.	Sugar Factory of Hastinapur . .	2422–23
1707.	Bus Permits in Delhi . . .	2423
1708.	Director General of Tourism .	2423
1709.	Production of Khadi . .	2423
1710.	Utilisation of Irrigation Potential . .	2424
1711.	Gujarat Herb to curb Hunger . .	2424
1713.	Indian Olympic Team's Flight to Tokyo by Air India	2424–25
1714.	Bridge over the Narmada River near Hoshangabad	2425
1715.	Baby Food . .	2426
1716.	I. A. C.	2426
1717.	Lists of S. Cs. and S. Ts.	2426
1718.	Delhi Milk Scheme . . .	2427

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1719	इन्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के लिये कैरेवेल विमान	2427
1720	चुनाव चिन्ह	2427
1721	दिल्ली के दूध के भाव	2428
1722	कोंकण जहाज सेवायें	2428–29
1723	अमरीका से गेहूं का आयात	2429–30
1724	अमरीका से गेहूं का आयात	2430
1725	राजस्थान में आकाल	2430–31
1726	खाद्य तथा कृषि संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन	2431–32
1727	तूतीकोरिन पत्तन परियोजना	2432
1728	खण्ड विकास पदाधिकारी	2432–33
1729	भारत तथा जर्मनी के बीच कृषि सम्बन्धी करार	2433
1730	मुन्दका गांव के निकट ग्रांड ट्रन्क पर सड़क दुर्घटनायें	2433–34
1731	बाल-अपचारी	2434
1732	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन अंशदान	2435
1732-क	बम्बई बन्दरगाह पर माल उतारने का काम	2435–36
1732-ख	केन्द्रीय विधियों की विधि सम्बन्धी शब्दावली	2436

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गोआ में पंजिम के पास पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार

श्री बालकृष्ण वासनिक — 2436–37

श्री हाथी — 2436–40

सदस्य को सभा की सेवा से निलम्बित किये जाने के बारे में (डा० राम मनोहर लोहिया) — 2440–43

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — 2444–45

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन — 2445

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक के बारे में याचिका — 2445

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में — 2445–46

ईरान में तेल सम्बन्धी रियायतों के बारे में वक्तव्य—

श्री हुमायून कबिर — 2446–48

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1719.	Caravelle for Indian Airlines Corporation .	2427
1720.	Election Symbols . .	2427
1721.	Milk Prices in Delhi . .	2428
1722.	Konkan Steamer Services . .	2428–29
1723.	Import of Wheat from U. S. A.	2429–30
1724.	Import of Wheat from U. S. A. .	2430
1725.	Famine in Rajasthan . .	2430–31
1726.	F. A. O. Regional Conference .	2431–32
1727.	Tuticorin Harbour Project	2432
1728.	Block Development Officers . .	2432–33
1729.	Farm Pact between India and Germany . . .	2433
1730.	Road Accidents on G. T. Road near Village Mundka .	2433–34
1731.	Juvenile Delinquents	2434
1732.	Contribution under Employees Provident Fund Act, 1952 .	2435
1732-A.	Unloading of Goods on Bombay Port . .	2435–36
1732-B.	Legal Terminology of Central Statutes . . .	2436

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Reported firing by Police near Panjim in Goa

Shri Balkrishna Wasnik 2436–37

Shri Hathi 2436–40

RE : SUSPENSION OF MEMBER FROM SERVICE OF THE HOUSE (Dr. Ram Manohar Lohia) 2440–43

PAPERS LAID ON THE TABLE 2444–45

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE—

Eleventh Report 2445

PETITION RE : GOLD (CONTROL) BILL 2445

RE : POINT OF ORDER 2445–46

STATEMENT RE : OIL CONCESSIONS IN IRAN—

Shri Humayun Kabir. . . 2446–48

विषय	पृष्ठ
स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार	
श्री अल्वारेस	2448–49
श्रीमती रेणुका बड़कटकी	2449–50
श्री रा० गि० दुबे	2450–51
श्री प्रभात कार	2451
श्रीमती कमला चौधरी	2451–52
श्री चांडक	2452–53
श्री उ० मू० त्रिवेदी	2453
श्री मुथिया	2453–54
श्री दीनेन भट्टाचार्य	2454–55
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	2455
श्री काशी राम गुप्त	2456
श्री शिव नारायण	2457
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	2457–60
खण्ड 2 से 4 तथा 5	2460–67
चीनी की 'ए' और 'बी' किस्मों के निर्माण पर प्रतिबन्ध के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	
श्री काशी नाथ पांडे	2467–68
श्री विभूति मिश्र	2468
श्री शिवमूर्ति स्वामी	2468
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	2468–70

Subject *Pages*

GOLD (CONTROL) BILL—

Motion to consider, as reported by Joint Committee

Shri Alvares 2448–49

Shrimati Renuka Barkataki 2449–50

Shri R. G. Dubey 2450–51

Shri Prabhat Kar 2451

Shrimati Kamala Chaudhuri 2451–52

Shri Chandak 2452–53

Shri U. M. Trivedi 2453

Shri Muthiah 2453–54

Shri Dinen Bhattacharya 2454–55

Shrimati Tarkeshwari Sinha 2455

Shri Kashi Ram Gupta 2456

Shri Sheo Narain 2457

Shri T. T. Krishnamachari 2457–60

Clauses 2 to 4 and 5 2460–67

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : BAN ON MANUFACTURE OF 'A' AND 'B' VARIETIES OF SUGAR—

Shri K. N. Pande 2467–68

Shri Bibhuti Mishra 2468

Shri Sivamurthi Swamy 2468

Shri C. Subramaniam 2468–70

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1964/1 पौष, 1886 (शक)

Tuesday, December 22, 1964/Pausa 1, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Colourisation of Vanaspati

*610. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri P. C. Borooah :
Shri Tan Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 180 on the 15th September, 1964 and State :

(a) the further progress since made regarding the colourisation of vanaspati; and

(b) the time by which a final decision is likely to be taken in this respect ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रतिवेदन का मसौदा अभी भी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के विचाराधीन है ।

(ख) प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद ।

Shri Prakash Vir Shastri : This question was raised in Parliament not only in last session but in the past ten, fifteen years it is being revised. The hon. Minister always replied that the question was under consideration. I want to know the points in the report which are still being considered and what is the difficulty in colouring the vanaspati and whether government are interested in fact in its colourisation.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह कठिनाई मंत्री महोदय की नहीं है बल्कि कठिनाई यह है कि समिति के सदस्य वनस्पति में मिलाने के लिए कोई ठीक रंग नहीं ढूंढ़ पाये हैं। वे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ऐसा करना सम्भव नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष है कि वे कोई रंग ढूंढ़ निकालना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्हें कठिनाई हो रही है ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Food Minister is in a position to tell the main recommendations contained in the report ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। समिति के विचाराधीन है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सितम्बर में मंत्री महोदय ने सभा में बताया था कि इसमें संदेह है कि विशेषज्ञ कोई निश्चित हल ढूंढ़ निकाले ? यदि हां, तो क्या ऐसी कोई आशा है कि उन्हें वनस्पति में रंग मिलाने में सफलता मिलेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद ही मैं निश्चित उत्तर दे सकता हूं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is it a fact that big manufacturers of vanaspati are exercising undue pressure on the government and therefore vanaspati is not being coloured otherwise, there are so many good colours for its colourisation.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ऐसा नहीं समझता। समिति के सदस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। मैं नहीं समझता कि वे वनस्पति बनाने वालों के दबाव में आ जायेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि यह विषय अब चौथाई शताब्दी से सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो क्या इस विषय में हमारे जीवन काल में अन्तिम निर्णय होने की कोई सम्भावना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इससे मालूम हो जाता है कि यह एक बहुत ही कठिन समस्या है, और इसका हल ढूंढ़ निकलना बहुत कठिन है। वास्तव में अन्य किसी देश में भी इसका कोई हल नहीं मिला है। इसलिये स्पष्ट है कि यह बहुत ही कठिन समस्या है, और यही कारण है कि इस प्रश्न पर इतने दिनों से विचार हो रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि हमारे आदमी इस समस्या को हल करने में असमर्थ हैं तो क्या सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि इस समस्या को हल करने के लिये विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की जाये जोकि हमारी सरकारी नीति के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि हम अन्य देशों से अन्य मामलों में तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके बारे में तकनीकी जानकारी संसार के किसी भी भाग में उपलब्ध नहीं है।

Shri Y. S. Chaudhary : Since we have not been able to find a suitable colour to colourise vanaspati for the past quarter of a century, whether the Government is considering to colourise ghee to avoid its adulteration ? If not, whether the Government is prepared to look into the matter ?

Mr. Speaker : The colour should be of harmless nature.

Shri Prakash Vir Shastri : It is not known how many colours are put in soda water and lemon juice.

Shri Yashpal Singh : Whether the attention of Government has been drawn to it that as long as Dalda and Kotogem is there adulteration cannot be prevented and whether the Government are thinking of establishing separate colonies for the manufacturers of Dalda and Kotogem where they can be sold so that they may not come to the cities ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, इस कार्य के लिये एक अधिनियम है और मेरे विचार से इसी कार्य के लिये हाल ही में संसद ने खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम में संशोधन किया है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कोई ऐसा रंग पाया गया था जो रतनजोत से तैयार किया गया था और यदि हां, तो विशषज्ञों की इस विशेष रंग के बारे में क्या राय थी, जिसके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में समाचार भी प्रकाशित हुआ था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस संबंध में अनेक सुझाव दिये गये हैं परन्तु वनस्पति में रंग मिलाने के लिए उनको ठीक नहीं पाया गया। हम इस संबंध में कोई फार्मूला ढूंढ़ निकालने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

\+

चीनी

*611. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री नारायण दास :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी की मांग, संभरण तथा स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) विभिन्न राज्यों में खुदरा बाजा ों में चीनी के वर्तमान मूल्य क्या हैं, और

(ग) गत 6 महीनों के दौरान चीनी के मूल्यों में यदि कोई वृद्धि है तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) चीनी वर्ष 1963–64 में चीनी कारखानों से लगभग 23.3 लाख मीट्रिक टन चीनी आंतरिक उपभोग के लिये भेजी गयी थी। 30 नवम्बर, 1964 को कारखानों के पास 3.1 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक था।

(ख) और (ग) देश की महत्वपूर्ण मण्डियों में दिसम्बर, 1964 के पहले पखवाड़े में और जुलाई 1964 में औसत किस्म की चीनी के जो खुदरा भाव प्रचलित थे उस के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(रु० प्रति किलो)

बाजार	जुलाई 1964	दिसम्बर 1964 के पहले पखवाड़े में
दिल्ली	1.41	1.39
जालन्धर	1.40	1.37
इन्दौर	1.32	1.31
कानपुर	1.23	1.24
पटना	1.28	1.28
कलकत्ता	1.34	1.34
बम्बई	1.26	1.26
मद्रास	1.22	1.27
बंगलौर	1.22	1.22
हैदराबाद	1.26	1.27
अहमदाबाद	1.31	1.33
गौहाटी	1.34	1.33
भुवनेश्वर	1.30	1.28

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह मालूम होता है कि दिसम्बर, 1964 के पहिले पंद्रह दिनों में किसी भी नगर में मूल्य रु० 1.39 से अधिक नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सब स्थानों पर चीनी 2 रु० से रु० 2.50 तक चोर बाज़ार में मिल रही है और यदि हां, तो केन्द्र या राज्य प्रशासन द्वारा चोर बाज़ारी रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यही कारण है कि अब हम चीनी का वितरण विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, कार्डों द्वारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। परन्तु ऐसे लोग जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन कार्ड से चीनी लेते हैं उसको वे इसे बाज़ार में अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। सरकार जानती है कि नियंत्रित बाज़ार के अतिरिक्त एक खुला बाज़ार भी है और चीनी के वितरण के व्यवस्थित करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिस गन्ने से खण्डसारी और गुड़ बनता था उस गन्ने को चीनी मिलों को दिलाने के लिये भारत सरकार और गन्ना-उत्पादकों के बीच कोई समझौता हो गया है और यदि हां, तो वह क्या है और क्या गन्ने का मूल्य फिर बढ़ाया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। यदि समझौता हुआ है तो वह कल ही हुआ होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : गुड़ का मुल्य बहुत अधिक होने के कारण मिल मालिकों के मुकाबले गुड़ बनाने वाले आसानी से गन्ना खरीद लेते हैं। और गन्ना न मिलने के कारण मिल बन्द हो जाते हैं और चीनी का उत्पादन कम हो जाता है इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को गुड़ के मूल्यों पर नियंत्रण करने में क्या कठिनाई है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारे देश में गुड़ छोटे एकक् बनाते हैं और यह सभी स्थानों पर बनता है। मुझे बताया गया है कि गुड़ की लगभग 100 या 200 किस्में हैं। इसलिए गुड़ के मुल्यों पर नियंत्रण लगाना लगभग असम्भव है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has the attention of Government been drawn to a newspaper report that sugar mills are not getting sugar in adequate quantity as the cane producers are being paid less. Is the Government contemplating to raise the price of sugarcane. If not, what action is being taken by the Government to make up this loss to sugar mills.

Mr. Speaker : Mr. Banerjee has also asked the same question.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक गन्ने के मूल्यों का सम्बन्ध है, हमने पहले ही गन्ने के मूल्य 2 रुपये मन निर्धारित किये हैं और सभी राज्य सरकारों की सिफारिशें भी यही थीं। मूल्य को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है परन्तु यदि लोग गुड़ बनायें और गुड़ ऊंचे मूल्यों पर खरीदें और इसका इस्तेमाल करें तो मुझे कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये।

श्री सोनावणे : गन्ने के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में गन्ने के उत्पादन में कमी होने के कारण सरकार चीनी की वर्तमान कमी को कैसे पूरा करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। इन सभी कठिनाईयों के बावजूद 15 दिसम्बर तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, उत्पादन बढ़ा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार का विचार गन्ना और गुड़ के मूल्यों में उचित समन्वय रखने का है ताकि इन दोंनों में कोई प्रतिस्पर्धा न हो।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सच तो यह है कि गन्ने के मूल्य का न केवल गुड़ के साथ बल्कि अन्य कृषि उत्पादनों के साथ उचित समन्वय करना होगा । गन्ने के भाव 2 रुपये प्रति मन के होने पर भी खाद्यान्न उगाने की तुलना में गन्ना उगाना अधिक लाभप्रद है। यही कारण है कि अब अधिक जमीन में गन्ना उगाया जाने लगा है। इसलिए, इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्योंकि चीनी के चोर बाज़ार में ऊंचे मूल्य है, चीनी बाज़ार में मिलनी कठिन हो रही है और उत्पादन भी कम हो रहा है, चीनी पर से नियंत्रण हटाने में क्या कठिनाई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य को शिकायत नहीं करनी चाहिये। ये तो बढ़ने ही हैं। अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं परन्तु सभी के मूल्य नहीं बढ़ने दिये जा सकते। इस से और कठिनाई उत्पन्न होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विवरण में दिखाये गये मूल्य वास्तविक मूल्यों से बहुत कम हैं। क्या मंडी के मूल्यों तथा लिखित मूल्यों में यह असाधारण अन्तर दिसम्बर के दूसरे पक्ष में ही हुआ है ? यहां दिखाये गये मूल्य दिसम्बर के मूल्य हैं जिनका वास्तविक मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह नियंत्रित मूल्य हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई खुले बाज़ार से खरीदता है तो उसको अधिक मूल्य देने होते हैं। यदि कोई नियंत्रित मूल्य पर खरीदे और चोर बाज़ार में बेच दे तो उसे अधिक मूल्य मिलेगा। वस्तुओं का वितरण नियंत्रित मूल्य पर ही हो रहा है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत चीनी खुले बाज़ार में और कितने प्रतिशत नियंत्रित रूप में बेची जाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारा माल नियंत्रित मूल्य पर बेचा जाता है। 23 लाख टन चीनी वितरित की जाती है और सारी की सारी नियंत्रित मूल्य पर बिकती है। कुछ लोग इसे नियंत्रित मूल्य पर खरीदते हैं और फिर उसे ऊंचे मूल्य पर बेच देते हैं क्योंकि चीनी की मांग अधिक है। ऐसे लोग चीनी अधिक खरीदते हैं जिनको नियंत्रण में मिल रही चीनी से अधिक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक बाज़ार ऐसा बन जाता है जहां नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर चीनी मिल जाती है।

श्री रंगा : हमें इस पर क्या आपत्ति हो सकती है कि यदि वे लोग जो अपने राशन से अधिक चीनी इस्तेमाल करते हैं, उस अधिक चीनी के लिये अधिक मूल्य देते हैं जिसे दूसरे लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। हम इसे चोर बाज़ारी क्यों समझें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चोर बाज़ारी न समझें।

श्री पु० र० पटेल : जब चोर बाजार में चीनी अंचे मूल्यों पर उपलब्ध है तो सरकार क्यों नहीं इस 3 रुपये किलोग्राम बेचती और इस चोर बाजारी को दूर करती ताकी हमें इस बात का संतोष हो कि हम इसे उचित मूल्य पर खरीद रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विवाद का विषय है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether it has come to the notice of the hon. Minister that wholesale and retail traders sell the sugar, which is given for distribution in villages, in the black market and it does not reach the consumers?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह शिकायत है कि उपभोक्ता इसे चोर बाज़ार में बेच देते हैं क्यों कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। शायद थोक या फुटकर व्यापारी स्वयं उन से खरीद लेते हैं।

\+ **"जय जवाहर" जलयान के चालक**

*612. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के बीच चलने वाला "जय जवाहर" जलयान, जो दस वर्ष पहिले बंगाल की खाड़ी में नष्ट हो गया था, के चालकों के निकटतम सम्बन्धियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय करने के बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

जय जवाहर जहाज डिंगी नमूने का माल पोत था। उसकी हार्बर जलयान के रूप में रजिस्टरी हुई थी और पोर्ट ब्लेअर की सीमाओं के अन्दर चलता था। यह कार निकोबार पर सरकारी ट्रेड एजेंट, मैसर्स अकूजी जादवेट एण्ड कम्पनी का जहाज था। बताया गया है कि यह जहाज 3-12-51 को कार-निकोवार से कर्मीदल के 10 आदमियों को लेकर नौन कोरिक को चला। चूंकि वह अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा इसलिये अनुमान लगाया जाता है कि वह आंधी के कारण समुद्र में नष्ट हो गया है। दिसम्बर, 1957 में जय जवाहर के कर्मीदल के निकटतम संबंधियों ने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में बताया, जिन्होंने मालिको के साथ इस विषय में बातचीत शुरू की। बातचीत कुछ लम्बी चली और बेकार रही क्योंकि मालिकों ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि दावे की अवधि बीत चुकी है। जहाज के मालिकों ने यह भी कहा कि जहाज उपहार स्वरूप टिडल को दिया गया था। अतः वे क्षति-पूर्ति के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। यह दलील मान्य नहीं है क्योंकि जहाज का स्वामित्व हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

(2) लकादिव, मिनिकोई और अमिंडिवी द्वीपसमूहों के प्रशासक ने इस संबंध में जहाजरानी के महानिदेशक से परामर्श किया और जहाजरानी महानिदेशक ने उन्हें सूचित किया कि व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जांच अधिकारी से विश्वस्त सूचना मिलने पर जहाज से मौत होने वालों की जांच की जाती है। चूंकि जय जवाहर में मरने वालों की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी इसलिये इस दुर्घटना में कोई जांच नहीं की गयी प्रतीत होती है। फिर भी प्रशासक को सलाह दी गयी कि इस मामले के बाबत वह कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत संबोधित कमिश्नर से कर्मीदल के परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये बातचीत करें। बताया गया है कि जहाज के कर्मी-दल के परिवार वालों ने अक्टूबर, 1962 और मार्च, 1963 में कामगार क्षतिपूर्ति कमिश्नर, पोर्ट ब्लेअर को मालिकों के विरुद्ध आवेदन पत्र दे दिये हैं और मामला अभी न्यायाधीन है।

श्रीमती सावित्री निगम : परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए इतना समय क्यों लिया जा रहा है।

श्री राज बहादुर : यह विवरण में स्पष्ट कर दिया गया है। सच तो यह है कि कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सम्बद्ध लोगों ने यह शिकायत की है कि उनको जो मुआवजा दिया गया है वह उससे बहुत कम है जितना कि उनको मिलना चाहिये।

श्री राज बहादुर : मुआवजे का निर्धारण भी नहीं किया गया और न ही दिया गया है।

Shri M. L. Dwivedi: It has been mentioned in the statement that the members of the affected family have applied for compensation. It has also been mentioned that the matter is *sub-judice*. May I know how long will it be under consideration. Are they being paid any interim relief ?

Shri Raj Bahadur : Hon. Member would have seen in the statement that the accident is said to have taken place in 1951 and a report was made for the first time in 1957 that a small dingy type vessel was lost in the sea. Since then repeated attempts are being made to get them some compensation. They have been advised to apply to the Compensation Commissioner for compensation. Now they have made an application in this regard.

Shri M. L. Dwivedi : I asked about interim relief being paid to them.

Shri Raj Bahadur : The question of interim relief does not arise.

श्री कपूर सिंह : क्या विलम्ब से निर्णय इस संबंध से ही किया गया है या सरकार के लिए यह सामान्य बात हो गयी है ?

श्री राज बहादुर : यदि विवरण पढ़ा जाता तो माननीय सदस्य को पता लगता कि यह एक छोटा डिंगी जहाज था।

श्री कपूर सिंह : विवरण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साधारणतया इस प्रकार काम होता है ?

श्री राज बहादुर : हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है।

फसल ऋण योजना

*613. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त देश में फसल ऋण योजना लागू करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है जहां यह लागू की गई थी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय सहायता देने की पेशकश की गई है ?

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ क्षेत्रों में जहां उत्पादन की आवश्यकताओं को देखे बिना खुले तौर पर ऋण दिए जा रहे थे और जहां फसल ऋण योजना के कारण ऋण की मात्रा में कमी हुई है को छोड़ कर किसानों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

(ग) जी नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Is it possible for the Government to tell the names of the states where crop loan system has been introduced and how much amount has been paid thereof ?

श्री शिन्दे : जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सहकारी ऋण से उत्पादन बढ़ा है ; मैसूर और मद्रास में भी ऋण से अधिकतर उत्पादन बढ़ा है ; मध्य प्रदेश और पंजाब में ऋण अभी भी भू-राजस्व से सम्बन्धित है ; आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और काश्मीर में फसल ऋण व्यवस्था अभी लागू की जानी है ; पश्चिम बंगाल में भी फसल ऋण व्यवस्था सभी क्षेत्र में लागू नहीं हुई है । जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस समय यह बताना कठिन है कि फसल ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have observed that after applications have been received from the farmers, it takes about 6 to 7 months before the loan is sanctioned; whether the Government are making some arrangement to send a co-operative inspector who can see the crop and sanction the loan ?

श्री शिन्दे : मेरे विचार में फसल ऋण मंजूर करने में इतना समय नहीं लगता । देश के अधिकांश भागों में फसल ऋण यथा सम्भव शीघ्र मंजूर कर दिये जाते हैं । जहां कहीं भी ऋण देने की व्यवस्था ठीक नहीं है वहां कुछ विलम्ब होना जरूरी है । साधारणतया जैसे ही ऋण संस्थाओं में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, ऋण की मंजूरी तुरन्त दे दी जाती है ।

Shri Yashpal Singh : It takes at least eight months.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों में जहां ऋण देने की व्यवस्था ठीक नहीं है और किसानों को ऋण मिलने में कठिनाई होती है तो क्या किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष सहायता दी जाती है जिससे उत्पादन में वृद्धि के लिये राज्य ऋण दें ?

श्री शिंदे : मेरे विचार में माननीय सदस्य उस राज्य के हैं जहां ऋण देने की व्यवस्था अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक नहीं है । कुछ पूर्वी राज्यों की ऋण देने की व्यवस्था भी कमजोर है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह व्यवस्था देश के कुछ चुने हुये जिलों में पिछले कई वर्षों से लागू है । क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई उचित निर्धारण किया है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता कहां तक कम हुई है और इन क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है?

श्री शिन्दे : यह एक व्यापक प्रश्न है। रिजर्व बैंक इसका प्रति वर्ष निर्धारण करता है और निर्धारण के उपलब्ध परिणामों से यह पता चलता है कि फसल ऋण व्यवस्था से कृषि उत्पादन में काफी सहायता मिली है विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां फसल ऋण व्यवस्था और ऋण देने की व्यवस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वहां पर कृषि का विकास इसलिये हो रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक वहां की स्थानीय ऋण संस्थाओं और केन्द्रीय बैंकों को ऋण दे देता है।

Shri Bibhuti Mishra : Hon. Minister, just now, mentioned the names of all the States in India but didn't mention Bihar as if Bihar is not in the Indian Union. I want to know that those farmers who are landless and who don't have the means to deposit a security so that they may take loan from a co-operative society because the co-operative bank doesn't advance loan to landless farmers, therefore, whether the Government have made two types of rules one this regard to those farmers who have the means to deposit security and can take loan from the Co-operative bank and the second for those who do not have the means and cannot take the loan. What action Government is contemplating to take in regard to these landless farmers?

श्री शिन्दे : वास्तव में, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख किया था जिसमें बिहार भी शामिल है। जहां तक ऋण की प्रतिभूति का सम्बन्ध है, ऋण सर्वेक्षण समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और उसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि फसल ऋण जमीन को प्रतिभूति के आधार पर नहीं परन्तु फसल की प्रतिभूति के आधार पर ही देना चाहिये। भारत सरकार को वह सिफारिश स्वीकार्य थी। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उनकी नीति इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट है। अब राज्य सरकारों और स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने उप-नियमों में संशोधन कर देना चाहिये जिससे फसल ऋण सुविधापूर्वक दिया जा सके और कृषक को वास्तविक सहायता मिले।

श्री राम सहाय पाण्डेय : फसलों को गिरवी रख कर ऋण देने के अतिरिक्त क्या सरकार ने उन किसानों की कठिनाइयों के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है जिनको बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई ऋण नहीं मिलता ?

श्री शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले बताया रिजर्व बैंक समय समय पर सर्वेक्षण करता है और भारत सरकार भी राज्य सरकारों और मुख्य बैंकों द्वारा निर्धारण करती रहती है, और हमारा यह सदैव प्रयास रहा है कि किसानों को ऋण लेने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह दूर हो जायें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है।

श्री शिन्दे : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : माननीय मंत्री ने जो कुछ बताया है उसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कृषकों को सहायता देने के बारे में सर्वेक्षण श्री वी० एल० मेहता ने किया था। उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि छोटे बैंकों को 2 प्रतिशत और केन्द्रीय बैंकों को 1 प्रतिशत उस राशि पर मिलना चाहिये जो उन्होंने पिछले वर्ष से अधिक ऋण के रूप में दी है। कई कृषक इससे लाभ उठा रहे हैं।

Shri R. S. Yadav : Is the ministry aware that there are two types of farmers—first type are those who have the right to sell their land, and other type are those who cannot sell their land. Those who cannot sell their land are not getting loan ?

श्री शिन्दे : जहां तक उस फसल ऋण व्यवस्था का सम्बन्ध है जो अब चालू है, ऋण भूमि के स्वामित्व के आधार पर नहीं दिया जाता । यह फसल के उत्पादन की प्रत्याशा के आधार पर दिया जाता है ।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. minister has told just now that co-operative rules are different in different states. Are the Government going to make uniform rules for co-operatives in all the States ?

श्री शिन्दे : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारें इन सिफारिशों के अनुसार कार्य करेंगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : ऋण का हिसाब एकड़ों के हिसाब से किया जाता है या उत्पादन के हिसाब से ?

श्रीमती अकम्मा देवी : दैवी कोप के कारण यदि फसलें नही होतीं, तो क्या सरकार कुछ रियायतें देगी और ऋण शोधन की अवधि में विस्तार किया जायगा ?

श्री शिन्दे : यह तो एक सुझाव है । वास्तव में सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से एक योजना तैयार की है ।

Shri Tulsidas Jadhav : The cultivators have to pay instalments of loan for bullocks, engine etc. and they face great difficulty in paying the crop loan every year. Will the government, therefore, make some arrangement to recover the instalments of crop loan in four or five years ?

श्री शिन्दे : कुओं को खोदने के ऋण मध्यकालीन ऋण होते हैं ; और अल्पकालीन नहीं । मध्य-कालीन और दीर्घकालीन ऋणों को देने के लिये काफी समय दिया जाता है ।

कृषि कार्यों के लिये सीमेंट की कमी

*614. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि कार्यों के लिये सीमेंट की कमी का अनुभव किया जा रहा है ;

(ख) क्या सीमेंट की कमी के कारण छोटे अथवा बीच के दर्जे की सिंचाई योजनायें तथा सिंचाई के कुओं का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

देश में आम कमी के कारण कृषि कार्यों के लिये जिनमें लघु सिंचाई योजनायें तथा सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण भी शामिल है, की सप्लाई अपर्याप्त रही है । केन्द्रीय उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को त्रैमासिक आधार पर सीमेंट का इकट्ठा कोटा दे दिया जाता है । सीमित सप्लाई में से कृषकों की सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिये

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को इस दिशा में निम्न प्रकार के कदम उठाने के लिये परामर्श दिया गया है :–

(1) अन्य असैनिक मांगो की तुलना में कृषि कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाये और आवश्यकता पड़े तो अन्य कार्यक्रमों का कोटा कम करके भी कृषि कार्यक्रमों के लिये अधिक सीमेंट उपलब्ध की जाये।

(2) प्रत्येक राज्य में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में कार्य करने वाली राज्य मंत्री परिषद् की उप समिति को चाहिये कि वह अपने राज्य के कोटे में से कृषि कार्यों के लिये (जिन में लघु तथा मध्य सिंचाई तथा कुए आदि भी शामिल हैं) पर्याप्त मात्रा में सीमेंट सुरक्षित रखे।

(3) इस प्रकार का सुरक्षित कोटा उन अधिकारियों के हवाले कर दिया जाये जो छोटी तथा मध्य श्रेणी की सिंचाई योजनाओं के लिये जिम्मेदार हैं तथा उस सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया जाये जोकि कृषकों को कुओं आदि के लिये ऋण देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीमेंन्ट का कोटा वास्तव में उन कार्यों के लिये प्रयोग में लाया गया है जिसके लिये उसका पहले से नियतन किया गया था।

(4) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे लघु सिंचाई, कुओं आदि के लिए सीमेन्ट की मांग को जनरल पब्लिक कोटे से (जिसे कि स्वयं राज्य के कोटे में सबसे कम प्राथमिकता दी दी गई है) अलग कर दें और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारियों और राज्य व्यापार निगम को प्रेषण अनुदेश देते समय उच्च प्राथमिकता दें। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि जिस प्रकार राज्यों में सरकारी विभागों के लिये सीमेंट देने में प्राथमिकता दी जाती है उसी प्रकार कृषि कार्यों के लिये भी सीमेंट वितरण को प्राथमिकता दी जाए।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि सबसे पहले कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिकता निश्चित की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। वास्तव में, कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई है और हमने राज्य सरकारों पर भी जोर दिया है कि जो कोटा उनके लिये नियत किया गया है, उसमें से कृषि को वह प्राथमिकता दें, विशेषतया छोटी सिंचाई योजनाओं की आवश्यकताओं को।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस पर ध्यान रखते हुये कि सहकारी आन्दोलन को, जहां तक उसका कृषि से सम्बन्ध है, कृषि मंत्रालय को सौंप दिया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने उस आन्दोलन का कृषि के लिये प्रयोग किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। मेरे विचार में सहकारी संस्थाओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि सीमेंट के वितरण के लिये पृथक व्यवस्था है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न राज्यों को एक सर्कुलर भेजा गया था जिसमें उनको छोटी सिंचाई योजनाओं को सर्व प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था, क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि सर्कुलर के सुझावों के अनुसार सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसी शिकायत आ रही हैं कि छोटी सिंचाई योजनाओं तथा उनकी आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। परन्तु हम राज्य सरकारों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं कि वह इसको सर्वप्राथमिकता दें और उसके कुछ परिणाम भी निकल रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार राज्य सरकारों को यह राय देने का विचार करती है कि जब भी वह किसानों को कुआं खोदने के लिये या किसी अन्य कार्य के लिये ऋण अथवा धनसंबंधी सहायता दें, तो ऋण का कुछ भाग सीमेंट और अन्य सामग्री के रुप में दे दें जिससे कार्य यथा-संभव शीघ्र समाप्त हो सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस सुझाव का ध्यान रखा जायगा ।

श्री हरिश्चंद्र माथुर : क्या सरकार ने देश में छोटी और बीचकी सिंचाई योजनाओं की कुल आवश्यकताओं का निर्धारण कर लिया है और कहां तक, इस परिपत्र के अनुसार अन्य क्षेत्रों से सीमेंट के कोटे को छोटी सिंचाई योजनाओं को दे दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निर्धारण कर लिया गया है । वास्तव में राज्य सरकारें हर तीन महीनों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये सीमेंट को आवश्यकताओं का निर्धारण करती हैं । मैं ठीक आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि यह आंकड़े अलग अलग राज्यों के लिये अलग अलग हैं । यह प्रत्येक राज्य के, उस अवधि में छोटे सिंचाई कार्यक्रमों पर आधारित हैं । परन्तु मेरे विचार से राज्य सरकारों को सामान्य कामों के लिये जो कोटा मिलता है वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । वहां पर कठिनाई यह है कि राज्य सरकारें छोटी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीमेंट नहीं दे सकीं । अत: वह एक काम से दूसरे काम में वह धन नहीं लगा रही है । अब हम यह करना चाहते हैं कि सबसे पहले छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन देती है और शेष इसके पश्चात सर्वसाधारण को अन्य कामों के लिये दिया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आपके सर्कूलरों के फलस्वरूप छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए कितना कोटा बढ़ाया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट दिया जा रहा है । परन्तु फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि सभी आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं ।

Shri Kashi Ram Gupta: Are the Government aware that the cement is provided in such a haphazard way that either the wells are not completed and they have to suffer the loss or they have to purchase the cement from the blackmarket; if so, whether the Government have under consideration a scheme by which they can meet the entire need of the farmers ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इसका उचित रुप से इस्तेमाल करेंगी । अत्यंत सावधानी के उपरांत भी अन्य कामों के लिये दिया जा सकता है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether Government are preparing a scheme to distribute cement in the villages through development officers?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह विषय ऐसा है जिससे राज्य सरकारें सम्बन्धीत हैं । हम राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि किसानों की आवश्यकताओं को, विशेषतया छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के लिए सर्व प्राथमिकता दी जाय । यह वितरण व्यवस्था का प्रश्न नहीं है; यह इसको सर्वप्राथमिकता देने का प्रश्न है ।

Shri R. S. Tiwary : Hon. Minister has left the matters concerning cement to the State Governments. In the same way the State Governments are held responsible for the agricultural production. I want to know whether the Central Government is not responsible for all production.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी पर हैं। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि कृषि उत्पादन राज्य का विषय है और हमें राज्यों के द्वारा कार्य करना पड़ता है। हम राज्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

Gosamvardhana Council

*615. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount given by Government to the Gosamvardhana Council so far by way of assistance;

(b) the purpose for which the said amount was given by Government ;

(c) whether Government have conducted any enquiry to ascertain that the said amount had been properly spent on the purpose or purposes or which it was intended; and

(d) if so, with what result ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1952–53 से 30-11-64 तक केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् को कुल 45.75 लाख रुपयों का सहायक अनुदान दिया गया। इस अवधि में परिषद् ने वास्तव में 42.80 लाख रुपये खर्च किये और शेष राशि सरकार को वापिस कर दी।

(ख) ये अनुदान परिषद् के कार्यालय के सामान्य खर्च और परिषद् द्वारा पशु विकास के कार्य को उन्नत करने के लिये किये गये विभिन्न उपायों और उनपर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिये दिये गये थे। कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गये हैं :–

1. गोसंवर्द्धन समारोहों का आयोजन।
2. प्राकृतिक विपत्तियों के दौरान पशु-मालिकों के लिये आर्थिक सहायता।
3. शुष्क गायों को शहरों से बाहर ले जाना।
4. गोसंवर्द्धन सप्ताह मनाना।
5. दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताओं की व्यवस्था।
6. गोशाला प्रबन्धकों को प्रशिक्षण।
7. दो गोसदनों को चलाना।
8. गोसंवर्द्धन पत्रिकाओं का प्रकाशन।
9. पशु पकड़ने के दलों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना, आवारा और जंगली पशुओं को पकड़ने में और इस योजना के अन्तर्गत जो पशु पकड़े जाते हैं उनको बिकवाने में स्थानीय निकायों को सहायता देना।
10. प्रदर्शनी यूनिटें।

(ग) और (घ) केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् के हिसाब किताब का प्रति वर्ष भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण किया जाता है। परीषद् के जांच हुए हिसाब-किताब प्रति वर्ष सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं और भारत के गज़ट में प्रकाशित किये जाते हैं। इस बात के प्रमाण में कि परिषद् को दिये हुए अनुदान ठीक तरह से और उन्हीं कार्यों के लिए काम में लाये गये हैं जिनके लिए कि वे दिये गये थे, प्रति वर्ष लेखा परीक्षक को एक 'उपयोग प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत किया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the Government received this information that the amount given by them is being misused; if so, how many such cases are there ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the names of the Members of the Council and is it not a bungling organisation like Bharat Sewak Samaj.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। यह एक अलग संगठन है। श्री यू० एन० ढेबर इस संस्था के अध्यक्ष हैं और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी इस में हैं और संसद सदस्य भी इस संस्था के सदस्य हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : 'Go-Palan' is being done through individual efforts and by different associations. Whether the Government are helping them through Gosamvardhana Council.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह निर्णय करना तो गोसंवर्द्धन परिषद् का काम है कि किस को सहायता देनी है। सरकार नीति निर्धारित करती है और इस के अनुसार परिषद् फैसला करती है कि किस को सहायता देनी चाहिये।

Shri Achal Singh : May I know the amount of grant given to the gosamvardhan council by the Government ?

श्री दा० रा० चव्हाण : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने गैर-सरकारी निकायों को लोक कार्य के लिये सरकारी निधि देने की पद्धति की पूर्णरूप से जांच की है और क्या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है और यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारी चर्चा केवल गोसंवर्द्धन के बारे में है और न कि सभी गैर सरकारी निकायों के बारे में।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the amount given for gosamvardhan this year and whether this amount has been spent?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। परिषद् द्वारा व्यय की गई राशि विवरण में दिखाई गई है। शेष सरकार को लौटा दी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि गोसंवर्द्धन परिषद् अथवा केन्द्रीय और राज्य कृषि मंत्रालय ऐसे ढोरों जिनके कोई मालिक नहीं है की समस्या को कैसे हल करना चाहते हैं और क्या इस बारे में कोई योजना बनायी गई है और इस को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न धन के बारे में है और यह जानकारी ऐसे ढोरों के सम्बन्ध में है जिनका कोई मालिक नहीं है ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार द्वारा इस परिषद अथवा इस की ब्रांचों द्वारा किये गये कार्य की समय समय पर जांच की जाती है और यदि हां तो अन्तिम बार जांच कब की गई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वे प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। हम इस को पढ़ कर परिषद द्वारा किये गये कार्य का पता लगा लेते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू

*616. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के बाजारों में निर्यात न होने के कारण 1963–64 की फसल के विभिन्न श्रेणियों के बचे हुए फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की कितनी मात्रा व्यापारियों तथा उत्पादकों के पास पड़ी हुई है ;

(ख) उस तम्बाकू को खराब होने से बचाने तथा उसके निर्यात के लिये विदेशों में बाजार खोजने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा०चव्हाण) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्पादकों के पास 1963–64 की फसल के फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का कोई स्टाक नहीं है लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि व्यापारियों के पास यह तम्बाकू 115 लाख किलोग्राम है ।

(ख) भारत सरकार ने तम्बाकू के पड़े हुए स्टाक की बिक्री की जांच-पड़ताल के लिये तीन प्रतिनिधि मण्डल, एक पश्चिमी यूरोपीय देशों को जिसमें यूनाईटिड किंगडम भी शामिल है, दूसरा सोवियत समाजवाद गणतन्त्र संघ तथा पूर्वीय यूरोपीय देशों को और तीसरा अफ्रीकी देशों को भेजा । तम्बाकू निर्यात प्रवर्तन परिषद ने भी इसी कार्य के लिए जापान को एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजा ।

(ग) उक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग 2,000 टन फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए सोवियत समाजवाद गणतन्त्र संघ से आर्डर मिला है। जापान ने भी चालू वर्ष में इस तम्बाकू की बढ़िया किस्मों को बड़ी मात्रा में खरीदा है। वे और अधिक मात्रा में खरीदें इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। आयात करने वाले कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने स्टाक का निरीक्षण करने और आवश्यकतानुसार इस तम्बाकू को खरीदने के लिए भारत आने का वायदा किया है ।

श्री कोल्ला वेंकैया : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं और व्यापारियों के पास बढ़िया किस्म का तम्बाकू अत्याधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है और बाजार में जो नयी फसल आ रही है इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राज्य व्यापार निगम द्वारा इसे अधिक मात्रा में खरीदेगी और तम्बाकू का निर्यात करने में व्यापारियों की सहायता करेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरे विचार से राज्य व्यापार निगम माल स्टाक करने वाला अभिकरण नहीं है। हम केवल निर्याति की अनुमति दे सकते हैं और इस हद तक निगम का इस से सम्बन्ध हो सकता है। यदि देश से बाहर इस की मांग नहीं है तो हमें उतनी ही उत्पादन करना होगा जितनी हम विदेशों में विक्रय कर सकते हैं।

श्री कोल्ला वैंकेय्या : प्रत्येक वर्ष किसान को अपना माल बेचना होता है और यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और भाव नीचे गिर जाते हैं। सरकार ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। क्या भारत सरकार का कृषि मंत्रालय उगाई जाने वाली किस्मों का मूल्य निर्धारित करेगी और राज्य व्यापार निगम द्वारा इस फसल को खरीदेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस भूमि को खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाये।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तम्बाकू का अत्याधिक स्टाक इकट्ठा हो गया है, क्या इस विभाग ने इस के लिये अन्यत्र उचित मण्डी खोजने के लिये राज्य व्यापार निगम की सहायता मांगी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। हम विदेशों में मण्डियों को खोजने के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु उन मण्डियों की संख्या सीमित है और तम्बाकू का प्रयोग भी अब कम होता जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, समाचारों के अनुसार तम्बाकू पीने से कैंसर का रोग हो जाता है और इसलिये इस का प्रयोग कम हो रहा है। हम दूसरे देशों में तम्बाकू जबरदस्ती नहीं बेच सकते।

Shri Yashpal Singh : The best land of India is being used for cultivation of tobacco whereas third class land is being used for the production of wheat. On the one hand huge stocks of tobacco are lying unused and on the other wheat is not available. Why do the Government not divert these lands for wheat production?

Mr. Speaker : This is what they want; he has already said that he agrees with you.

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है, सरकार ने सिगरेटों और बीड़ियों की बजाये हुक्का तम्बाकू को उत्पादन बढ़ाने के लिये क्यों कुछ नहीं किया है? उन्होंने न केवल मंत्रालय में ही परन्तु समस्त देश में हुक्का तम्बाकू के प्रयोग को बढ़ावा क्यों नहीं दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु हुक्के का तो निर्यात नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा : तम्बाकू उगाने के लिये प्रयोग में लाने वाली भूमि खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जा सकती.....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं।

श्री रंगा : गत 80–90 वर्ष से इस को खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग में नहीं लाया गया। लाल मिर्चें और कुछ अन्य फसलें वहां पर उगाई जाया करती थीं। क्या भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने सम्बन्धित राज्य सरकारों अर्थात् गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की सरकारों से कहा है कि वे किसानों को संरक्षण देने के लिये उन के तम्बाकू के स्टाक को भांडागार में ले लें, उनको गारंटी देवें और बैंकों को इन की गारण्टी पर उधार देने के लिये कहें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। इस भूमि को खाद्य उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि इस से किसानों को अधिक आय होती थी, इसलिये वे उसका प्रयोग तम्बाकू उगाने के लिये करते रहे हैं। इसमें कोई सन्देह

नहीं कि माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के हैं और इसलिये उनका हित इसी में है कि वहां के किसानों की अधिक आय हो। परन्तु सरकार इस तम्बाकू को पहले खरीद कर बाद में इसका विक्रय करने के लिये, स्टाक नहीं कर सकती। हम तो केवल यह चाहते हैं कि अनाज का उत्पादन बढ़े, हम अनाज खरीदें और उसका वितरण करें।

श्री रंगा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : स्टाक करने के पश्चात् वे क्या करें ? यदि यह निर्यात के लिये है तो उन्होंने बताया है कि बाजार भाव गिर रहे हैं।

श्री रंगा : ऐसे मंत्री को रखने का क्या प्रयोजन है जिस को सही स्थिति का पता नहीं है और जो सभा को गलत जानकारी देता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उनकी नियुक्ति करता हूं ?

श्री रंगा : श्रीमन्, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि बातचीत हो रही है और इस के लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं। वह चाहते थे कि इस भांडागार अधिनियम का तम्बाकू पर भी लागू किया जाये जिस से इसको भांडागारों में रखने, गारंटी देने और उन पर बैंकों से उधार लेने में किसानों की सहायता की जा सके।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ने हाल ही में अधिनियम में संशोधन किया है और तम्बाकू को भी इस के अन्तर्गत ले आये हैं। परन्तु यहां वह प्रश्न नहीं है। क्या हमें तम्बाकू को, जिस के लिये मंडी नहीं है, उगाने के लिये बढ़ावा देना चाहिये अथवा हमें इस भूमि का प्रयोग किसी अन्य अधिक उपयोगी वस्तु उगाने के लिये करना चाहिये। यह एक प्रश्न है जिस पर विचार करना है। मैं यह बता दूं कि गुन्टूर में भी खाद्यान्नों को उगाना सम्भव है।

श्री पु० ल० पटेल : जब देश में फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा तम्बाकू की अन्य किस्में इकट्ठी हो गई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार विदेशों से तम्बाकू का आयात क्यों कर रही है और यदि हां, तो गत दो वर्षों में तम्बाकू की कितनी मात्रा आयात की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मेरा आयात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य निर्यात से आयात में चले गये हैं।

Shri Kapur Singh : If tobacco is harmful for health, why is it not prohibited at all and why its trading is being encouraged ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे यकीन है कि मेरे माननीय मित्र के नेता भी यह कहेंगे कि उनको भी इस के बारे में मालूम नहीं है।

निर्वाचन व्यय

*617. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने निर्वाचन व्यय की वर्तमान संविहित सीमा को घटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नही उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री पार्किनसन की उस सही उक्ति को ध्यान में रखते हुए कि व्यय व्यक्ति की आय के अनुसार बढ़ जाता है, क्या मैं जान सकता हूं कि ०१ पार गृहों द्वारा देश में विभिन्न राजनैतिक दलों की निर्वाचन निधि के लिये दिया गया अंशदान से निर्वाचन व्यय कहां तक बढ़ा है ?

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन आयोग के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यदि भविष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी सिफारिश की जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं होगा.....

श्री जगन्नाथ राव : यह काल्पनिक है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पहले ही दे दिया गया है कि यह काल्पनिक है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार को पता है कि इन निर्वाचनों में निर्धारित सीमा से व्यय हमेशा 4 अथवा 5 गुना बढ़ जाता है । और यदि हां, तो सरकार इस बारे में वास्तविक दृष्टिकोण कैसे लेना चाहती है और अपेक्षित, कार्यवाही कैसे करना चाहती है ?

श्री जगन्नाथ राव : सरकार को इसकी जानकारी है कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिये तो निर्वाचन आयोग ने गत सितम्बर मास में संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी थी और उससे अपने सुझाव देने के लिये कहा था। उन नेताओं ने, जो बैठक में आये थे, कहा था कि वे नवम्बर में अपने सुझाव देंगे, उन में से कुछ ने तो सुझाव दे दिये हैं और कुछ ने अभी नहीं दिये हैं। मुझे पता लगा है कि एक संहिता बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से किसी समय जनवरी अथवा फरवरी में एक बैठक बुलायी है।

श्री जयपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री कभी कभी प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं (क) जी, नहीं। और (ख) 'प्रश्न नहीं उठता'। मैं सुझाव देता हूं कि आप ऐसा निर्णय दें कि प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिये कि सरकार ने इसको समाप्त न करने का निर्णय किया है और इस को समाप्त न करने के ये कारण हैं।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उत्तर इसी प्रकार दिए जाते हैं।

श्री गौरी शंकर कक्कर : क्योंकि यह एक निश्चित बात है कि व्यय, सीमा से हमेशा अधिक होता जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अधिकतम सीमा के बारे में निर्वाचन विवरणों की, जो कि अब तक प्रस्तुत किये गये हैं, जांच निर्वाचन आयोग द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकार द्वारा की गई है अथवा की जाने वाली है और यदि ऐसी जांच की गई है तो क्या निर्वाचन विवरण झूठे पेश करने के बारे में किसी पर अभियोग चलाया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : यदि व्यय अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है तो यह भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आता है और इसमें निर्वाचन को रद्द कर दिया जाता है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार को ऐसा सुझाव मिला है कि निर्वाचन विवरण पेश करने की पद्धति को समाप्त कर दिया जाये ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या ऐसा कोई तरीका है जिस से यह देखा जा सके कि सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर पहले दे दिया गया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : जब सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यह देख सके कि व्यय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक तो नहीं हो रहा है, तो इस सीमा को रखने का क्या प्रयोजन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विवाद का विषय है ।

Shri Madhu Limaye : Is the limit of election expenses being abolished because of the fact that a Congress ticket was auctioned in the Munger bye-election for Lok Sabha and the law in respect of the limit of the expenses has already been violated?

Mr. Speaker : He says that it is not being done.

श्री नाथ पाई : क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि परिस्थितियों के दबाव के कारण विधायक संविधान की मर्यादा को बनाये रखने की शपथ लेने से पूर्व ही व्यय सम्बन्धी कानून का उल्लंघन करते हैं । इस को वे मौखिक रूप से भले ही न मानें परन्तु व्यवहार में ऐसा होता है, क्या सरकार 'मोबाइल बूथों' की व्यवस्था करने जैसे ठोस प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए विचार कर रही है जिससे हम कानून के अनुसार चलें और इस प्रकार अधिक खर्च न करें ।

श्री जगन्नाथ राव : वर्तमान कानून के अनुसार अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के पश्चात 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय सम्बन्धी विवरण दायर करने होते हैं और कोई भी व्यक्ति लेखों का निरीक्षण निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में कर सकता है और देख सकता है कि वह ठीक हैं अथवा नहीं ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, उन्होंने मेरे प्रश्न को नहीं समझा । मैंने पूछा था कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई प्रस्ताव है . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या एक मोबाइल बूथ की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव थे ।

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने पहले बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे । अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक पुनः बुलाने जा रहा है ।

सड़कों के निर्माण के लिय जोखिम निधियां

*618. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 42 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ताकि यदि नये तरीकों के अनुसार बनाई गई सड़कों के बेकार हो जाने के परिणामस्वरूप हानियां हों, तो उनको पूरा किया जा सके अथवा यदि नये तरीकों के अपनाने में अतिरिक्त खर्च आये, तो उसको पूरा किया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो इस निधि में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा वह किस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये काम में लाई गई है ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक निधि से कोई राशि उपयोग में नहीं लाई गयी है क्योंकि नये तकनिक के असफल होने के फलस्वरूप अभी तक किसी भी घाटे को, या परंपरागत तकनिक के स्थान पर नई तकनिक लगाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की आवश्यकता नहीं हुई है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : परंपरागत तकनिकी के स्थान पर नई तकनिकी लगाने पर कितना व्यय होगा ?

श्री राज बहादुर : यह भिन्न भिन्न तकनिकों पर निर्भर करेगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस योजना को राज्य सरकारों के पास क्रियान्वित करने के लिये भेजा गया है ?

श्री राज बहादुर : जी हां । सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई है और इन तकनिकों को, राज्यों में प्रयोग करने के लिये, कुछ राज्यों में भेजा है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस धन को व्यय करने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? क्या यह वर्तमान कानून के अधीन है अथवा कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : सड़कों के निर्माण पर लागत को कम करने, निर्माण की गति में तेज़ी लाने और अन्य वांछनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिये, हम नई तकनिकों और नये ढंगों को उत्साहित करना चाहते हैं । इस विशिष्ट संदर्भ में, मैं यह और बता दूं कि तीसरी योजना में 75 लाख रुपये नियत किये गये थे और उन में से 42 लाख रुपये सुरक्षित अथवा नई तकनिकों को अपनाने से होनें वाली हानि को, यदि हो, पूरा करने के लिये निर्धारित हैं जिस से प्रचलित लागत और नई लागत के अन्तर को पूरा किया जा सके ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या यह प्रयोग राष्ट्रीय राजपथों अथवा केवल नगरीय सड़कों पर किये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : ये प्रयोग अधिकतर अन्य सड़कों पर किये जायेंगे क्योंकि हम ज़मीन को सक्त बनाना चाहते हैं और इसी के लिये मुख्यत: प्रयोग करते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि नयी तकनिक से संघ राज्य क्षेत्रों में कितने मील सड़कें बनाई गई हैं ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं । हम ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सड़के बनाई हैं ।

गन्ने के मूल्य

*619. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब गन्ना देने के मामले में चीनी कारखानों तथा खण्डसारी तैयार करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो उस समय खण्डसारी तैयार करनें वाले कृषकों को सरकार द्वारा निश्चित् किये गये न्यूनतम मुल्य से अधिक मूल्य देते हैं परन्तु जब गन्ना कम मिलने के कारण कारखाने बन्द हो जाते हैं, तो उस समय खण्डसारी तैयार करने वाले कृषकों को न्यूनतम मूल्य से बहुत कम मूल्य देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिये क्या उपाय किये हैं कि कृषकों को उस गन्ने के लिये, जो वे चीनी कारखानों को देते हैं, सरकार द्वारा निश्चित् किया गया न्यूनतम मूल्य अवश्य मिलें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) खंडसारी निर्माताओं द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने की कीमतों पर कोई नियन्त्रण नहीं है और गन्ने की दी जाने वाली कीमत विभिन्न वर्षों में तथा एक ही वर्ष में भिन्न भिन्न वक्तों पर मांग और सम्भरण की स्थिति पर निर्भर करती है। गन्ने की कमी और खंडसारी की ऊंची कीमतों के वक्तों में खंडसारी-निर्माता गन्ने की ऊंची कीमत देते हैं और इससे विपरीत स्थिति में उलटा करते हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : वह तथ्य बता रहे हैं। मैंने यह प्रश्न यह जानने के लिये पूछा है कि उन्हों ने यह देखने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि खण्डसारी के लिये गन्ना उपलब्ध करने पर किसानों को कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिले ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : किसी समय भी मूल्य सरकार द्वारा खण्डसारी बनाने के लिए निर्धारित मूल्य से कम नहीं गिरे हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या आपने इस संबंध में कभी कोई जांच की है, क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि उनको मूल्य निम्न मूल्य से बहुत कम दिये जाते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे इसका पता नहीं है।

श्री सोनावणे : क्या महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि उनको कम मूल्य मिलता है जब कि उनके गन्ने में देश के अन्य भागों के गन्ने की अपेक्षा (सुक्रोज़) की अधिक मात्रा होती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री रंगा : यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है कि गुड़ और खंडसारी के निर्माता भी गन्ना उगाने वालों को निम्नतम मूल्य दें ? क्या राज्य अथवा केन्द्र के स्तर पर उनकी कोई एजेंसी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब तक यह शिकायत रही है कि खंडसारी निर्माता बहुत ऊंचे मूल्य देते हैं और इसलिये गन्ना, चीनी की बजाये खंडसारी बनाने में काम में ले लिया जाता है। इस लिये गत दो वर्षों में सरकार की जानकारी में ऐसा एक भी मामला नहीं आया है जब कि गन्ना उत्पादकों को निर्धारित निम्नतम मूल्य से कम मूल्य दिया गया हो।

Shri Brij Raj Singh : Is the Minister aware that Khandsari manufacturers do not purchase sugar cane straight way but they purchase juice (Ras) ? Keeping this in view have Government considered to fix the prices of sugarcane juice, so that they may tally with that of sugar cane ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम केवल एक ही पाइन्ट पर मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। यदि हम एक पाइन्ट पर मूल्य निर्धारित करते हैं तो हमें उत्पादन के सभी पाइन्टों पर मूल्य निर्धारित करने पड़ेंगे। जहां तक खंडसारी और गुड़ उद्योगों का संबंध है उन पर बिलकुल कोई नियंत्रण नहीं है, और वे लघु उद्योग क्षेत्र में आती है और उन पर नियंत्रण रखने की कोई संभावना नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह : इस पर नियंत्रण नहीं है अथवा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : नियंत्रण नहीं है।

श्री बिभूति मिश्र : क्या यह सच है कि खंडसारी निर्माता गन्ना लेते समय उसे तोलते समय में अधिक तोल लेते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसके बारे में नहीं जानता।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (क) से यह प्रतीत होता है कि श्री पांडे ने प्रश्न में जो भी कुछ पूछा है उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या सरकार ने अपने विभाग, गन्ना निरीक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों को कोई हिदायतें जारी की हैं कि यदि खंडसारी उद्योग द्वारा काष्तकारों को 2 रु० प्रति मन के निम्नतम मूल्य, अथवा जो भी हैं, उससे कम मूल्य दिया जाता है तो वे उसके विरुद्ध अपील कर सकते है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निम्नतम मूल्य केवल चीनी उद्योग के लिये ही हैं। गन्ने के अन्य खरीदारों अथवा इस्तेमाल करने वालों के लिये कोई निम्नतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। कारखानों में चीनी उत्पादन होता है और इसलिये कारखानों में इस मूल्य को लागू करना संभव है किन्तु अन्य स्थानों पर इसको लागू करना संभव नहीं होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : Just now the Minister said that it is the State Government who take decisions regarding the prices of sugar cane. Are the 8 Sugar mills going to be closed as a result of this decision ? What is the opinion of the Central Government in this regard?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। जहां तक निम्नतम मूल्य का संबंध है यह केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निश्चित किये जाते है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य दे सकता है।

Shri Kamal Nayan Bajaj : Does the Minister aware that in western U.P. no agreement has been reached between the cane growers and the factory owners regarding the price of sugar cane as a result of which the factories have been closed, labour is put to a great difficulty, the sugar will not be produced there and it is feared that the cane may not remain standing in the field?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस व्यक्तिगत मामले को नहीं जानता। यदि इसे मेरी जानकारी में लाया गया तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है।

+ **अनाज प्राप्ति के भाव**

*620. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री शिवाजीराव श० देशमुख :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सामग्री के उत्पादकों के लिये घोषित मूल्यों के कारण बाजारों में कम अनाज आ रहा है ;

(ख) उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अनाज प्राप्ति के भाव बढ़ाये जाने चाहियें ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नही।

(ख) और (ग) : ऐसे कोई प्राप्ति भाव नहीं हैं। राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के विभिन्न केन्द्रों के लिये चावल के अधिकतम सांविधिक भाव निर्धारित किये हैं। इन भावों को दृष्टि में रख कर चावल की खरीदारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किस्म के चावलों के अधिकतम भावों में वृद्धि करने की प्रार्थना की थी जोकि मान ली गयी है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that Government have failed in the purchase of foodgrains because the producers opposed it vehemently?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस समय गन्ना केवल बचत वाले राज्यों में ही किया जाता है ; जहां तक उसका संबंध है यह काम योजना के अनुसार चल रहा है । अब तक कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is this not sufficient evidence that Maharashtra Government has failed to procure millet ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न तो महाराष्ट्र सरकार से करना चाहिये ।

Shri Tulsidas Jadhav : The price given for the foodgrains at present is very low and that is why foodgrains are not coming in the market. Not only that, foodgrains are sold in black market as they fetch higher prices in the border districts. May I know the measure contemplated by Government in this regard?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वर्तमान मूल्यों और गत तीन वर्षों में फसल के शीघ्र पश्चात उत्पादकों को जो मूल्य मिलते रहे थें हम उन पर विचार करते हैं और उसके आधार पर निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाता है । जहां तक मैं समझता हूं बचत वाले राज्यों में इस मूल्य को बिलकुल उचित समझा गया है और सरकार पर्याप्त मात्रा में स्टाक बना सकती हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : कौन कौन सी एजेंसियां है जो खाद्यान्न इकट्ठा करती हैं ? यह काम क्या केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों कर रही हैं अथवा केवल केन्द्र कर रहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ राज्यों में केन्द्रीय एजेंसियां कर रही हैं; अन्य कुछ राज्यों में राज्य की एजेंसियां कर रही हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : सरकार ने अनाज के क्या भाव निश्चित किये हैं ? कुछ राज्यों ने मूल्य निश्चित किये हैं, परन्तु किसानों को डराया गया है कि वे 3 अथवा 5 रुपये जो निश्चित मूल्य दर दे उससे कम पर अपना माल बेचें अन्यथा उनसे अनाज नहीं खरीदा जायेगा । क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है और क्या उसने किसानों के इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह शिकायत अभी तक मुझसे नहीं की गई है ।

श्री प्रिय गुप्त : जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, और बिहार में भी.....

अध्यक्ष महोदय : जब वह खड़े हुए तो तालियां बजाई गई थीं । अब उन्हें बैठ जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : वह तीन मास के बाद पहली बार आये हैं । उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया था । संसद सदस्यों का ऐसा बुरा हाल होता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें केवल अपनी उपस्थिति महसूस कराना है और कुछ नहीं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कलकता पत्तन

+

10. **श्री प० चं० बर्मन :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बासप्पा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि समुद्री जहाज सेवाओं में विलम्ब के कारण कलकत्ता पत्तन को समुद्री जहाज कम्पनियां विलम्बकारी पत्तन कहने लगी हैं और जहाज मालिक कलकत्ता पत्तन में जहाज भेजने से कतरा रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार में रुकावट होने के अतिरिक्त पत्तन न्यास को बहुत हानि हो रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह सच है कि पिछले चार महीनों में जहाजों के आने-जाने में विलम्ब हुआ है और उन्हें सहायक हार्बर मास्टरों द्वारा अपनाये गये तरीकों के कारण विभिन्न अवधियों तक रुका रहना पड़ा ।सितम्बर के शुरू में जब मैं कलकत्ता में था तो विभिन्न विषयों के बाबत समझौता हो गया था। उसकी मुख्य शर्तें यह थीं कि अधिकारी विलम्बकारी तरीकों को छोड़ देंगे और तुरन्त सामान्यत: और पत्तन पर पहले से प्रचलित जहाजों के आवागमन की प्रथा के अनुसार काम करना आरंभ कर देंगे। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उन्होंने यह शर्तें अब तक पूरी नहीं की हैं। अत: सरकार ने कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के अध्यक्ष को परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करने तथा कार्य के सामान्य तरीकों को सुनिश्चित रुप से पुन: अपनाने के लिये समुचित कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि संबंधित अधिकारी अभी भी बुद्धि से काम लेंगे।

श्री प० चं० बर्मन : क्या सरकार को जहाज मालिकों से समुद्रीय सेवाओं में देरी के सबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री राज बहादुर : यह सच है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्योंकि आजकल कलकत्ता पत्तन में आदेशों की अवहेलना करना एक आम बात है, क्या सरकार ने लोगों के इस प्रकार काम करने के कारणों का पता लगाया है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है अथवा की है ?

श्री राज बहादुर : मुख्य कारण हुगली पायलटों और सहायक पत्तन मास्टरों में सेवा की प्रतिस्पर्धा थी। हुगली पायलट जहाजों को सैंड हैंड्स से गार्डन रीच तक ले जाते हैं और सहायक पत्तन मास्टर गार्डन रीच से पत्तन तक। हाल ही में समुद्रीय सेवाओं का पुनर्गठन किया गया था और इसमें से विवाद के कुछ प्रश्न उठ खड़े हुए थे जिन्हें मित्रतापूर्वक निपटा दिया गया था और आश्वासन दे दिया गया था। फिर भी देर करने की ये चालें हैं, और हमने सभापति से कहा है कि इन को देखें और आवश्यक कदम उठायें।

श्रीमती सावित्री निगम : यह देखते हुए कि शांति पूर्वक काम के लिये अब तक जो सभी प्रयत्न किये गये हैं उनसे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला है, सरकार क्या नये तरीके अथवा उपाय करने का इरादा रखती है जिससे कि उन व्यक्तियों को जो इस प्रकार की चालें चलते हैं उचित दण्ड मिले ?

श्री राजबहादुर : यदि हालत नहीं सुधरी तो उपयुक्त आनुशासनिक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

Delhi Milk Scheme

11. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Ramchandar Tantia :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk has announced that it will able to supply only tonned milk in June; and

(b) if so, the reasons therefor ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) योजना ने टोन्ड दूध 5-12-1964 से देना आरंभ कर दिया था। 12-12-64 से टोन्ड दूध और भैंस का दूध एक दिन छोड़ कर एक दिन दिया जाता है। यह प्रबन्ध अस्थायी है और कम दूध मिलने के कारण एसा है। जल्दी ही भैंस का दूध सब दिनों में मिलने लगेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact, that Government propose to turn Delhi Milk Scheme into a limited Company and that is why that there is great dissatisfaction among the employees as it would result in great retrenchment? They do not procure milk in sufficient quantities.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दूध इकट्ठा करने से इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इसकी एक सरकारी लिमिटेड कम्पनी में, एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, बदला जा रहा है।

Mr. Speaker : What you are saying are not the reasons.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This has been the reason.

Mr. Speaker : Who will decide ? You say that this is the reason, he says that this is not reason.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that a bogus Co-operative Society has been established. I remember the case of one Society. That Society had to supply 500 maunds of milk but due to its bogus status only 120 maunds of milk is received from this society. This may be the reason for a deficit of Rs. 27 lakhs last year and for a deficit of Rs. 86 lakhs this year ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दिल्ली दुग्ध योजना की एक कठिनाई यह है कि दूध के संभरण के लिये इन ठेकेदारों पर निर्भर करना पड़ता है न कि सहकारी समितियों पर। अब हम और सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि दूध बराबर मिलता रहे। जब यह व्यवस्था हो जायगी तो दूध मिलने में कमी, बेशी नहीं आयेगी।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : वर्तमान ठेकेदारों के बीच असहयोग तथा विशेष समिति के सहकारी समितियों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहकारी समितियां बनाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पड़ोसी राज्यों, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग दुग्ध सहकारी संस्थायें बना रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Are Government aware that even cow milk is not supplied on the cards, if so, the time by which this position is likely to ease and shortage will be removed?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गाय के दूध की सीमित मात्रा है---केवल 3350 लिटर। केवल इतना ही बांटा जाता है। गाय के दूध की अपेक्षा भैंस के दूध की अधिक मांग है।

Shri Yashpal Singh : The Government are put to a loss of Rs. 80 lakhs by running this scheme. Why do this Government not round up this scheme and encourage Gosamvardhan so that the people in Delhi may be encouraged to keep cows and buffaloes?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question regarding deficit has not been answered.

Mr. Speaker : You want to drag me behind.

Shri Yashpal Singh : The Minister is not answering my question also.

Mr. Speaker : You have given a suggestion. He will consider it.

श्री अ०प्र० शर्मा : क्या यह सच है कि विशेषज्ञ दल के नेता आनन्द डेरी फार्म के मैनेजर हैं जिसका कि मक्खन 1 रुपया प्रति पैकिट के भाव से बेचा जा रहा है जब कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बनाया गया मक्खन 0.75 पैसे प्रति पैकिट की दर से बेचा जा रहा है ? क्या यही कारण है कि दिल्ली दुग्ध योजना के संबंध में विशेषज्ञ समिति ने इसको बुरी रिपोर्ट दी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नेता पर यह एक गलत आक्षेप है। उन्होंने इसकी पूरी जांच की है और बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं। यदि उनको क्रियान्वित किया जाये तो हम दिल्ली दुग्ध योजना को अधिक अच्छी तरह से चला सकेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह आनन्द डेरी के मैनेजर हैं.....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां ; वह मैनेजर हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question was why there was the deficit of Rs. 27 lakhs last year and of Rs. 86 lakhs this year.

Mr. Speaker : For this he may ask for a discussion.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS QUESTIONS

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

*621. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण ऋणग्रस्तता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ; और

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसमें सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किए गए अखिल भारतीय ग्राम-ऋण और निवेश सर्वेक्षण के आधार पर 1 जुलाई, 1961 से 30 जून, 1962 तक की अवधि में सभी खेतीहर परिवारों के नकद ऋणों की राशि अस्थायी रूप से लगभग 1030 करोड़ रुपए और सभी ग्रामीण परिवारों की लगभग 1232 करोड़ रुपए आंकी जाती है। 30 जून, 1962 को सभी ग्रामीण परिवारों पर नकद कर्जे का निवल बकाया ऋण लगभग 2800 करोड़ रुपए आंका जाता है। आगे और कोई सर्वेक्षण न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या 1961–62 के बाद ऋणभार बढ़ा है।

सरकार किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सम्भव मात्रा में उत्पादन ऋण उपलब्ध करने और विपणन और विधायन को सहकारिता के आधार पर विकसित करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।

दिल्ली की सहकारी समितियां

*622. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन कार्य, करण तथा वित्तीय स्थिति संबंधी कानूनी जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) छः समितियों के बारे में जांच पूरी हो चुकी है।

(ख) जांच के परिणाम से सम्बन्धित एक विवरण इस प्रकार है। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा जांच रिपोर्टों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

1. कीरारी सुलेमान नगर को-आपरेटिव मल्टीपर्पज सोसायटी लि०

जांच से पता चला है कि 7089 रु० का सारा बैंक ऋण निश्चित अवधि में अदा नहीं किया गया है, रिकार्ड ठीक तरह नहीं रखे गये हैं, प्रबन्ध समिति की चुनाव की तारीख भी निकल गई है और प्रबन्ध समिति, समिति के मामलों में कोई रुचि नहीं ले रही है।

2. आर्य मुंगेशपुर को-आपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लि०

सदस्यों ने 15,480 रु० तक के ऋण की राशि नियत अवधि में नहीं लौटाई है और प्रबन्ध समिति समिति के कार्यचालन में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है।

3. झील कुरंजा को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्जस सोसाइटी लि०

लेखा रखने और बकाया वसूल करने के सम्बन्ध में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं।

4. आर्यन को-आपरेटिव इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०

बैंक ऋण की 10,000 रु० की कुल राशि तथा इसका ब्याज दोनों वसूल कर लिये गये हैं। इस समय इस मामले पर आगे और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

5. दी स्टार को-आपरेटिव इंडस्ट्रीयल सोसाइटी लि०

सरकारी ऋण की 655 रु० की कुल रकम समिति से बकाया वसूल करनी है। समिति को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है कि यह मामला वसूली के लिए कलेक्टर को क्यों न भेजा जाए।

6. दी व्हीकल डिपो वर्कर्स को-आपरेटिव्ह सोसाइटी लि०

जांच रिपोर्ट से अनेक अनियमितताओं का पता चला है, उदाहरणार्थ सदस्यों का रजिस्टर पूरा न होना, सदस्यों को पास-बुकें न देना, कुछ सदस्यों को बेनामी ऋण देना और कुछ पदधारियों द्वारा 2012.27 रु० की राशि का गबन।

खाद्यान्नों का आयात

*623. **श्री रामनाथन् चेट्टीयार** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितना गेहूं तथा चावल विदेशों से आयात किया जायगा, और

(ख) क्या विदेशों से आयात करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा निश्चित कर दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) आशा है कि 1964 में विदेशों से लगभग 56.9 लाख टन गेहूं और 6.6 लाख टन चावल का आयात किया जाएगा।

(ख) जी हां।

अमरीका के मेसर्स हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल्स के साथ करार

*624. **श्री रा० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत में होटलों की स्थापना के लिये अमरीका के मैसर्स हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल्स के साथ किये जाने वाले करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी नहीं। यह विषय अभी विचाराधीन है।

कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियां

*625. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियों में वृद्धि करने की एक योजना क्रियान्विति के लिये राज्यों को परिचालित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना की शीघ्र कार्यान्विति के लिये केन्द्र ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को एक योजना परिचालित की है।

(ख) योजना की मोटी रूपरेखा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3701/64]**।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखकर योजना को किस प्रकार अच्छी तरह कार्यान्वित किया जा सकता है।

आसाम के लिये विमान-सेवा

*626. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई पट्टी की मरम्मत के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की मोहनबारी (डिब्रुगढ़) वाईकाउण्ट विमान सेवा नं० 213 रोक दी गई है;

(ख) क्या डिब्रुगढ़ तक के लिये जाने वाली इंडियन एयरलान्स कारपोरेशन की विमान सेवा नं० 217/218 भी 28 नवम्बर, 1964 से रोक दी गई है;

(ग) क्या सरकार को जनता की ओर से इस बारे में अभ्यावेदन मिले हैं कि इन विमान सेवाओं के रोकने के कारण उन को बहुत असुविधा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सेवाओं को यथासंभव शीघ्र पुनः चालू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) मोहनबारी के लिए विमान-सेवा सम्बन्धी और अधिक क्षमता की व्यवस्था करने की आवश्यकता वाजिब मानी गयी है और चबुआ विमान-क्षेत्र से होकर एक विमान-सेवा चलाने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है।

उर्वरकों का दिया जाना

*627. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 में देश के किसानों को देने के लिये उर्वरकों की अत्याधिक कमी हो जायेगी जिस का खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की अनुमानतः कितनी कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग)।

नाइट्रोजनपूरक उर्वरक : सन् 1965–66 के लिए कुल सप्लाई की जो योजना तैयार की गई थी उसमें लगभग 20 प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है। परन्तु अतिरिक्त आयात द्वारा सप्लाई की मात्रा को यथासम्भव बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

फौसफोरसपूरक उर्वरक/पोटासपूरक उर्वरक : सप्लाई में किसी प्रकार की कमी की सम्भावना नहीं है।

पत्तनों की जलयान सम्बन्धी क्षमता

*628. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री हिंमतसिंहजी :
श्री सोलंकी :
श्री प० ह० भील :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला, विशाखापटनम, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास पत्तनों में कितने बड़े जहाज आ, जा सकते हैं; और

(ख) क्या इन पत्तनों पर जहाजों के आने जाने की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 370264**]

D.T.U. Bus Service

*629. **Shri Y. S. Chaudhari Rao :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri E. Madhusudan Rao :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that D.T.U. buses are not capable of coping with the traffic load in the Capital;

(b) whether it is also a fact that in spite of waiting for hours in the queue people do not get buses ;

(c) whether it is also a fact that buses do not stop even at bus-stop; and

(d) the steps being taken by Government to remove these inconveniences?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The bus services provided by the Delhi Transport Undertaking have been found inadequate in certain sectors, particularly during peak hours.

(b) It may not be quite correct to generalise that buses are not available even after waiting in queues for hours. However, it does happen sometimes when some scheduled trips are missed that passengers have to wait for half-an-hour or so.

(c) During peak hours of traffic, some of the buses do by-pass the bus stop if the bus is already overcrowded and there is no passenger wanting to alight at that particular stop.

(d) The following measures are being taken by the Delhi Transport Undertaking to meet the transport requirements adequately :—

(i) Gradual augmentation of its fleet. The Undertaking has a phased programme for addition of new buses to its fleet annually.

(ii) Ensuring proper maintenance of its existing fleet of vehicles with a view to maximise vehicle utilization.

(iii) Meeting heavy requirements for transport facilities on particular routes during peak hours by day-to-day adjustment of buses operated on other routes so as to minimise inconvenience to the public.

(iv) The Undertaking has temporarily hired some buses or of private operators to enable it to cope with traffic requirements.

(v) Addition of double-decker buses, which have a much bigger carrying capacity than ordinary buses, to the fleet.

मलमूत्र फार्म

*630. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलमूत्र फार्म बनाने तथा मलमूत्र और कूड़े कर्कट को एक स्थान पर इकट्ठा करने की योजना तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) (1) **मलमूत्र का उपयोग :** सन् 1949 में खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मलमूत्र का उपयोग सम्बन्धी प्रश्न को लिया और तभी मलमूत्र का उपयोग करने के लिए योजना बनाने और मलमूत्र फार्म स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता दी गई। दूसरी योजना की अवधि के दौरान में भी ऋणों के रूप में ही सहायता दी कई थी, लेकिन चालू योजना में इन ऋणों के अतिरिक्त आवर्तक खर्च का 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता जिसे केन्द्र और राज्य ने बराबर-बराबर वहन करना है, भी दी गई है। ऐसी आशा की जाती है कि मलमूत्र-उपयोग के दैनिक प्रयोग की मात्रा तीसरी योजना के अन्त तक 2500 लाख गैलन तक पहुंच जाएगी और इससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि के क्षेत्र की सिंचाई होगी ।

(2) **शहरी कूड़ा-खाद :** 1945 में अखिल-भारतीय आधार पर शहरी कूड़ा-करकटों से खाद बनाने के लिए एक नियमित योजना शुरू की गई थी । यह विचार था कि इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकाय (नगर-निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, अधिसूचित पंचायत आदि) सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में उपलब्ध सारा कुड़ा-करकट ठीक तरह से जमा किया जाये और उसकी खाद बना कर आस-पास के क्षेत्रों के कृषकों को सप्लाई की जाये। आवश्यक प्रोत्साहन देने के विचार से आवर्तक खर्चों का 25 प्रतिशत अनुदान खाद्य और कृषि मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर अनुपात में स्थानीय निकायों को दिये जाते हैं। इन अनुदानों के अतिरिक्त, स्थानीय निकायों को देने के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण भी दिये जाते हैं ताकि निकाय कूड़ा-खाद को इकट्ठा करने और बांटने के लिये गाड़ियां प्राप्त कर सकें ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में शहरी कूड़ा-खाद के उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 44 लाख मीट्रिक टन है। कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि योजना की अवधि के अन्त तक लगभग 3,000 शहरी केन्द्र (जिनमें कुछ पंचायतें शामिल हैं) आ जायेंगे ।

(ग) (1) **मलमूत्र उपयोग :** राज्य सरकारों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ज्ञात होता है कि इस समय लगभग 140 शहरों और कस्बों में सिंचाई के लिए रोज़ाना करीब 225 मिलियन गैलन मलमूत्र या गन्दे पानी का उपयोग किया जा रहा है। मलमूत्र/गन्दे पानी द्वारा सिंचाई, किया जाने वाला क्षेत्र लगभग 30,300 एकड़ है। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से जो महत्वपूर्ण मलमूत्र फार्म बने हैं वे कानपुर, इन्दौर, उज्जैन, जयपुर मद्रास, लखनऊ, मैसूर, मदुराई, हैदराबाद और बड़ौदा में हैं। उत्तर प्रदेश, मद्रास, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, केरल और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने कृषि के लिए विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजनाओं का सुझाव दिया है। आशा है कि चालू योजना की अवधि के दौरान में अन्य राज्य भी ऐसा ही करेंगे।

(2) **शहरी कूड़ा-खाद :** सन् 1963–64 के अन्त तक 2410 शहरी केन्द्रों के क्षेत्र में अनुमानत: 33.5 लाख टन की उपलब्धि की आशा है। पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मद्रास, गुजरात और केरल की सरकारों ने विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाएं तयार की हैं। आशा है कि चालू वर्ष की अवधि में अन्य राज्य भी ऐसा ही करेंगे।

कृषि आयोग

*631. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री सिध्देश्वर प्रसाद :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि दीर्घकालीन विचार से देश में कृषि उत्पादन के प्रश्न की जांच के लिये भारत में उच्चस्तरीय कृषि आयोग तुरन्त स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में सुझाव क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक ने सुझाव दिया है कि एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाये जोकि देश के कृषि विकास, जिसमें कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, कृषक को न्यूनतम लाभकारी मूल्यों के विषय में गारन्टी देना, एक समीकरण भण्डार की स्थापना करना, कृषि उपज के लिये पर्याप्त विपणन सुविधायें प्रदान करना, राष्ट्रीय संसाधनों के एक पर्याप्त हिस्से को कृषि विकास में लगाना इत्यादि भी शामिल हैं, के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करे। अब तक सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है और वह कृषि कार्यक्रम की क्रियान्विति से ध्यान हटायेगा। कृषि सम्बन्धी मूल्य आयोग की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। यह आयोग खाद्यान्नों और अन्य कृषि पण्यों के बारे में सिफारिशें करने वाली स्थायी निकाय के तौर पर कार्य करेगा। इस आयोग के निर्देश पद तथा इसकी संरचना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

कृषि मूल्य आयोग

*632. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में स्थापित हुई खाद्यान्न मूल्य समिति से प्रार्थना की गई है कि वह ऐसे आयोग के निर्देश पदों के बारे में परामर्श दें। उस समिति की सिफारिशें आने पर ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

कृषि कार्यक्रम

*633. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उस कृषि दल की सिफारिशें राज्यों को भेज दी हैं जिस ने हाल में ही राज्यों के कृषि कार्यक्रमों का वहीं पर पुनरीक्षण करने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों व्यक्त विचारों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) दल ने राज्य प्रतिनिधियों के साथ जो विचार-विमर्श किये उन्हीं पर ये निरीक्षण और सिफारिशें आधारित हैं, अतः राज्य सरकारों द्वारा अधिकतर वे स्वीकार कर ली गई हैं। कुछ सिफारिशें तो पहिले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष उनके विचाराधीन हैं।

भारतीय सहकारिता कांग्रेस

1673. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सहकारिता कांग्रेस और दिल्ली सहकारिता कांग्रेस द्वारा पिछली बैठक में पारित किये गये संकल्पों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किस संकल्प के प्रति निर्देश है परन्तु पिछली भारतीय सहकारिता कांग्रेस और दिल्ली सहकारिता कांग्रेस के महत्वपूर्ण संकल्पों सम्बन्धी सरकार के विचार बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3703/64]**

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उद्धार

1674. **श्री रामचद्र मलिक** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई है; और

(ख) अभी तक वर्ष-वार खर्च की गई राशि है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 756.65 लाख रुपये

(ख) स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1961–62	99.73
1962–63	121.43
1963–64	120.26
1964–65 (प्रत्याशित)	188.36

उड़ीसा में अम्बर चरखों का प्रचार

1676. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में अम्बर चरखों के प्रचार के लिए अब तक दिये गये अनुदान या ऋण की कुल राशि (वर्ष-वार) क्या है ;

(ख) अब तक बनाये गये चरखों की संख्या क्या है ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

विधी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगनाथ राव) : (क) :

वर्ष	अनुदान	ऋण
	(रुपये लाखों में)	
1961–62 . .	3.89	2.96
1962–63 . . .	2.59	1.27
1963–64 . . .	0.94	3.05
1964–65 . . . (30-11-64 तक)	0.32	
	7.74	7.28

(ख) 1963

(ग) 94

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

1675. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामजिक सुरक्षा** मंत्री 22 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में परिवर्तन करने के लिए या उसमें कुछ और जातियों को शामिल करने के लिए कोई सूची भेजी है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। वे अभी विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में सामाजिक कल्याण विस्तार परियोजनायें

1677. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से 1963–64 और 1964–65 में अब तक उड़ीसा सरकार को सामाजिक कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक और नैतिक आरोग्य शास्त्र और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिए दी गई सहायता की राशि क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

योजना	1963–64	1964–65
	(रुपयोंमें)	
(क) कल्याण विस्तार परियोजनायें (समन्वित स्वरूप)	1,45,000	64,000
(ख) सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य शास्त्र और बाद की देखभाल के लिए कार्यक्रम	83,000	राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना में शामिल इस योजना पर किये गये वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत इस वर्ष की अन्तिम त्रिमाही में वास्तविक व्यय का विवरण दिये जाने पर दे दिया जायेगा ।

भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

1678. श्री जेना : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे फालतू भूमि के आवंटन में दूसरे व्यक्तियों की तुलना में भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता दें ;

(ख) यदि है, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक भूमिहीन व्यक्तियों को कितनी भूमि दी गई है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में अब तक ऐसी भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कितने हरिजन हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्रीय सरकार की नीति तृतीय पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ संख्या 232–33 और 377–78 में दी गई है ।

(ख) भूमिहीन खेती मज़दूरों को बसाने के लिये नगालैंड, जम्मू तथा काश्मीर और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सभी राज्यों में केन्द्रीय योजनाओं पर कार्य हो रहा है । इसके अलावा राज्य सरकारें भी भूमि का आवंटन करती हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) भूमिहीन मज़दूरों में से अधिकांश हरिजन ही हैं । इसके लिए पृथक आंकड़े नहीं रखे गये हैं ।

विवरण

(हज़ार एकड़ों में)

राज्य का नाम	नवम्बर, 1962 के तीसरे सप्ताह तक भूमिहीन मज़दूरों में वितरित की गई भूमि
1. आन्ध्र प्रदेश	1,062
2. आसाम	44
3. बिहार	470
4. मैसूर	719
5. गुजरात	200
6. जम्मू तथा काश्मीर	40
7. केरला	17
8. मध्य प्रदेश	224
9. मद्रास	269
10. महाराष्ट्र	548
11. उड़ीसा	165
12. पंजाब	72
13. राजस्थान	1,292
14. उत्तर प्रदेश	221
15. पश्चिम बंगाल	100
	5,443

Production of Cotton

1679. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of cotton expected during the current year;

(b) the increase in production as compared to the last year; and

(c) the factors responsible for such an increase in production?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) Official cotton production estimates for 1964-65 are not yet available. As such, it is not possible at this stage to tell definitely anything in regard to the increase or decrease in the current year's production compared to that of last year.

(c) Does not arise.

Use of Hindi in the Department of Food & Agriculture

1680. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the work through the medium of Hindi in both the Departments of Food and Agriculture in the Ministry of Food and Agriculture is being done on a decentralised basis as per instructions of the Ministry of Home Affairs; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes. Only a part of the work in the medium of Hindi, which can only be done by fully trained staff, is centralised in the Hindi Unit.

(b) Does not arise.

Employees of Departments of Food Agriculture

1681. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state the number of Class II and Class III employees confirmed in the Departments of Food and Agriculture separately, after the decentralisation of the Central Secretariat Services?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) :

Name of Department	Number of employees confirmed after decentralisation	
	Class II	Class III
Department of Food	2	1
Department of Agriculture	3	

Hindi Knowing Officers in Food and Agriculture Department

1682. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Food** and **Agrilture** be pleased to state :

(a) the number of Assistants and Upper Division Clerks in both the Departments of the Ministry of Food and Agriculture who have practical knowledge of Hindi;

(b) whether there are any sections where none of the employees has practical knowledge of Hindi; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons for not deputing the Hindi-knowing persons proportionately to the various sections?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) :

	No. of Assistants/U.D.C.'s having practical knowledge of Hindi	
	Assistants	U.D.C.
(a) Department of Food	81	37
Department of Agriculture	53	38

(b) No.

(c) Does not arise.

दिल्ली बहादुरगढ़ बस सेवा

1683. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री गौरी शंकर कक्कड :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सचिवालय से बहादुरगढ़ आने जाने के लिये सीधी बस सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन निदेशक से इस बारे में बातचीत की जा रही है । दिल्ली-बहादुरगढ़ एक अन्तराज्यीय मार्ग है और जब तक दिल्ली और पंजाब के परिवहन प्राधिकारीयों में इस बारे में पारसपरिक समझौता नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग पर किसी राज्य की बस चलाने का परमिट नहीं दिया जा सकता । दिल्ली परिवहन निदेशक ने इस बारे में कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

भेडों के रोगों के लिये टीका

1684. **श्री राम हरख यादव :**
श्री कृपा शंकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में रानिपट स्थित वेटेरिनरी प्रिवेंटिव मैडिसिन इंस्टिट्यूट को अमरीकी सरकार ने भेड़ों को रोगों से, विशेष कर चेचक से, बचाने के लिए प्रभावशाली टीका तैयार करने के लिये 2.56 लाख रुपये का अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कब तक वहां काम आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० टी० 3704/64**]

(घ) 4 नवम्बर, 1964 से वहां काम आरम्भ हो गया है ।

राजधानी में टैक्सी सेवा

1685. **श्री इ० मधुसुदन राव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में स्कूटर और टैक्सी के ड्राईवर थोड़े फासले के लिये सवारियां नहीं ले जाते ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इस बारे में शिकायतें आई हैं कि स्कूटरों और टैक्सी के ड्राईवर थोड़े फासले के लिये सवारियां ले जाने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि इस से दिल्ली मोटार गाड़ी नियम 1940 की धारा 438 का उल्लंघन होता है इसलिये दिल्ली की यातायात पुलिस ऐसे ड्राईवरों पर अभियोग चलाती रहती है।

District Councils and Block Committees

1686. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the names of the States in which District Councils and Block Committees have been set up so far;

(b) the names of the States in which they have not been set up; and

(c) the action proposed to be taken by Government in respect of those States where they have not been set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development & Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) The following 10 States have so far set up Panchayati Raj bodies at Block/Taluk and District/Sub-Division levels :—

Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Madras, Mysore, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh.

(b) & (c) The present position in regard to the remaining 5 States is as follows:—

Bihar : Panchayati Raj was inaugurated on 2-10-1964 in Ranchi and Bhagalpur districts.

Jammu & Kashmir : A Democratic Decentralisation Committee headed by the State Agriculture Minister was set up in June, 1962, to recommend a pattern of Panchayati Raj suited to the local conditions of the Jammu & Kashmir State. The term of the Committee was later extended till the end of 1963. Since no further extension was granted, the Committee became defunct. The State Government, however, have since reconstituted the Committee and the Committee has started its work.

Kerala : With the dissolution of the Legislature in September, 1964, the Kerala Panchayat Union Councils and Zila Parishads Bill, 1964, which was before a Select Committee, has lapsed.

Madhya Pradesh : According to the revised time schedule drawn up by the State Government, elections to Gram Panchayats are expected to be completed by the 8th February, 1965. The State Government have indicated that the higher tier bodies would be constituted sometime in 1965 after the completion of Gram Panchayat elections.

West Bengal : Elections to Zila Parishads have been completed in all the districts except one namely Murshidabad. Elections in Murshidabad are expected to be held in January, 1965.

आदिवासी लड़कियों की शिक्षा

1687. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी लड़कियों विशेषकर मदानी क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों, की शिक्षा के लिये देश में किये गये प्रबंधों से सन्तुष्ट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन प्रबन्धों को संतोषजनक बनाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिये सरकार विशेष उपाय कर रही है। इस कार्य में सामान्यत: प्रगति तो ही रही है परन्तु इस में सन्देह नहीं कि इस कार्य में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) इनको छात्रवृत्तियां, होस्टेल सुविधायें, भोजन के लिये अनुदान, दोपहर का खाना, कपड़े और किताबों आदि की सहायता दी गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जितनी राशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार इन सुविधाओं को और भी बढ़ाया जायेगा।

भारतीय रुई मिल्स संघ का रुई उगाने का प्रदर्शन केन्द्र

1688. **डा० मा० श्री० अणे :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रूई मिलस संघ ने देश के पांच रूई पैदा करने वाले राज्यों में प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निश्चित किया है ताकि रूई का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को आधुनिक तरीके सिखाये जा सकें ; तथा

(ख) यदि हां, तो इन पांच रूई उत्पन्न करने वाले राज्यों में इस योजना के अधीन क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। भारतीय केन्द्रीय रूई संघ की सितम्बर, 1964 में हुई एक बैठक में यह सूचना दी गई थी कि भारती रूई मिल्स फ़िडरेशन ने 45 लाख रुपये की राशि इस प्रयोजन के लिये नियत कर दी है कि बहुत से क्षेत्रों में विभिन्न रूई उगाने नये तरीकों, तथा किसानों के लिये प्रदर्शन केन्द्रों द्वारा ज़ोरदार कार्रवाई कर के रूई के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चालू साल के लिये 5 लाख रु० रखे गये हैं। गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान में 1,000 एकड़ के एकक स्थापित करने कार्यक्रम हैं। हर एक एकक के लिये 1 लाख रु० खर्चा आयेगा।

(ख) सरकार के पास यथार्थतम जानकारी नहीं।

भारतीय रुई मिल्स संघ

1689. **डा० मा० श्री अणे :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग अथवा रूई उत्पादक पांच राज्यों से भारतीय रूई मिल्स संघ को प्रस्ताव भेजा है अथवा इस संघ ने कोई प्रस्ताव भेजा है ताकि --

(1) संघ को वित्तीय सहायता दी जा सके

(2) सरकारी प्रयत्नों तथा संघ के प्रयत्नों में समन्वय लाया जा सके ?

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और योजना आयोग के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं। परन्तु मई, 1964 में भारतीय केन्द्रीय रूई समिति जो कि मंत्रालय के प्रशासनिक तथा वित्तीय यंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, को भारतीय रूई मिल्स संघ ने अपने प्रदर्शन केंद्रों के चयन के कार्यक्रम के लिये सहायता के लिये कहा था। समिति ने मांगी गई सहायता दे दी है।

दिल्ली में कीमतें तथा सिविल रसद

1690. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शामलाल सर्राफ़ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में कीमतों तथा सिविल रसद पर पुनर्विचार के लिये कहा है ; और

(ख) व्यापारीवर्ग के कीमतें स्थिर रखने के आश्वासन को पूरा न करने की स्थिति में जमाखोरी तथा कीमतें न बढ़ने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) दिल्ली में खाद्यपदार्थों की कीमतों की स्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता है।

(ख) दिल्ली में जमाखोरी न हो तथा कीमतें न बढ़े इस के लिये यह कार्यवाही की गई है।

(1) जमाखोरी के विरुद्ध आदेश जारी करना जैसे दिल्ली खाद्यपदार्थ जमाखोरी निवारण आदेश, 1964 ; दिल्ली चीनी प्रतिबन्ध (बिक्री तथा कब्ज़ा) नियन्त्रण आदेश, 1964 ; दिल्ली सीमेंट (आधिक्य निवारण) नियंत्रण आदेश, 1964।

(2) लाईसेंस नियन्त्रण आदेश का लागू करना तथा चीनी, कोयला, मिट्टी का तेल, नमक तथा चावल के बारे में मूल्य नियन्त्रण आदेश जारी किया जाना।

(3) दिल्ली (मूल्य प्रदर्शन) आदेश, 1963 के अधीन थोक तथा खुद्रा व्यापारियों द्वारा वस्तुओं के मूल्यों की सूची लगाना तथा नकदपर्चा जारी करना।

(4) संक्षिप्त अभियोग का करना तथा खाद्यान्नों की विधियों का उल्लंघन करने पर कठोर दन्डों का दिया जाना।

चीनी मिलों के लिये अर्हता प्राप्त मैनेजर

1691. श्री यशपाल सिंह : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए आप ने कहा था कि "यह कानून बनाने की बात है कि चीनी मिलों के मैनेजर वास्तव में अर्ह होने चाहियें" तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

Sauguli-Raxaul National Highway

1692. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) when the Sauguli-Raxaul National Highway in District Champaran (Bihar) is scheduled to be completed ;

(b) whether it is a fact that the construction of the Sikhrana bridge on this Highway has been delayed ; and

(c) if so, the reason therefor ?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) National Highway No. 28-A between Sauguli and Raxaul is already complete and is in use. It is however proposed to widen and strengthen it. This work is being taken up and is expected to be completed by March 1967.

(b) & (c) Yes ; the target date of the completion of the bridge (December 1962) had to be extended because of the unprecedented floods in the Sikharana river in the year 1962 due to which the course of the river was affected at the bridge site. The waterway of the bridge of the Raxaul side had therefore to be extended. The bridge has since been completed. It was opened to traffic in June 1964.

रूस के पशु चिकित्सकों की यात्रा

1693. **श्री फा० गो० सेन :**
श्री रामसेवक :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पशुचिकित्सा विज्ञान की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये रूस से पशुचिकित्सकों का एक दल भारत आया था ; और

(ख) उन की प्रतिक्रिया क्या हैं तथा परिणात्मक सुझाव क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रूस के दो पशु चिकित्सकों का दल "एडजूवेंट पैस्टयूरला टीके" तथा "आफ्रीकन हार्स सिकनैस टीके" के बनाने के तरीके और पशुरोगों के बारे में गवेषणा के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये यहां आया था । भारतीय पशुचिकित्सा विज्ञान की प्रगति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) दल ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया और नहीं इस की आशा है । अपनी यात्रा की समाप्ती पर उन्हों ने तकनीकी मामलों पर भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त के साथ बातचीत की । वह खाद्य तथा कृषि मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले । उन्होंने हमारे गवेषणा केन्द्रों के कार्य की बहुत प्रशंसा की विशेष रूप से अफ्रीकन हार्स सिकनैस के कार्य के बारे में ।

पाकिस्तान से चावल

1694. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 12 अक्तूबर, 1964 को भारत के प्रधान मंत्री को अपनी कराची की भेंट में भारत को चावल देने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो उस की मात्रा तथा किस्में क्या है ; तथा

(ग) सरकार की उस की बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) जब 19 अक्तूबर, 1964 को भारत के प्रधान मंत्री अपनी काहिरा से दिल्ली यात्रा में कराची रुकने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अनौपचारिक रूप से मिले, तो भारत द्वारा पाकिस्तान से चावल आयात का उल्लेख किया गया था। इस पर आगे भारत सरकार विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में आदिम जातियों की सूचियों का पुनर्रीक्षण

1695. **श्री ह० च० सोय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ लोगों को उसी प्रकार आदिम जातियों की सूचियों में शामिल कर लिया जाय कि जैसे बिहार तथा अन्य राज्यों में वर्गीकरण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा विलम्ब के कारण क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को उत्तर प्रदेश विधान सभा में मिर्ज़ापुर के कुछ लोगों के आदिम जातियों की सूची में शामिल किये जाने की मांग की जानकारी नहीं। वास्तविक स्थिति पूछी जा रही है। हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के लिये प्रस्ताव किया है। उस पर विचार हो रहा है।

जनशक्ति का उपयोग

1696. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की औद्योगिक सहकारी संस्था के सचिव श्री शुनज़ो टोमीटा को हाल ही में आमंत्रित किया गया था कि वह जापान की सहायता से यहां की जनशक्ति के अधिक उपयोग के लिये प्रस्तावों पर बातचीत करें ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का परिणाम क्या रहा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत अभी चल रही है।

पश्चिमी बंगाल में नलकूप

1697. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में सिंचाई के लिये नलकूप लगाने का लक्ष्य धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य पर विचार किया गया है तथा क्या राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई कि वह अपने लक्ष्य पूरे कर सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी कृषि समितियां

1698. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में विभिन्न राज्यों में बनाई गई सहकारी कृषि समितियों की संख्या क्या थी ;

(ख) विभिन्न राज्यों में 1963–64 में (1963–64 से पहले की बनी भी) कार्य कर रही वास्तविक समितियों की संख्या क्या थी ; तथा

(ग) उपरोक्त (क) की समितियों को राज्यवार केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1963–64 में बनाई गई सहकारी कृषि समितियों की संख्या 1256 है। राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिए संख्या एल० टी० 3705(I)/64]**

(ख) 1963–64 में वास्तविक रूप से कार्य कर रही समितियों की संख्या 3762 थी। राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिए संख्या एल० टी० 3705(ii)/64]**

(ग) 1963–64 में समितियों को राज्यवार सहायता का ब्यौरा पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिए संख्या एल० टी० 3505(iii)/64]**

बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का दो भागों में बांटना

1699. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **विधी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिये 1961 में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को एक सदस्य वाले तथा दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में बदलने का विरोध किया गया हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) जी हां। राष्ट्रपति द्वारा परिषद निर्वाचन क्षेत्र संशोधन आदेश जारी करने से पहले एक अभ्यावेदन तथा उस के जारी होने के पश्चात् दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। क्योंकि सरकार ने पहले ही उन बातों पर विचार कर लिया हुआ था अतः उन अभ्यावेदनों पर विचार कर आवश्यक नहीं समझा गया।

किशोर न्यायालयों तथा अवैध बच्चोंके सम्बन्ध मे कानून

1700. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महिला वकीलों की अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा पास किये गये किशोर न्यायालयों के बनाये जाने तथा अवध बच्चों सम्बन्धी कानून बनाये जाने सम्बन्धी संकल्पो की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : संकल्पों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

धान की फसल का उत्पादन

1701. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में साबूर स्थित कृषि कालेज के कीट विज्ञान विभाग ने धान के जड़ खाने वाले कीट पर नियन्त्रण के तरीके का आविष्कार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) सबूर के कृषि गवेषणा संस्थान के कीट विभाग द्वारा धान के जड़ खाने वाले कीटों पर आरंभिक जांच से यह पता चला है कि बी० एच० सी० 10 प्रतिशत धूलि या एलड्रिन 5 प्रतिशत जमीन ठीक करते समय 11 किलोग्राम प्रति एक एकड़ डालने से कीट नियन्त्रण के बारे में संतोषजनक परिणाम निकलते हैं। यह उपाय करने से धान की फसल को कीटों द्वारा क्षति को बहुत कम किया जा सकेगा । और जांच इस सम्बन्ध में हो रही है कि कीटों बड़ी स्थिति में तथा छोटी स्थिति में किस प्रकार कीटनाशक पदार्थों द्वारा समाप्त किया जा सकता है ।

1964–65 में शाहाबाद जिले में 50 टन बी० एच० सी० 10 प्रतिशत धूलि सरकार द्वारा मुफ़्त वितरण की जा रही है ताकि लगभग 5,000 एकड़ों में कीट नियन्त्रण कार्य किया जा सके ।

राज्य सरकार ने यह योजना मंजूर की है जिसके अनुसार बी० एच० सी० 10 प्रतिशत का कीट नियन्त्रण के लिये प्रदर्शन किया जायेगा । यह चालू वर्ष में 18,000 एकड़ धान शाहाबाद में तथा 5000 एकड़ पटना तथा गया जिलों में कीट नियन्त्रण के लिये लागू की जायगी ।

उत्तर प्रदेश के लिये चीनी कोटा

1702. **श्री विश्वनाथ पाण्डे** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश के लिये चीनी का कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की है ताकि चीनी की कमीपुरी की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ढ़ा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी के सम्भरण की कठिन स्थिति के कारण राज्य का चीनी कोटा बढ़ाया नहीं जा सका ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की शिक्षा प्रगति

1703. **श्री प० कुन्हन** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में 1960–61, 1961–62 तथा 1962–63 में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की शिक्षा प्रगति के लिये नियत की गई धनराशियों में कमी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1960-61 और 1961-62 में अनुसूचित जातियों के लिये नियत किये गये कुल धन में कोई कमी नहीं थी। 1962-63 में 97 प्रतिशत उपयोग किया गया।

1960-61 तथा 1962-63 में आदिम जातियों के खर्चे में कमी हुई थी।

(ख) आवास अनुदान कम दिये गये थ तथा इमारतें बनाने के लिये अनुदान देर से मिले थे तथा कुछ स्कूल वित्तीय वर्ष उत्तरार्ध में आरंभ किये गये थे।

धान के न्यूनतम मूल्य

1704. श्रीमति सावित्री निगम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़ारमर्स फोरम ने यह संकल्प पास किया है कि धान तथा गेहूं के नियत किये गये न्यूनतम मूल्य राज्यों में बहुत भिन्न हैं जब कि उनका उत्पादन व्यय एक जैसा है और इस से किसानों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में प्रति। या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। अखिल भारतीय किसान परिषद ने 24 तथा 25 अक्तूबर, 1964 को भुवनेश्वर में अपनी सतरावीं बैठक में लाभकारी तथा प्रोत्साहन वाले मूल्य नियत करने का संकल्प पास किया गया था। उस में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि उड़ीसा तथा इस की निकटवर्ती राज्यों, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में धान के नियत किये गये मूल्य में बहुत अन्तर है जब कि उत्पादन व्यय लगभग एक जैसा है।

(ख) इन राज्यों में धान की किस्मों में भेद होता है तथा भौगोलिक व आर्थिक स्थितियों के कारण सभी राज्यों में एक जैसा मूल्य लागू करना असंभव है।

राज्यों का चीनी कोटा

1705. **श्री उइके :**
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को चीनी की सप्लाई में 5 प्रतिशत की कटौती हटा दी गई है; और

(ख) यदि हा, तों मध्य प्रदेश को सप्लाई की मात्रा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) 12,000 टन प्रति मास।

हस्तिनापुर में चीनी मिल

1706. श्री का० ना० पाण्डे : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तिनापुर यु० पी० में एक फर्म को चार वर्ष पूर्व एक चीनी की मिल चालू करने का लाईसेंस दिया गया था ताकि गंगा खादर के क्षेत्र में बसे विस्थापितों को रोज़गार दिया जा सके परन्तु अब तक कोई मिल स्थापित नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फर्म द्वारा मिल स्थापित न करने के कारण क्या है और क्या उस को शीघ्र कराने की और कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख) नवम्बर, 1957 से हस्तिनापुर, जिला मेरठ (यु० पी०) के एक संयुक्त स्कन्ध समवाय को एक चीनी मिल स्थापित करने का लाईसेंस दिया गया था। परन्तु वह समवाय निश्चित समय में बिना किसी युक्तिसंगत कारण के मिल लगाने में सफल नहीं हुआ, अतः वह लाईसेंस 6 अक्तूबर, 1964 को रद्द कर दिया गया है।

Bus Permits in Delhi

1707. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the permits for buses are being sold in Delhi at a premium ; and

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to amend the existing legislation to provide for auctioning of these permits ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No.

(b) Does not arise.

पर्यटन महा निदेशालय

1708. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन पर्यटन महानिदेशालय की कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पद का वर्तमान अधिकारी कितने समय से इस पद पर है और कितने और समय तक उसके इस पद पर रहने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। हां, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पदाधिकारी इस पद पर 1-3-1958 से हैं। पद के अधिकारी को पर्यटन का विशेष ज्ञान और विश्व के महत्वपूर्ण केन्द्रों में यात्रा व्यापार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ संपर्क तथा जानकारी होनी चाहिये। अतः यह देश के हित में है कि पदाधिकारी को काफी समय तक न बदला जाये।

खादी का उत्पादन

1709. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना में खादी का वार्षिक उत्पादन क्या रहा है तथा इसके उत्पादन में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ;

(ख) खादी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) स्कूलों में खादी के प्रयोग को कहा तक प्रोत्साहन दिया जा सकता है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

1710. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बोर्ड ऐसी परियोजनाओं में संसाधन जुटा कर जो निर्माण की अग्रिम अवस्था में हैं, सिंचाई क्षमता को तेजी से उपयोग करने के प्रश्न की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बोर्ड ने क्या निर्णय किये हैं, [और

(ग) तीसरी योजना की शेष अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ; (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि इससे पहले कि वित्तीय सहायता निश्चित की जाये सिंचाई मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के परामर्श से इन सब बातों की जांच करनी चाहिये कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से किया जा सकता है, अतिरिक्त विधियां कहां तक इस्तेमाल की जा सकती है और यह कि अतिरिक्त निधियों से क्या लाभ होने की संभावना है ।

(ग) अभी तक नागारजूना सागर के लिये 4 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की सहायता मंजूर की गई है और गंडक के लिये 1 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई है ।

भूख शांत के लिये गुजरात की बुटी

1711. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की शुद्ध आयुर्वेद संस्था ने केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला को गुजरात की एक 'कालिया' बूटी जांच के लिये भेजी है जिस के खा लेने से कहा जाता है कि कम से कम 4 दिन भूख नहीं लगती ; और

(ख) क्या उसकी जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार की जानकारी में केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, दिल्ली के नाम से कोई प्रयोगशाला नहीं है । खाद्य विभाग की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला को गुजरात की शुद्ध आयुर्वेद संस्था से जांच के लिय गुजरात की 'कालियां' बूटी का कोई नमूना प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयर इंडिया द्वारा भारतीय आलिम्पिक टीम की टोक्यो को उड़ान

1713. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री चुनी लाल :
श्री नाथ पाई :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बसुमतारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

1713. श्री क० ना० तिवारी :
डा० रानेन सेन :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री सोलंकी :
श्री राम सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि टोक्यों को जाने वाली भारतीय आलिम्पिक टीम को, दिल्ली से टोक्यों को उड़ान करते समय एयर इन्डिया के विमान के देर से चलने तथा खिलाड़ियों को टीम को सारे रास्ते विमान से बाहर न निकलने देने के परिणाम स्वरूप, हमारे खिलाड़ियों को बहुत थकावट और तकलीफ हुई ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : एयर इन्डिया ने अपनी 30 तारिख की बम्बई कलकत्ता, बैंग्कोक-हांगकांग-टोकयो की उड़ान करने वाले विमान को विशेषत : भारतीय आलिम्पिक टीम लेने के लिये नई दिल्ली में रोका। कार्यक्रम के अनुसार विमान को भारतीय समय के अनुसार दिल्ली से 08.20 पर चलना था और टोक्यों में 22.30 पर पहुंचना था। जिस विमान को उड़ान करनी थी वह लंदन से बम्बई में 1 घंटा और 15 मिनट देर से पहुंचा और नई दिल्ली से 09.40 पर रवाना हुआ इसलिये नई दिल्ली से रवाना होने में कोई देर नहीं लगी अपितु विमान पहले से युरोप से ही देर से आ रहा था।

विमान के नई दिल्ली में रुकने के कारण यह निर्णय किया गया था कि विमान को बैंग्कोक पर न रोका जाय। फिर हांगकांग में पहुंचने पर चूंकि वहां लगातार बारिश हो रही थी, यात्रियों को विमान से नहीं उतरने दिया। यदि यात्रियों को विमान छोड़ने दिया होता तो वहां के मौसम से उनको और अधिक कठिनाई होती और हो सकता है कि वे टोक्यों भी और देर से पहुंचते।

होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर पुल

1714. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर सड़क के पुल के निर्माण में अत्यधिक देरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य को तेजी से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण एक राज्य परियोजना है। परन्तु भारत सरकार ने इस पुल के लिये 13.34 लाख रु० का सहायता अनुदान दिया है। पुल का काम फरवरी, 1960 में आरम्भ किया गया था और कार्यक्रम के अनुसार पुल को फरवरी, 1962 में पूरा हो जाना चाहिये था। पुल की नींव तथा प्रस्तम्भों का सारा काम प्रस्तम्भ टोपी की चोटी तक पूरा हो गया था, परन्तु आगे का काम 3 मिली मीटर के 'हाई टेंजाइल' इस्पात के तार की अपेक्षित मात्रा देश में न उपलब्ध होने के कारण रुक गया था। इसलिये पुल के डिजाइन को बदलना पड़ा जिस से कि 7 मिली मोटर की तार काम में लाई जा सके जिसका निर्माण देश में आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार ने इस्पात की अपेक्षित मात्रा प्राप्त कर ली है। मई, 1964 में राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुल जून, 1965 तक पूरा हो जायेगा।

बेबी फूड

1715. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि राजधानी में बच्चों के खाने की वस्तुएं उपभोक्ताओं के विचोलियों को हटा कर मूल्य निरोध आंदोलन के संयोजकों की एजेंसी द्वारा बेचा जायें ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन

1716. **श्री हिम्मत सिंहजी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय:
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन में जूनियर आफिस असिस्टेंटों की नौकरियां दो साल पूरे होने से पहले ही मुअत्तल कर दी जाती हैं और उन्हीं व्यक्तियों को फिर से नौकरियों पर रख लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री काननगो) : (क) और (ख) जी नहीं । हां, कार्पोरेशन ने बताया है कि दो मामलों में जूनियर असिस्टेंटों की नौकरियां मुअत्तिल कर दी गई थीं क्योंकि कर्मचारियों की संख्या का हिसाब फिर से लगाया गया था ।जसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू हो गये थे । बाद में जब स्थान खाली हुए तो इन दोनों जूनियर अ.सस्टेंटों को फिर से नौकरी पर रखने के लिये पूछा गया था । एक ने मंजूर कर ली और ौकरी पर आ गया जब कि दूसरा ड्यटी पर नहीं आया । मुअत्तली के समय उन व्यक्तियों की ौकरियां लगे लगभग दो महीने हुए थे । इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें कि अल्प समय के लिये रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की गई हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां

1717. **श्री हेम राज :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन्हें कब प्रकाशित किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के लिये प्रस्ताव अब लगभग सभी राज्यों से प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं । निर्णय यथासंभव शीघ्र किये जायेंगे ।

Delhi Milk Scheme

1718. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the employees of the Delhi Milk Scheme have presented a memorandum to him wherein they have requested not to convert it into a Limited Company ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Delhi Milk Scheme is a commercial organisation and can run efficiently only if it is converted into a Limited Company. The Ministry of Food and Agriculture are, therefore, going ahead with their plans to convert the Delhi Milk Scheme into a Company.

इन्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के लिये कारवेल विमान

1719. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा चौथे कारवेल विमान के लिये दिये गये क्रयादेश पर वह विमान प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब और किस मार्ग पर सेवा के लिये लगाया गया है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) विमान 2 दिसम्बर, 1964 को भारत पहुंचा । चौथा कारवेल विमान 1-4-1965 से प्रभावशाली ढंग से कारवेल्स द्वारा दी गई क्षमता की अनुपूर्ति का काम आरम्भ कर देगा और निम्न अतिरिक्त भागों पर कारवेल सेवा चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कलकत्ता/मद्रास
दिल्ली/बंगाल/दिल्ली
मद्रास/बंगलौर/मद्रास
बम्बई/बंगलौर/बम्बई

चुनाव चिन्ह

1720. श्री ह० चं० सोय : क्या **विधी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में झारखंड दल के इन्डियन नेशनल कांग्रेस में तथा प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के सोशलिस्ट पार्टी में मिलने से इन दलों के लिये रक्षित चुनाव चिन्हों पर असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कितना ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) (एक) बिहार में झारखंड दल से निर्वाचन आयोग में प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दल इन्डियन नेशनल कांग्रेस में अन्तिम रूप से नहीं मिला है । इसलिये निर्वाचन आयोग अब भी इस दल को इस के लिये रक्षित चुनाव चिन्ह 'कुक्कट' पर उस राज्य में पृथक राजनैतिक दल के रूप में मान्यता देता है ।

(दो) इस बात से संतुष्ट हो कर कि भूतपूर्व प्रजा-सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां अलग अलग राजनतिक दल के रूप में नहीं रही हैं और मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली हैं, निर्वाचन आयोग ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को मान्यता दे दी है, और 'झोपड़ी' का चुनाव चिन्ह दिया है । चुनाव चिन्हों की सूची से 'वृक्ष' के चिन्ह को हटा दिया गया है ।

Milk Prices in Delhi

1721. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have tried to ascertain through any committee or social institution that the price of milk in the capital this year has doubled as compared to the corresponding price last year ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) According to the consumers price data collected by the National Consumer Service of the Central Bharat Sewak Samaj, which was sponsored by the Planning Commission and which operates through voluntary organisations, the arrange prices of milk in Delhi were as follows :—

	March, 1963	December, 1964 (2nd week)
Buffalo's Milk	Rs. 0·74 per litre	Rs. 1·07 per litre
Cow's milk	Not available	Rs. 1·04 per litre

2. The above figures will show that the price of Buffalo's milk in December, 1964, is not double of that in March, 1963.

3. The sale prices of the three kinds of milk sold by the Delhi Milk Scheme at present are also not double of those which obtained last year. The price increase was from 62 P. to 70 P. per litre in the case of buffalo's and cow's milk and from 42 P. to 44 P. per litre in the case of toned milk.

कोंकण जहाज सेवाएं

1722. श्री दिगे : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस के अवगत है कि बम्बई स्टीम नैवीगेशन कम्पनी ने कोंकण तटरेखा पर एक सप्ताह में तीन दिन के लिये जहाज़ चलाना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कौन कौन सी सेवायें बन्द हो गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सेवाओं को बन्द करने के लिये आज्ञा दी थी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) गोआ में सेंट फ्रांसिस जैविएर की मूर्ति प्रतिष्ठान के समय प्रत्याशित भारी यातायात के कारण बम्बई स्टीम नैविगेशन कम्पनी (1953) लिमिटेड ने भारत सरकार की स्वीकृति से तथा महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से अपनी सेवाओं में ये परिवर्तन किये हैं ;

(1) वेंग्रेला सेवा, जो पहले एक सप्ताह में 6 दिन चलाई जाती थी अब केवल 3 दिन चलाई जा रही है;

(2) पंजिम सेवा, जो पहले सप्ताह में केवल दो दिन चलाई जाती थी अब 6 दिन चलाई जा रही है।

(3) पालशेत, बोरिया, तिवेरी और रानपुर के पत्तनों पर पहले पंजिम सेवा का जहाज आता है और अब वहां पर वेंगेरला सेवा (जिसका नाम बदलकर मालवान सेवा रख दिया गया है) का जहाज़ आता है;

(4) पंजिम सेवा के मार्ग में रत्नागिरी और वेंगरेला के पत्तनों को शामिल कर लिया गया है;

(5) वेंगरला सेवा वेंगरला के बजाय मालवान पर समाप्त होती है।

उपर दिया गया कार्यक्रम 20 नवम्बर, 1964 से लागू किया गया था और लगभग 15 जनवरी 1965 तक लागू रहेगा।

अमरीका से गेहूं का आयात

1723. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री प्र० ह० भील :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से कुल कितना गेहूं आयात किया गया ;

(ख) ऊपर दी गई अवधि में प्रत्येक वर्ष में जहाज़ वालों को गेहूं के वाहनांत्रण के लिये भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) गेहूं के वाहनांत्रण के लिये टेंडर मंजूर करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है और ठेकेदारों को कितनी अवधि दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख)

वर्ष	आयात किये गये गेहुं की मात्रा (हज़ार मीट्रिक टनों में)	लगभग भाड़ा जो कि आयात की गई मात्रा पर दिया जा सकता है (करोड़ रुपयों में)
1961–62 .	1844.0	13.58
1962–63 . .	3003.4	22.86
1963–64 . . .	4054.2	33.43

(ग) पी० एल० 480 कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत वस्तुएं अमरीकी जहाजों में भेजी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में आई० एस० एम० वाशिंगटन द्वारा जहाज़ भाड़े पर लिये जाते हैं। गैर अमरीकी जहाजों के भाड़े पर लिये जाने का माल भाड़ा मुख्य नियन्त्रक नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

महानिदेशक, भारतीय संभरण आयोग, वाशिंगटन निम्न प्रक्रिया का पालन करता है। भाड़ा मंडी में प्रारम्भिक जांच के पश्चात, मंडी की स्थिति को देखते हुए और ऐसी अन्य बातों का ख्याल रखके जिनका भाड़े की दरों पर असर पड़ता है भाड़े की पेशकश और प्रतिपेशकश की जाती हैं और जो अच्छी से अच्छी भाड़े की दरें और शर्तें संभव होती हैं वे तय की जाती हैं।

वाणिज्यिक जहाजरानी की प्रणाली के अनुसार जहाजों को भाड़े पर सामान्यत: टेलीफोन पर बातचीत करके टेलीफोन पर वायदा करके, लिखत अथवा टेली टाइप में टेन्डर देकर पक्का किया जाता है। पुष्टी पत्रों, टेलीटाप्स आदि की अदला बदली के तुरन्त पश्चात भाड़ा पार्टियां बनाई जाती हैं।

महानिदेशक, भारत संभरण आयोग टेन्डर मंगा कर जहाजों को भाड़े पर रखता है, जबभी वह उचित समझता है, उदाहरणार्थ जब भाड़ा मंडी में मंदा आता है। कभी कभी जब कि मंडी मज़बूत होती है, भाड़े के बात चीत द्वारा तय करने के अन्य तरीकों को अपनाया जाता है और मंडी को हम अपनी मांग से अवगत नहीं होने देते।

परिवहन मंत्रालय का केन्द्रीय भाड़ा संगठन का तरीका यह है कि भाड़ा अधिकारी मान्यता प्राप्त भाड़ा दलालों से मिलता है और फिर जहाजों को भाड़ा पर तय करता है। जब यह निश्चित हो जाता है कि भारतीय जहाज़ उपलब्ध नहीं हैं तो सभी दलालों से भाव मंगाये जाते हैं जो कि निर्धारित पत्र में होते हैं और उसमें आवश्यक ब्योरे दिये होते हैं। उत्तर जिनमें पक्की पेशकश होती है जहाज़ मालिकों से लंदन के दलालों द्वारा निर्धारित समय पर मांगे जाते हैं या तो उसी शाम को या फिर अगले दिन सुबह को और फिर प्राप्त सभी पेशकशों का मुकाबिला करके सब से आकर्षक पेशकश के भाव और शर्तों के लिये बात चीत की जाती है और अन्य दलालों को जो बोली में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं उनको पर्ची दी जाती है कि उनकी पेशकशों खुली हैं।

अमरीका से गेहूं का आयात

1724. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री प्र० ह० भील :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं आयात करने के लिये भारत सरकार द्वारा कितनी क्षमता के जहाजों को मंज़ूर किया गया है;

(ख) क्या जहाजों की क्षमता बढ़ा कर भाड़े का खर्च घटाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जहाज का डुबाव 30 फूट तक रखा गयाँ है और एक जहाज़ अधिक से अधिक 22,000 टन माल ले जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या जहाज के आकार को बड़ा कर के भाड़े को घटाया जा सकता है और साथ साथ डुबाव प्रतिबन्धों और उपलब्ध पत्तन और निष्कासन सुविधायों में परिवर्तन न किया जाये।

राजस्तान में अकाल

1725. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के लगभग 600 गावों में अकाल की स्थिति से संबन्धित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या सहायता दी हैं; और

(ग) इस समय अन्य राज्यों के कितने गावों में कमी की स्थिति है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कुछ गलत अखबारी खबरों को छोड़ कर सरकार को राजस्थान के गावों में अकाल की स्थिति के चालू वर्ष में कोई समाचार नहीं मिले हैं। राजस्थान सरकार से एक विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सहायता के पर विचार किया जायेगा।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य तथा कृषि संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन

1726. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मनीला में हुई खाद्य तथा कृषि संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन कौन से विषयों पर चर्चा की गई और क्या क्या निर्णय किये गयें ; और

(ग) उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

(1) एशिया और सुदूर पूर्व में खाद्य तथा कृषि की स्थिति।

(2) इस क्षेत्र में खाद्य तथा कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(3) विश्व खाद्य कांग्रेस और भूख से मुक्ति आंदोलन का भविष्य में संचालन।

(4) (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषिकों को तैयार करना।
(ख) कृषिकों में सामाजिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना।
(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषिकों के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना।
(घ) जापान के क्षेत्रीय अध्ययन में सफल कृषि सम्बन्धी विकास।

(5) विकास योजनाओं की पूर्ति में कृषि सम्बन्धी शिक्षा का महत्व।

(6) कृषि उद्योगों का आर्थिक विकास तथा पोषाहार सम्बन्धी सुधार में अंशदान।

(7) दुग्ध पदार्थों के लिए सफल योजना और उसे चालू के लिए आवश्यक बातें।

(8) क्षेत्र में वाणिज्य समस्यायें और सम्भावनायें।

(9) जनसंख्या में वृद्धि का सुदूर पूर्व में खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी विकास पर प्रभाव।

(10) खाद्य तथा कृषि संगठन के इस क्षेत्र में कामों को भविष्य में चलाना।

सम्मेलन की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है :—

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस का ध्येय कृषि विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, गवेषणा और मंत्रणा सेवाओं की व्यवस्था करना है। खाद्य उत्पादन और कृषि सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन के संसाधनों को विकासशील देशों की सहायता करने के लिए लगने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इस बात को स्वीकार किया गया कि इस क्षेत्र के देशों में चावल के रोगों के विरूद्ध एक आंदोलन जारी किया जाये जिसमें पर्याप्त सामान वाले एक विमान सर्वेक्षण दल के संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाये और यह दल एक देश से दूसरे देश में जा सके।

पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए एक आपात निधि की स्थापना करना स्विकार किया गया है। बुनियादी खाद्यान्नों के सम्बन्ध में पूरी तरह सोच विचार कर प्रभावी मूल्य नीति के महत्व को स्वीकार किया गया। उच्च मूल्यों की बजाये उचित मूल्यों की आवश्यकता को अनुभव किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि कृषि उत्पादनों सम्बन्धी मूल्य नीति का उद्देश्य बढ़ रहे उपभोक्ता मूल्यों और स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकना होना चाहिये। लाभप्रद कृषि कार्य के इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं को घटा कर, विशेष रुप से उर्वरकों, और कीटनाशिकों के क्रय में वित्तीय सहायता करके और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तथा डीज़ल के मूल्यों को कम करके, उत्पादन की लागत कम करने की नीति का समर्थन किया गया।

इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि भूख से मुक्ति की समस्या का सामना दो तरफा प्रयत्नों से किया जायेगा। प्रथम कृषि का उत्पादन बढ़ा कर और दूसरे सन्तति निग्रह के उपायों से जनसंख्या में अनुचित वृद्धि पर नियंत्रण करके ऐसा किया जायेगा।

कृषि के उत्पादन में कृषि उद्योगों तथा नगरों में बेकार जाने वाली वस्तुओं के प्रभावी प्रयोग के महत्व को स्वीकार किया गया।

(ग) अधिकांश सिफारिशों पर खाद्य तथा कृषि संगठन ने कार्यवाही करनी है। सम्मेलन का प्रतिवेदन मिलने पर सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

तूतीकोरीन पत्तन परियोजना

1727. **श्री मुथिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा चालू वर्ष के लिए सितम्बर, 1964 में प्रस्तुत किये पुनरीक्षित प्राक्कलनों को स्वीकार कर लिया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विभिन्न परियोजनाओं सम्बन्धी आयव्ययक के प्रस्तावों के साथ साथ तूतीकोरिन पत्तन परियोजना से प्राप्त हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन अभी विचाराधीन हैं। तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के लिए अन्तिम रुप में स्वीकृत की गई राशि अनुदानों की मांगों में सम्मिलित कर दी जायेगी और 1965–66 के लिए आयव्ययक प्रस्तावों के साथ संसद में प्रस्तुत की जायेगी।

Block Development Officers

1728. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to abolish the institution of Block Development Officers in the various States ; and

(b) if so, when and the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Community Development & Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत तथा जर्मनी के बीच कृषि सम्बन्धी करार

1729. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा पश्चिम जर्मनी सरकार ने कृषिज वस्तु सहायता कार्यक्रम के अधीन कृषि सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किय हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्योरा क्या हैं ; और

(ग) यह समझौता कौन कौन सी वस्तुओं पर लागू होता है और उन वस्तुओं का भारत को सम्भरण और आयात कब होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत तथा पश्चिम जर्मनी की संघ सरकार के बीच हुये 14 मई, 1962 को हुये करार के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के मण्डी ज़िले में कृषि के विकास के लिए एक दूसरे को मंत्रणा देने के लिए एक अनुपूरक करार हुआ है।

(ख) और (ग) अनुपूरक करार के अधीन जर्मन सरकार भारत सरकार को लगभग डी एम 654,600 (लगभग 7,79,000 रुपये) के मूल्यों के कृषि के उत्पादन के साधन उपलब्ध करायेगा जैसे उर्वरक, कीटनाशक और कृषि के उपकरण जैसे ट्रैक्टर तथा पोधों के संरक्षण का सामान।

इन वस्तुओं का सम्भरण रुपयों में भुगतान के आधार पर किया जायेगा और यह राशि जर्मनी की संघ सरकार के खाते में भारत के रक्षित बैंक में रखी जायेंगी। परन्तु यह रुपया मण्डी जिले की सहकारी संस्थाओं के लिए गोदामों का निर्माण करने के लिए भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। चालू वर्ष के अन्त से पहले यह वस्तुऐं भारत में भेजे जाने की आशा है।

मुन्दका गांव के निकट ग्रांड ट्रन्क रोड पर सड़क दुर्घटनायें

1730. **श्री किशन पटनायक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से रोहतक की ओर जाने वाली ग्रांड ट्रंक सड़क पर मुन्दका गांव के निकट गत माह सड़क-दुर्घटनाओं में चार बच्चों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सड़क पर चलने वाले बस तथा ट्रक बहुत तेज गति से चलते हैं और सड़क के पास एक स्कूल के लिए लगे हुए सड़क संकेतों की उपेक्षा करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने इस बारे में कई शिकायतें की हैं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नवम्बर, 1964 में (28 नवम्बर, 1964 को) मुन्दका गांव के निकट एक 4 वर्ष के बच्चे को एक कार से चोट आई और दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी ।

(ख) ग्रांड ट्रंक सड़क पर चलने वाली सभी मोटर गाड़ियां यातायात सम्बन्धी संकेतों का पालन करते हुये तेज गति से नहीं चलायी जाती हैं। तथापि दिल्ली की यातायात सम्बन्धी पुलिस सड़क पर मोटर गाड़ियों को तेज चलाने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चला रही है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस बारे में केवल एक ही शिकायत मिली है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन का सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेषत: मुंदका गांव के निकट निम्न-लिखित अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है :—

(एक) मुन्दका गांव के निकट गति पर नियंत्रण करने की व्यवस्था का विस्तार किया जायेगा ।

(दो) स्कूल के बच्चों तथा गांव के प्रौढ़ों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जायेगा ।

(तीन) यातायात पुलिस के सुपरिन्टेन्डैन्ट द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किये जाने के बाद, रेलिंग बैरियरों को ऊंचा करने तथा सड़क को चौड़ा करने, कूड़ा फैंकने के स्थानों का निर्माण आदि कार्य किये जायेंगे ।

(चार) उपरोक्त (तीन) में बताई गई सर्वेक्षण समाप्त किये जाने के बाद, यदि आवश्यक समझा गया तो, बस स्टापों के स्थानों को बदलने का काम भी किया जायेगा ।

बाल-अपचारी

1731. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बाल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि बाल-अपचारियों द्वारा किये गये अपराधों की जांच करने के लिये एक अलग अभिकरण होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस नियम को कब से लागू किया गया, और पुलिस अपनी यूनिफोर्म में ही नाबालिक बच्चों से क्यों पूछ-ताछ करती है ;

(ग) क्या एक भूतपूर्व डी० आइ० जी० द्वारा 6 वर्ष पहिले दिया गया एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था जो बालकों के अपराधों की जांच करने के लिए बाल-मनोविज्ञान में प्रशिक्षित लोगों का एक अभिकरण स्थापित किये जाने के बारे में था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) बम्बई बाल-अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि बाल-अपचारी के किसी मामले में पुलिस द्वारा जांच किये जाने के अतिरिक्त, सम्बन्धित क्षेत्र के प्रोबेशन अधिकारी भी सामाजिक ढंग से उस मामले की जांच करेंगे ।

(ख) बम्बई बाल-अधिनियम, 1924, दिल्ली में 1940 में लागू किया गया । उपरोक्त अधिनियम के स्थान पर "संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये 1960 का बाल-अधिनियम" लागू कर दिया गया । अब दिल्ली में नाबालिक बच्चों द्वारा किये गये अपराधों की जांच इस नये अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाती है ।

(ग) तथा (घ) जानकारी के अभाव में स्थिति का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

Contribution under Employees' Provident Fund Act, 1952

1732. **Shri Ramanand Shashtri :**
Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the employer's contribution payable under the Employees' Provident Fund Act, 1952 is recovered from the establishments covered by it for the period prior to the detection of the existence of such establishments or the date of application of the Act thereto ;

(b) whether this procedure is not being followed in the case of establishments in the States of Madras and West Bengal where the contribution is not recovered for the period prior to the detection of the existence of such establishments ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) Yes. The employer's contribution is recovered for the period prior to the detection of the existence of the establishments. The question of any recovery for any period before the application of the Act does not arise.

(b) & (c) Yes. The Madras and Calcutta High Courts have held retrospective application of the Act and the Scheme framed threunder to be illegal and hence no contributions are realised for the pre-detection period in the West Bengal and Madras regions.

Unloading operations at Bombay Port

1732-A. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any complaints have been received against the contractor responsible for unloading goods at Bombay port ;

(b) whether it is a fact that the aforesaid contractor could neither deposit the required security nor could work in accordance with the terms of contract ;

(c) whether there has been any irregularity in making prior payments to him ;

(d) whether it is a fact that the contractor did not fulfil the terms of agreement with labour and the Government had to take over the work to be done departmentally ;

(e) the amount of demurrage paid to foreign ships for not unloading food materials for pretty long time ; and

(f) if the replies to parts (a), (b), (c) and (d) above be in the affirmative, the nature of enquiry made in this connection ?

The Deputy Minister of Food & Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Stevedoring contractors attend to unloading of ships. The subsequent parts of the question, however, indicate that the question relates to the last clearance contractors. The reply is in the negative.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) It is not a fact that the clearing contractor did not fulfil the terms of his Agreement with the labour. On the contrary, the Labour Union who had signed an Agreement with the clearing contractor to last till the duration of the contract went back on the agreement. For smooth working of the Port, it was decided to concede various concessions to the labour. The contract with the Clearing contractors which was to run upto April, 1965 was terminated on 31-7-1964 and the work was taken over departmentally.

(e) The total amount of ship demurrage incurred during the period April, 1962 to July, 1964. was about Rs. 52,00,000 of which Rs. 30,00,000 were from April 1964 to July 1964 on account of the go-slow tactics adopted by labour from middle of April, 1964.

(f) Does not arise.

Legal Terminology of Central Statutes

1732-B. Shri Rameshwaranand : Will the **Minister** of **Law** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 423 on the 9th December, 1964 and state :

(a) whether the comments have been received from the State Government of Punjab on the Legal terminology and draft texts of the Central Statutes prepared by the Official Language (Legislative) Commission ; and

(b) if so, the nature thereof ?

Deputy Minister of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Comments of the State Government of Punjab on the Hindi texts and terminology of the Indian Penal Code and the Indian Evidence Act and on the terminology only of the Transfer of Property Act, the Indian Sale of Goods Act, the Indian Partnership Act and the Indian Contract Act, have been received by the Official Language (Legislative) Commission.

(b) The Government of Punjab have generally accepted the terminology evolved by the Official Language (Legislative) Commission.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गोवा में पंजिम के पास पुलिस द्वारा गोली चलाया जाने का समाचार

श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें : "20 दिसम्बर, 1964 को गोवा में पंजिम के निकट पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और कई घायल हो गये।"

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : 12-11-1964 से वास्को बंदरगाह पर श्री जेराल्ड पैरिएरा यूनियन (साम्यवादी) द्वारा समर्थित विंचवालों का एक वर्ग हड़ताल पर था। इंटक यूनियन के कुछ विंचवालों की मदद से किसी तरह काम चलाया गया। मजदूरों की नौकरियों को पक्का करने की एक योजना के रूप में नियोजकों ने विंचवालों का एक समुच्चय (पूल) बनाया। हड़तालीं विंचवालों

ने पूल में शामिल होने से इंकार कर दिया। 20 दिसम्बर को कुछ विचवाले केरल से आ पहुंचे। इस से स्थिति भड़क उठी और पत्थरों से लैस स्त्रियों और बच्चों ने 20-12-1964 को शाम के 4 बजे से वास्को और बंदरगाह को जाने वाली सभी सड़कें रोक लीं। सारा यातायात ठप हो गया। पुरुष खुल्लम-खुल्ला और छिपी जगहों से उन्हें उकसा रहे थे। उन्हें मनाने की सभी कोशिशें बेकार रहीं। भीड़ को तितर बितर करने के लिये शाम के 5.30 बजे आंसू लाने वाली गैस के गोले छोड़े गये और कुछ गिरफ्तारियां की गईं। इसके बाद बलवाइयों ने वास्को और बंदरगाह क्षेत्र पर पत्थर बरसाये। उन्होंने दो मोटर कारें उलट दीं। और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सहायक अधीक्षक (असिस्टैन्ट सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस) की कार को चूर-चूर कर दिया। बलवाइयों ने मिट्टी के तेल की मशालों से दो अन्य कारों को भी आग लगाने की चेष्टा की। रेल गाड़ियां रोक दी गईं। भीड़ के हंगामे और पत्थर फेंकने से 26 पुलिस अधिकारी व सिपाही जिन में पुलिस के सहायक अधीक्षक व उप-अधीक्षक (डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) शामिल थे, घायल हुए। उनके सिर, छाती, चेहरे और टांगों आदि पर चोटें आईं। उनमें से छः अस्पताल में दाखिल कर लिए गये और 20 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। चार पुलिस की और छः निजी गाड़ियों को तथा सड़क की रोशनी की बत्तियों को नुकसान पहुंचा। यदि पुलिस द्वारा कार्यवाही न की जाती तो नुकसान इससे बहुत ज्यादा व्यापक होता। पुलिस के सहायक अधीक्षक को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा क्योंकि स्थिति काबू से बाहर हो रही थी। दो बार गोली चलाई गई।

एक आदमी की छाती पर गोली लगी और वह मर गया। दूसरे आदमी के पेट पर गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाते हुए वह रास्ते में मर गया। गोली चलने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। अब वहां की स्थिति शान्तिमय और काबू में है। बन्दरगाह का काम भी अंशतः फिर से शुरू हो गया है।

गोवा की सरकार ने एक दण्डाधिकारी द्वारा जांच किये जाने का आदेश दे दिया है।

श्री बालकृष्ण वासनिक : सरकार स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये पहिले कौन से उपाय काम में लायी अथवा स्थिति को सुधारने के किये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये, गोली चलाने से पहिले, कोई अन्य समुचित उपाय जैसे लाठी चार्ज करना आदि काम में लाने का प्रयन्त किया?

श्री हाथी : जहां तक श्रम-स्थिति में सुधार करने व श्रमिकों में अशान्ति रोकने का प्रश्न है—उस पर श्रम मंत्रालय विचार कर रहा है और उसने सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए एक जांच न्यायालय नियुक्त कर दिया है। मजूरी के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की गई है; जहां तक अशान्ति रोकने का प्रश्न है पुलिस इस बारे में पर्याप्त पूर्वोपाय काम में लायी है।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : इस हड़ताल को करवाने वाली यूनियन का क्या नाम है? क्या हड़ताल करने से पहिले इस यूनियन ने इस मामले में मध्यस्थता सम्बन्धी कोई बातचीत करने का प्रयत्न किया था; यदि नहीं तो सरकार इस यूनियन की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री हाथी : जेराल्ड पेरिएरा यूनियन (साम्यवादी) ने इस हड़ताल का समर्थन किया। समझौते के बारे में कार्यवाही वास्तव में 11 तारीख को प्रारम्भ हुई और 12 तारीख को उन्होने हड़ताल कर दी। उन्हें बन्दी किया गया और बाद में छोड़ दिया गया। हड़ताल फिर चालू हो गई। जहां तक यूनियन के कार्यग्राहियों का सम्बन्ध है, इस बारे में श्रम मंत्रालय कार्यवाही करेगा।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether the Police had obtained the Magisterial order before they fired? Why were not the precautionary measures taken to prevent the ugly situation, and whether a separate court of Inquiry has been appointed to look into the matter?

श्री हाथी : मैंने पहिले बतया है कि गोवा की सरकार ने इस मामले में जांच किए जाने का आदेश दे दिया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether Government have made any effort to bring about a feeling of Cooperation between these three unions, with a view to prevent such undesirable incidents in future ?

श्री हाथी : सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय ने जांच न्यायालय की नियुक्ति के बारे में आदेश दे दिया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : May I know whether the hon. Minister replies after he has received reports submitted by the Intelligence Bureau ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that a Magisterial Inquiry has already been ordered and the Magistrate will submit his report in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : May I know whether it is a fact that the firing was resorted to in an irresponsible manner ; and whether a visitor from Kerala also died as a result of the firing ?

Shri Hathi : All the information in my possession has been given in the Statement.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether Government are prepared to appoint a high powered Committee or a similar machinery which would conduct negotiation with the Representatives of the unions for a permanent settlement of the problem relating to the labour trouble at the harbour ?

Shri Hathi : The trouble that has been created is due to rivalries between the labour unions. The labour Ministry had appointed an Inquiry Committee to look into the matters relating to inter-union rivalry. So far as wages are concerned, a Wage Board has been appointed to go into this question and this matter is also considered by the Labour Minister, Home Minister and the Chief Labour Commissioner together.

श्री शिकरे (मरमागोवा) : मरमागोवा पतन में मजदूरों के झगड़े नहीं होते थे। इसका कारण क्रूर पुर्तगाली शासन था । यह भी सच है कि वहां चल रही स्थिति का कारण यूनियनों की कुछ आपसी बैर-भाव अथवा प्रतिद्वन्दिता भी है.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री शिकरे : कांग्रेस-प्रायोजित यूनियन का वहां अन्त में जन्म हुआ, अतः तुलनात्मक दृष्टि से वह औरों से कमजोर है.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण न दें । वह जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री शिकरे : क्या सरकार, उन यूनियनों को जो कांग्रेस-प्रायोजित नहीं है अप्रत्यक्ष रुप से उनमें आपसी फूट पैदा कर उन्हें नष्ट करने के प्रयत्नों के बदले पत्तन में स्वच्छ, न्यायिक तथा बिना पक्षपातपूर्ण श्रम आन्दोलन सुनिश्चित करने के बारे में कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह सच है कि पुर्तगाली शासन काल में किसी भी श्रम आन्दोलन को चलाने की आज्ञा नहीं थी। स्वाधीनता के बाद ही वहां मजदूर संघ आन्दोलनों का जन्म हुआ। वहां संघों में आपसी प्रतिद्वन्दिता रही है इसी के परिणामस्वरूप यह हड़ताल भी हुई है, हड़ताल के असफल होने जाने तथा पत्तन में काम फिर से शुरू हो जाने के बाद संघ में कुछ निराशा (फ्रस्ट्रेशन) की भावना पैदा हो गयी जिससे.....

श्री अ० प्र० शर्मा : यह साम्यवादी संघ था।

श्री राजबहादुर : जी हां, यह सब कार्यवाही हड़ताल असफल होने के बाद की....

श्री : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने जिस बारे में प्रश्न किया था, मंत्री महोदय ने उसका उत्तर न देकर अन्य किसी और प्रश्न का उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य लोग बीच-बीच में अन्तर्बाधायें डाल देते हैं जिससे कि मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे पाते हैं।

श्री नम्बियार : एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्री अ० प्र० शर्मा ने कहा है कि यह साम्यवादी यूनियन थी, किन्तु यह भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय सदस्य साम्यवादी होकर भी अपने को साम्यवादी कहने में क्यों डरते हैं?

श्री नम्बियार : माननीय सदस्य का भी आइ० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्ध है तो फिर वह अपने को इससे सम्बन्धित बताने में क्यों डरते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से पहिले अनुरोध किया है कि कोई भी सदस्य इस ढंग से न बोलें और बीच में अन्तर्बाधायें न डालें जब तक कि ऐसा करना बहुत आवश्यक न हो गया हो।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार ने बम्बई तथा गोवा के उत्तरदायी पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचार पर विचार किया है जिसमें यह कहा गया है गोवा के इस मर्म पत्तन में अनवरत अशान्ति रहने का मूल कारण भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा अपनाया गया उत्तेजक तथा निगुढ़ दृष्टिकोण है। यह नीति अन्य यूनियनों को बदनाम करने की एक राजनैतिक चाल है।

श्री हाथी : मेरे विचार में इस अशान्ति का मुख्य कारण यूनियनों की केवल पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता है, अतः इस मामले में जांच करने के लिए अनुसंधान न्यायालय की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री रविन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : क्या यह सच है कि घटना के दिन अचानक ही बिजली की सप्लाई बन्द हो गई; यदि हा, तो क्या सरकार यह बता सकती है कि इसका कारण तोड़ फोड़ की कार्यवाही थी अथवा सामयिक बिजली सप्लाई की विफलता थी?

श्री हाथी : सड़कों पर लगी बिजली की बत्तियां हिंसात्मक कार्यवाहियों द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई थी।

श्री कृ० च० पन्त (नैनीताल) : इस हड़ताल के परिणाम स्वरुप कुल कितनी विदेशी मुद्रा तथा विलम्ब-शुल्क की हानि उठानी पड़ी?

श्री हाथी : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं और इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

सदस्य को सभा की सेवा से निलम्बित किये जाने के बारे में

(डा० राम मनोहर लोहिया)

RE : SUSPENSION OF MEMBER FROM SERVICE OF THE HOUSE

(Dr. Ram Manohar Lohia)

अध्यक्ष महोदय : जी, किशन पटनायक ने एक प्रश्न उठाने के बारे में मुझे लिखा है । वह अपना प्रश्न उठा सकते हैं ।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur): Mr. Speaker, I would like to say something regarding Dr. Ram Manohar Lohia's suspension yesterday. There are two aspects of this incident—one is the mistake committed by the Minister of Parliamentary Affairs and the other is your responsibility. The Minister of Parliamentary Affairs gave a promise that Dr. Lohia's motion should be taken up in the House after the return of the Prime Minister. But that promise was not kept by him. The House did not also force him to keep his promise. I would therefore, like you to examine the whole question from this point of view and cancel the suspension.

Mr. Speaker: In so far as the Minister of Parliamentary Affairs is concerned, the Government will give an answer to the points raised. In so far as I am concerned, it was not I who took that decision but the House. The motion was put up to the Committee and that was considered. The whole position will be clear from the reply which the hon. Home Minister is going to give.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): Mr. Speaker, before you call the Home Minister, you may kindly listen to my request first.

Mr. Speaker : I only permitted Shri Pattnayak to Speak.

Shri Ram Sewak Yadav: I would like to submit something for information. This matter is going on right from the very commencement of the Session. On the basis of the Discussion we had here on this matter, it can be concluded that it is the responsibility of the Lok Sabha, the Speaker and the Minister of Parliamentary Affairs to allow a discussion on that motion when a Minister makes a promise in the House for a discussion on some motion that promise should be kept.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, had Dr. Lohia been given some time to think over the Home Minister's statement, that incident might have been avoided. Therefore, I request you to reconsider your decision.

Mr. Speaker : No ; there is no need to say this. Yesterday also Shri Yadav used such words which I felt much. He was casting reflection on me. Today also such things are being said as if I were at fault. If there is any complaint against me that can only be done by bringing a no-confidence motion. Regarding my decision being wrong I said the other day that the finality of my decision does not flow from its correctness ; the correctness is the result of its finality. There is nothing more that can be said about it. Yesterday also I said that granting that the Government was responsible for this or granting that

it was my mistake, even then no member has got this right to claim that he would not let the business of the House proceed further. Therefore, there cannot be any change in this decision.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : It is regrettable that time and again such matters are raised in the House. In the first instance I want to make it clear that we are not afraid of any discussion. But there are some ways to raise a discussion. They are asking for a discussion on the plea that a promise was made and not kept. The question related to the Prime Minister who was not here. At that time the Minister of Parliamentary Affairs replied that he would inform the House after consulting the Prime Minister after his return.

Shri Kishan Pattnayak : He is telling a lie.

Mr. Speaker : That is unfair. How can an hon. Member say like that ?

Shri Kishan Pattnayak : He has made a wrong statement.

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमंद) : माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने चाहियें ।

Mr. Speaker : I would ask Shri Pattnayak to withdraw the word "lie".

Shri Pattnayak : I withdraw the word "lie" and say that what he has said is untrue.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, I would like to submit very humbly that there might have been some misunderstanding that we had been planning to obstruct the proceedings. This is obsolutely fallacious. I did not have anything of that sort in my mind. I have no intention to cast any reflection on you.

Mr. Speaker : I am sorry that we are not conducting the proceedings properly. For running a democracy we have to work with patience and forbearance. Two members can have honest differences but one should not at once say that the other one is telling a lie. I am happy that Shri Ram Sewak Yadav gave his explanation. I have also to say something in this connection. When there were interruptions, I have myself heard Dr. Lohia whispering that he would obstruct the proceedings. Now I am being blamed for asking them that they might decide who had to obstruct the proceedings of the House.

Let us hear what the hon. Minister has to say.

Shri Nanda : I had these proceedings in my hand. I read one part of it and was about to read the other part but he did not hear that. Satya Narayan-ji replied that the person to whom this question related was not then in India and the reply could be given after his return from abroad and that they should know that when the Prime Minister was not here such matter should not be raised. Afterwards he said that the Minister would come on the 7th and a date might be fixed after consulting him and according to his Convenience. The question was that the Prime Minister had to be consulted and it had to be left to him whether a reply was needed or not.

This matter was submitted before the Prime Minister and now the position is that the two points, *i.e.*, Jeeps and Ministers' stay in the villages,

[Shri Nanda]

have been discussed in the House in one form or the other. The third point was contradiction in his statement relating to China. Regarding the contradictions some enquiries were made but the nature of the contradiction could not be known. Therefore, the Prime Minister informed that as he did not find any contradiction there was nothing to reply. I may add that I do not want to take any stand on the Technical ground. Therefore, when the Prime Minister returns, I would request him to make a statement.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कल कार्य मंत्रणा समिति की उप-समिति में इस विषय पर विचार हुआ था और इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है। अब यह सरकार के लिये है कि वह इस बारे में समय दे।

श्री नाथपाई (राजापुर) : दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कि सभा में गम्भीर घटना घटी है और यहां सभा नेता नहीं हैं। क्या उस पार्टी ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि सभा-नेता की अनुपस्थिति में यहां कौन उनका स्थान लेगा ?

पिछले शुक्रवार को संसद-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस बारे में मंजूरी देनी है। और कभी कहा जाता है कि यह प्रधान मंत्री की सहुलियत पर निर्भर करता है। मैं जान सकता हूं कि संसद-कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति की सम्मति लेने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन है कि जिस दिन प्रधान मंत्री वक्तव्य दें उस दिन डा० लोहिया को भी यहां आने की और अपने बारे में कुछ कहने की विशेष अनुमति दी जाये।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं जान सकता हूं कि इस बारे में संसद-कार्य मंत्री अन्तिम निर्णय कब करेंगे ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether the statement will be made before the end of this Session.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Your sympathy, Sir, should go to the persons who are in minority we are obliged to you for that. A serious event has taken place in the House. Shri Jawaharlal Nehru was always present here during the session. But now our Prime Minister is not here. Hon. Home Minister has said that he would ask the Prime Minister to make a statement. I submit that the session is going to end on the 24th instant and the Prime Minister might not return by this time. Under these circumstances how can the Prime Minister make a statement on 24th of this month. What I mean is that the Government should not try to escape from their responsibilities in this way.

श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि 24 तारीख को प्रधान मंत्री यहां होंगे और जिस कठिनाई का उन्हें डर है वह उत्पन्न नहीं होगी।

Shri Kishen Pattnayak : My points have not been answered.

Mr. Speaker : I would like to make it clear that the hon. members cannot have their say in this fashion.

Shri Kishen Pattnayak : The Minister of Parliamentary Affairs has not kept his promise.

Mr. Speaker : I have called the hon. member three times but still he is obstructing the proceedings of the House. I ask the hon. member, Shri Kishen Pattnayak to leave the House.

Shri Kishen Pattnayak : The House is being treated very lightly.

(इसके पश्चात श्री किशन पटनायक सभा से बाहर चले गये)

(Shri Kishen Pattnayak then left the House)

Mr. Speaker : I have also to say something regarding this. Firstly Shri Banerjee wanted a change in my decision regarding suspension of Dr. Lohia. This decision has been made by the House and I am unable to change it. If the hon. member expresses his regret to the House, the House can consider it.

Shri Madhu Limaye : The Minister of Parliamentary Affairs should also express his regret.

Shri Ram Sevak Yadav : Shri Satya Narayan Sinha should also express his regret.

Mr. Speaker : The next point which has been raised here is regarding the hon. ministers' presence in the House. In this connection I would like to suggest—it is a suggestion and not a ruling—that whenever the Parliament is in session, the Ministers should not go out for four days and a half in a week, *i.e.*, monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday (half day). In case there is any State-business, they can go on Friday afternoon and return on Monday. But in this connection there is one condition that the House must sit for five days a week and Saturday and Sunday must be close days. This procedure will eliminate any difficulty in future.

श्री नाथ पाई : मैं ने यह प्रश्न पूछा था कि सभा-नेता की अनुपस्थिति में उनका स्थान यहां कौन लेता है। क्या श्री नन्दा सभा-उपनेता हैं ?

श्री नन्दा : इसका उत्तर तो प्रधान मंत्री देंगे। परन्तु यह हो सकता है कि इस विषय पर विचार करने के लिये कुछ समय लगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपके सुझाव का प्रश्न है मैं निश्चय ही उसपर विचार करूंगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में किसी को तो उनके स्थान में यहां सभा-नेता का कार्य सम्भालना चाहिये।

श्री क० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या इस सदन में सभा-नेता की अनुपस्थिति में कार्यवाही हो सकती है ? किसी को तो यहां सभा-नेता के रुप में उपस्थित होना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर वे विचार करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खादी ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4080 में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 को एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई / देखिये संख्या एल० टी० 3688/64]**

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया के वर्ष 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3689/64]

(2) एयर कारपोरेशन अधिनियम 1953 की धारा 15 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वर्ष 1963-64 के वार्षिक लेखे और उनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3690/64]

(3) एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एयर इण्डिया का वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3691/64]

(4) एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत एयर इंडिया के वर्ष 1963-64 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी** 3692/64]

समवाय विधेयक के अन्तर्गत प्रतिवेदन और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता पत्तन के कमिशनरों और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक लेखे

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई, की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 3693/64]

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, की 31 दिसम्बर, 1963 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3694/64]

(2) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1962-63 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3695/64]

(3) कलकत्ता पत्तन के कमिश्नरों के वर्ष 1962-63 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3696/64]**

(4) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1962-63 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3697/64]**

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमिटेड और इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज के वार्षिक प्रतिवेदन

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमिटेड, मद्रास, की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3698/64]**

(दो) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर, की 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3699/64]**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं सभा की बठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक के बारे में याचिका

PETITION RE : GOLD (CONTROL) BILL

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : मैं संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1963 के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर श्री नाभिराम जोशी तथा अन्य 20 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में आदेश दिया है कि यह याचिका सदस्यों में वितरित कर दी जाय ।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE : POINT OF ORDER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल जब मने यह प्रश्न उठाया था तो उपाध्यक्ष-महोदय ने इसे अस्वीकार कर दिया था । आज भी एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थना की गई है कि स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक में संशोधन किया जाय अथवा इसे रद्द कर दिया जाय । कल जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो उपाध्यक्ष-महोदय ने कहा था कि मेरी ओर से तथा श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी की ओर से प्रस्तुत की गई याचिकायें परिचालित करने का आदेश दे दिया गया है । मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष की आयंगार की बात कही थी । और फिर अध्यक्ष के निदेशों का जिक्र किया था ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय के कहने पर मैंने देखा है कि जब कोई विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सामने हो तो सभा उस पर विचार करना समाप्त कर सकती है। नियम 307(3) के अनुसार याचिका केवल परिचालित ही नहीं होनी चाहिये परन्तु उस पर और कार्यवाही भी होनी चाहिये।

मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं हावड़ा-आमता लाइट रेलवे के कर्मचारियोंकी याचिका की। उस समय श्री गुह याचिका समिति के प्रधान थे। समिति ने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी पर सभा ने यह सिफारिश मानी नहीं थी। अब मैं निदेश संख्या 94 की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि याचिका के सभा में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् याचिका समिति की बैठक होगी और उस पर यथाशीघ्र विचार होगा। अभी अभी एक याचिका प्रस्तुत की गई है और आपने आदेश दिया है कि इसे परिचालित किया जायगा परन्तु इस पर अभी याचिका समिति ने विचार नहीं किया है। नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या 94 इस प्रकार है :

"परन्तु यदि कोई याचिका ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में हो, जो सभा के विचाराधीन हो, तो सभा में उस के उप्रस्थापन अथवा प्रतिवेदन के बाद याचिका समिति यथाशीघ्र समवेत होगी और सभा में विधेयक के लिये जाने से पर्याप्त पहले यथास्थिति सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों को उस याचिका के परिचालन का निदेश देगी।

परन्तु यह और भी कि पहले से ही सभा के चर्चाधीन किसी विधेयक पर याचिका की स्थिति में याचिका समिति उस की प्राप्ति के पश्चात् उस के उपस्थापित किये जाने पर तुरन्त उस पर विचार करने के लिये समवेत होगी और सभाद्वारा उस विधेयक को पारित किये जाने से पर्याप्त पहले, यथास्थिति, सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों को उस याचिका के परिचालन का निदेश देगी।"

मेरा निवेदन है कि याचिका समिति को समवेत नहीं किया गया है तथा विधेयक सभा के चर्चाधीन है अतः मेरा नम्र निवेदन है कि इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : समिति ने तो केवल यह प्रश्न देखना होता है कि क्या यह नियमानुकूल है या नहीं। उसे सभा को सिफारिश नहीं करनी होती। मैंने नियम 307(3) देखा है तथा मेरा मत है उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय प्रश्न है वह अन्तिम है। यह सदस्यों की जानकारी के लिये है ताकि वह वादविवाद में भाग लेते समय इस याचिका में कही गई बातों को ध्यान में रखें।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान् मैं आपके विनिर्णय से सहमत हूं परन्तु नियम 307(3) के अनुसार समिति को याचिका में कही गई शिकायतों पर विचार करने के पश्चात् सुझाव देने होते हैं। हम समिति के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा रहे।

अध्यक्ष महोदय : हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। यदि हम श्री बनर्जी के अनुसार चलें तो याचिक के पश्चात याचिका आती जायगी और हम आगे कोई कार्यवाही नहीं कर पायेंगे।

इरान में तेल सम्बन्धी रियायतों के बारे में वक्तव्य

STATMENT RE : OIL CONCESSIONS IN IRAN

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : 1963 के पूर्व में नेशनल इरायनियन आयल कम्पनी ने फारस खाड़ी के एक बड़े तट-दूर क्षेत्र में तेल की खोज एवं उत्पादन के लिए दिलचस्प पार्टियों को पेशकश की थी। विभिन्न देशों से कई कम्पनियों और संस्थाओं ने इस क्षेत्र में अधिकार के लिए बोली देने वाले के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाया। प्रारम्भ में भारत ने अपने आप को बोली देने के लिए रजिस्टर नहीं कराया, किन्तु बाद में मई 1964 से इटली की ई० एन० आई० और संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्लिप पैट्रोलियम कम्पनी के सहयोग से ऐसा करने का निर्णय किया। ईरान सरकार की

ओर से काम करने वाली नेशनल इरायनियन आयल कम्पनी ने बोली-पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर, 1964 निश्चित की और तेल प्राकृतिक गैस आयोग को, ए० जी० आई० पी० (AGIP) (जो कि ई० एन० आई० का एक अनुषंगी (सब्सिडियेरी) यूनिट है), तथा फिल्लिपस के साथ एक संयुक्त बोलीपत्र पेश करने की अनुमति दी ; यद्यपि तेल प्राकृतिक गस आयोग ने नियत तिथि के अन्दर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था।

तेल प्राकृतिक गैस आयोग, ए० जी० आई० पी० और फिल्लिपस ने एक संयुक्त-बोली-पत्र 28 अक्तूबर, 1964 को प्रस्तुत किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार कई दूसरे बोली देने वाले भी थे ; जिन्होंने तेल-प्राकृतिक गैस आयोग–ए० जी० आई० पी०–फिल्लिपस की अपेक्षा बहुत अच्छी शर्तें पेश की थीं। नेशनल इरायनियन आयल कम्पनी ने बोली-पत्रों को दुबारा मंगवाया और सारे बोली देने वालों को ताजा पेशकश भेजने का अवसर दिया। तदनुसार, तेल प्राकृतिक गैस आयोग–ए० जी० आई० पी०–फिल्लिपस ने संरचनायों (स्ट्रक्चरस) के काफी बड़ी संख्या के लिए संशोधित बोली-पत्र भेजा और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारा संशोधित बोली-पत्र नेशनल ईरायनियन आयल कम्पनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ए० जी० आई० पी० और फिल्लिपस के साथ हुए समझौते की शर्तों के अन्तर्गत तेल प्राकृतिक गैस आयोग उनके साथ बराबर का साझीदार होगा और खोज एवं विकास-कार्य में होने वाले व्यय में बराबर का हिस्सेदार होगा। यह उत्पादित-तेल के बराबर भाग को प्राप्त करेगा तथा प्रबन्ध कार्य में भी बराबर भाग लेगा। नेशनल ईरायनियन आयल कम्पनी से 704,000 डालर की लागत पर तट-दूर क्षेत्र का पूर्ण भूकम्पीय दिता (सीसमिक डेटा) प्राप्त किया गया। इस रकम का एक तिहाई हिस्सा तेल प्राकृतिक गैस आयोग ने अदा कर दिया है। संशोधित बोली के लिए हम ने जो कुल जोखिम उठाया है, उस में अधिकतम 208 लाख डालर की रकम अनुमानतः शामिल है; जिसमें एक तिहाई हमारा हिस्सा होगा।

संसार में अधिकतम बहुप्रजन (प्रोलिफिक) तेल-युक्त प्रदेशों में भी तेल-खोज के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता है किन्तु हमारे साझीदारों का, जिन्हें तेल-खोज एवं उत्पादन क्षेत्र में दीर्घ तथा विभिन्न अनुभव हैं, विचार है कि संरचनाओं में, जिनकी हमने बोली दी है, तेल के बड़े निक्षेपों (रिज़रवस) के पाये जाने की सम्भावना है। मैं आगे यह बताना चाहता हूं कि, यदि उक्त क्षेत्र में तेल पैदा नहीं हुआ तो हमने पूर्ण जोखिम रकम को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ व्यवस्था की है। अतएव यदि संरचनाएं असफल सिद्ध हुई, तो तेल प्राकृतिक गस आयोग को बहुत कम मुश्किल से थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। पर यदि हमें तेल प्राप्त हुआ ; जैसा कि हमें हर प्रकार से आशा है, तो हम अपने बीमा कर्ता को सूद सहित रकम अदा करेंगे, जो वह अग्रिम धन-राशि के रूप में दे रहा है। जोखिम को पूरा करने के लिए कुछ कमीशन भी देंगे।

कुछ समय पहले हमने नेशनल इरायनियन आयल कम्पनी और अमोको इण्टर नेशनल आयल कम्पनी के सहयोग से मद्रास में एक शोधनशाला की स्थापना का निश्चय किया था। इस संशोधनशाला के 1967 के उत्तरार्ध में चालू होने की आशा है। यह निर्णय और फारस खाड़ी के तट-दूर क्षेत्रों में तेल की खोज और उत्पादन के लिए हमारे बोली-पत्र का इरायनियन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत होना, भारत के तेल उद्योग में एक नया अध्याय है। इसके साथ ही ईरान देश से घनिष्ट आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होता है। जिस देश से हमारे प्रागैतिहासिक (प्री-हिस्टारिक) समय से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। इस बातचीत में महामहिम सम्राट, ईरान के शाह और नेशनल इरायनियन आयल कम्पनी के चैयरमैन एवं ईरान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री परम श्रेष्ठ डा० मुहम्मद इग्हवाल ने जो दिलचस्पी ली है, उसके लिए मैं विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि ईरान और भारत के बीच में सहयोग के इस नये अध्याय की सफलता के लिए सदन मेरा साथ देगा और मेरी इस आशा में भाग लेगा कि इससे दोनों देशों के बीच में कई क्षेत्रों में घनिष्ट सहयोग का मार्ग खुल जायेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं जानना चाहता हूं कि यह ए० जी० आई० पी० क्या है तथा हमारे हितों की रक्षार्थ बीमा कौन करेगा ?

श्री हुमायून कबीर : ए० जी० आई० पी० के सम्बन्ध मैं अपने वक्तव्य में ही कह दिया और बीमे बारे में मैं कुछ समय पश्चात् एक वक्तव्य दूंगा।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—जारी

GOLD (CONTROL) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 21 दिसम्बर, 1964 को श्री ति० त० कृष्णमाचारी को द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी अर्थात :—

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों के उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उन के व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

श्री रंगा (चित्तूर) : जैसा सभी जानते है कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है इस लिये इस बिल के लिए समय बढ़ा दिया जाये। 200 से अधिक संशोधनों की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। मेरा विचार है कि सभा समय बढ़ाने के बारे में सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्य : सामान्य चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं श्री रंगा के सुझाव का समर्थन करता हूं। यह एक विवाद-स्पद विधेयक है अतः इस के लिए समय बढ़ा दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान् मैंने संशोधनों को देखा है। उन में से बहुतों में तो एक सी बात ही कहीं गई है। मेरा विचार है कि इस बारे में कुछ अधिक समय मांगा जा रहा है।

श्री मी० स० मसानी (राजकोट) : हमें खण्डवार चर्चा करनी है अतः समय बढ़ाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हम इस के लिये 4 घंटे नियत करते है।

श्री अल्बोरस (पंजिम) : कल भी मैंने स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। इस विधेयक द्वारा सरकार लोगों की सामाजिक आदतो में परिवर्तन नही ला सकती। देश में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रु० का सोना तस्कर व्यापार द्वारा आता है इस विधेयक में इस बारे में कुछ भी नहीं है। स्वर्णकारों पर अनावश्यक रूप से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। तस्कर व्यापार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सोने के बाजार भाव में उतार चढ़ाव से जमाखोरी तथा तस्कर व्यापार और बढ़ेगा। नशाबन्दी में जैसे सरकार असफल रही इस में उसी प्रकार ही होगा।

वास्तविक समस्या की ओर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। तस्कर व्यापार के स्रोतो पर कोई प्रतिबन्ध नहीं जब कि छोटे छोटे स्वर्णकारों के लिये कड़ा कानून बनाया जा रहा है।

लोगों की सामाजिक आदतों को कानून द्वारा बदला नहीं जा सकता। इस देश के जनसाधारण सोना खरीद कर अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे और वह 132 रु० तोले के दर से लिया था अब सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उसे 62 रु० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय दर से बेच सकते है इस प्रकार लाखों निर्धन लोगों को एक प्रकार से लूट लिया गया है। लोग सोने को एक सहारा समझते थे। यदि सरकार पूरी सुविधाएं दे तो भी कुछ हो सकता। अब रु० की कीमत केवल 17 पैसे के बराबर रह गई है ।

हमें लोगों को अपने आदतें बदलने के लिये तैयार रहना चाहिये। और इस के लिये समय चाहिये। सोने के तस्कर व्यापार को रोकथाम होनी चाहिये। इस विधेयक द्वारा तो बेचारे निर्धन स्वर्णकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहे हैं।

यह स्वर्णकार बहुत अच्छे कारीगर हैं और उन निपुणता पर देश को अभिमान है। उन के द्वारा बनी वस्तुओं के विदेशों में कदर है। अब जब कि हम निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे है तो इन कारीगरों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये।

इस विधयक के पास करने तस्कर व्यापार बन्द नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या में स्वर्णकार बेकार हो जायेंगे, निर्यात व्यापार कम होगा। इन सब के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में हानि होगी। अतः मैं इस विधयक का विरोध करता हूं ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक तथा संयुक्त समिति की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। पिछल वर्ष जब इस सदन ने इस विधेयक के प्रस्ताव को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में चर्चा हुई तो यह स्पष्ट हो गया था कि इसका उद्देश्य तस्कर बाजार को समाप्त करना तथा इस प्रकार जो बचत होगी उसे विकास के कार्यों में लगाया जावेगा। उसी समय इस सदन ने इसका अनुमोदन कर दिया था। फिर भी क्योंकि सदन चाहता था कि इस पर अधिक छान बीन हो इसलिये संयुक्त समिती के सौंप दिया।

मैंने संयुक्त समिति के एक सदस्य के रुप में यह देखा लिया है कि इस विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता के बारे में किसी को मतभेद नहीं है। हां जिन बातों पर बल दिया गया वह थी कि इस विधेयक के उद्देश्य को कुछ कम प्रशासनिक खर्च पर पूरा किया जावे।

जिन व्यक्तियों ने समिति के सामने गवाही दी उन्हें केवल यही संदेह था कि इसके तुरन्त लागू करने से उन लोगों को पर इसका प्रभाव होगा जो सोने का काम करते हैं।

यह समझने में कोई समझदारी की आवश्यकता नहीं है कि एक विकासशील समाज में पुरानी आदतों, विचारों आदि को जल्दी से बदलना पड़ेगा और इस से व्यक्तियों के व्यवसाय आदि में भी परिवर्तन होगा। ऐसा करने के लिये एक सुगठित योजना के द्वारा ही हो सकती है इस से व्यक्तियों को नौकरी आदि ठीक दी जा सकें ।

एक बात का मैं उल्लेख करूंगी और वह यह है कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस विधेयक से सोने की तस्कर व्यापार न रुक सकेगा। क्या यह तर्क ठीक है कि सोने की मांग तो देश में बढ़ती रहे और इसकी संभरणा वहीं रहे ? यह तो उल्टी गंगा बहाने वाली बात होगी। वास्तव में बात यह है कि सोने की मांग करते हीं वह हैं जिन्होंने करों से बच कर काला धन इकट्ठा किया हुआ है। वही व्यक्ति कभी अपने काम की पूर्ति के लिये धर्म की आड़ लेते है और कभी स्त्रीधन की और फिर कभी मंगलसूत्र की। यह मैं मानती हूं कि सोने की तस्कर व्यापार को रोकने के लिये हमें अपने कस्टम के विनियम सुधारने होंगे, पता लगाने के ढ़ंग सुधारने होंगे। परन्तु इसके लिये सोने की किस्म पर भी पाबंदी लगानी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि आप द्वार पर तो ताला लगा दें परन्तु खिड़कियां खुली छोड़ दें।

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि निर्धन व्यक्ति सोने को इस लिये रखते हैं क्योंकि और चीजों की ही कीमतें रोजाना बदलती रहती हैं अथवा इसी के द्वारा वह कुछ अपनी बचत कर सकते हैं। अथवा समय पर काम में ले सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि एक उद्योग शील राष्ट्र में व्यक्तियों को रुपया दबाने से नहीं अपितु कारोबार में लगाने से लाभ होता है। इस से तो गिरवी वालों के कारोबार तथा साहुकारों के कारोबार को क्षति पहुंचावेगा।

कुछ सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि 14 कैरेट के गहने बनाने की मशीन ठीक नहीं है अथवा वह काले पड़ जावेंगे अथवा इनकी कोई मांग नहीं होगी। परन्तु मैं यह बता दूं कि फैशन बदलते हैं और जिस चीज पर कल तक व्यक्ति हंसते थे अथवा घृणा करते थे वह आज का फशन बन सकता है।

यह भी सुझाव दिया जाता है इसका प्रभाव हमारे देश 40 करोड़ों में से 99 प्रतिशत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका तो यह मतलब हुआ कि 90 प्रतिशत वह व्यक्ति हैं जिनके पास 50 ग्राम सोने से अधिक सोना है। फिर उन्हें आप निर्धन भी कहते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल सोना के जेवर बनाने का ही काम करते हैं? यदि आप उन सुविधाओं को देखें जो इस काम के बारे में सरकार देना चाहती है तो आप इस परिणाम पर पहुचेंगे कि इस से देश में बेकारी नहीं बढ़ेगी।

अन्त में मैं एक बात कह दूं जिसे संयुक्त समिति में भी लोगों ने व्यक्त किया और वह है कि इस काम के लिए जो प्रशासन नियुक्त किया गया है तथा उसे तलाशी लेने आदि के जो अधिकार दिये गये हैं उन्हें सरकार बड़ी समझदारी से काम में लावेगी जिससे वह मन मानी न कर सके और किसी को वैसे ही तंग न किया जावे।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर उत्तर): मैं मोटे रूप से इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हूं। हमें सरकार की ओर से दिये गये आंकड़ों को भी ध्यान में रखना है, अन्यथा प्रशासन चलाना असंभव हो जायेगा। परन्तु इसके साथ साथ हम जनता की राय की अवहेलना नहीं कर सकते। मैंने विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों की राय जानने का प्रयास किया है और मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि लोग सरकार द्वारा गत कुछ समय से अपनाई गई स्वर्ण नीति के पक्ष में नहीं हैं। हमें आंकड़ों को अधिक महत्व देने की बजाय लोगों की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए।

मुझे इसमें सन्देह है कि वर्तमान स्वर्ण नीति के परिणाम स्वरूप सोने के तस्कर व्यापार में कमी हुई है।

जहां तक तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है, हमें इसे रोकने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सोने के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी तस्कर व्यापार किया जाता है। तस्कर व्यापार करने वालों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हमारे देश के कुख्यात तस्करों की सांठगांठ से बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार में लगा हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि सूरत जिले में मछियारे दस मील समुद्र में अपनी नाव ले जाते हैं और बड़े बड़े तस्करों की सांठगांठ से विभिन्न वस्तुओं का तस्कार व्यापार करते है। मेरी राय में सरकार तस्करी के बहुत कम मामले पकड़ पाई है। अतः इस समस्या को हल करने के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर सामाजिक समस्याओं का हल खोजना चाहिए। हमें एक बार केवल एक ही समस्या का समाधान करना चाहिए। तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है।

चीनी संकट के समय परिस्थिति और थी और तब लोगों ने प्रसन्नता से सोने के आभूषण राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष को दान किये थे। परन्तु इस विधेयक द्वारा हम लोगों को सोना या सोने के आभूषण देने के लिये प्रेरित नहीं कर सकते।

जहां तक जमाखोरी का सम्बन्ध है, सरकार करोड़ों काश्तकारों को इसलिये गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि उन्होंने अनाज जमा करके रख छोड़ा है ।

हमारी योजनायें बेरोजगारी की समस्या हल करने में असमर्थ रही हैं । इसे ध्यान में रखते हुए 5 लाख स्वर्णकारों की जीविका छीन कर हमें बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए । उन्हें पर्याप्त राहत भी नहीं दी गई है । कई पीढ़ियों से ये लोग इस व्यवसाय में लगे हुये हैं और अचानक एक कलम से उनकी जीविका समाप्त करना उचित नहीं है । कल्याणकारी राज्य में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए । सरकार को इन लोगों को जीविका उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहए । मैं सोने के राज्य व्यापार को सुझाव से सहमत हूं अथवा सरकार स्वयं सोने का आयात करके, मूल्यों को नियंत्रण में रख सकती है । मैं मानता हूं कि इससे विदेशी मुद्रा का प्रश्न उठ खड़ा होता है । परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण, स्वर्णकारों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : यद्यपि आरंभ में मैं सोने पर पांबदी के हक में था क्योंकि सोने में तस्कर व्यापार के कारण हमारी विदेशी मुद्रा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था परन्तु आज जिस ढ़ंग से सोना नियंत्रण आदेश पर काम हो रहा है उसे देखते हुए तो मैं सौना नियंत्रण विधेयक के एक दम विरुद्ध हूं।

अब हमें सोने के प्रयोग के मामले को जांचना चाहिये । बात यह है कि सोने के इस देश के भाव का इसके अन्तर्राष्ट्रीय भाव से कोई मेल ही नहीं और इसी कारण हमें विदेशी मुद्रा की क्षति हो रही है । काला धन सोना खरीदने के काम में लाया जा रहा है और सरकार को भी बड़ा घाटा पड़ रहा है क्योंकि उन्हें कर पूरे नहीं मिल रहे ।

यद्यपि सोने पर पाबंदी लगे अब 1964 के अंत में दो वर्ष हो गये परन्तु क्या तस्कर व्यापार में कोई सुधार हुआ है । इस बारे में सदन को कोई सूचना नहीं दी गई । सोने का मूल्य तो वहीं का वहीं है । इसे तो वास्तव में सुनारों पर पाबंदी विधेयक कहना चाहिये या फिर कुछ ईमानदार व्यक्तियों पर पाबंदी लगी है ।

यह कहा गया है कि संसद् को समाज सुधार की दिशा में कुछ करना चाहिये । मैंने संयुक्त समिति में भी कहा था और अब फिर पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे सदस्य हैं अथवा मन्त्री हैं जिनके घर में 14 कैरेट सोने के गहने बने हैं । मैंने तो कहीं देखा नहीं हैं कि किसी ने 14 कैरेट सोने के गहने पहने हो । इसलिये मंच पर से भाषण कर देना और बात है, उसे अमल में लाना दूसरी ।

जब आप सोने के प्रयोग को नहीं रोक सके, इसमें तस्कर व्यापार को नहीं रोक सके, इसकी कीमत को नीचे नहीं ला सके तो फिर इन गरीब मज़दूरों पर पाबंदी क्यों लगाते हैं जो सोने का काम करते हैं और जो सोने की ऐसी ऐसी सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं जिन्हे सब प्यार करते हैं । इसलिये हमें तथ्यों को सामने रख कर काम करना चाहिये न कि एक झूठी कल्पनाओं से अपने आप को तसल्ली देना ।

हम चाहते हैं कि सोने मे तस्कर व्यापार बंद हो लेकिन पिछले दो वर्षों में देख लिया है कि यह पग जो इस ओर उठाये वे असफल रहे तो हमें यह चाहिये कि इस विधेयक को वापिस ले । सरकार का इसमें कोई मान हानि नहीं होगी बल्कि इस से तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर फिर विचार करे । मैं ने तो समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उनके अपने दल के व्यक्ति भी इसके विरुद्ध हैं । अतः उन्हें यह विधेयक वापिस लेना चाहिये क्योंकि इसने लाखों व्यक्तियों को बरबाद कर दिया है और तस्कर व्यापार को रोकने के दूसरे उपाय ढूंढने चाहिये ।

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : I welcome and support this Gold Control Bill. No body can deny that there is a scarcity-gold in the country. Women and the black marketers only purchase gold. In the interest of the country the womenfolk can do their sacrifice of doing away with the gold. I am satisfied with this arrangement of 14 carat gold.

[Shrimati Kamala Chaudhari]

Although the object of the Bill is a laudable one, but for the last two years we have not been able to achieve success in this direction. What is the use of bringing this kind of Bill if we cannot stop the smuggled gold in the country. It is good provision that the goldsmiths will be able to keep 15 grams of gold with them. This will give them some relief. But I will impress upon the honourable Minister to see that this provision should not be misused by those who have good stock of gold with them. We must also find out how much gold there is at present in the country.

As such I feel that our womenfolk must make some sacrifice by foregoing the use of ornaments made of pure gold. They should take to 14 carat gold ornaments. I will urge upon the Government that use of that quality, *i.e.*, 14 carat gold, should be propagated in the country. This type of propaganda is very necessary among the women folk in the rural areas.

I am strongly of the opinion that no effective policy in regard to tackling of smuggled gold could be evolved till the quantum of such gold in the country could be known. There should be no doubt about it that it is the black money which is the root cause of gold smuggling in the country. The attraction of gold amongst the people should come to an end.

With these words, I support this measure.

Shri Chandak (Chhindwara) : I have heard everything said in favour of this Bill. I also agree that the smuggling should be stopped in the country. But I feel that no one could welcome the present measure in the form it have been put forward before this House.

I am neither against the Bill nor against the honourable Minister, but my view is that Government have adopted half-hearted measures to tackle the problem of gold smuggling. I think it would have been much better if the Government has adopted a similar approach in the pursuance of its gold policy as has been adopted in the case of the food policy. It would have been better if a corporation would have been set up to deal with the various issues concerning gold on the lines of Food Grains Corporation, which have been recently decided upon by the Government. I am of the opinion that complete and effective gold control measures could be possible only through that Corporation. Without looking towards anything else, Government should take over full control of the trade.

Middle class people have been largely hit by this measure. Resort to the use of 14 carat gold will not help in solving the problems connected with gold. The price of the Gold is also a problem. Gold is not being sold in the market at the controlled rate. Nowhere else have quality control proved effective in checking the various evils. One has also to remember that the price of that quality in the Country is even more than the international price of gold. It is about Rs. 70.

People took good advantage of the repair concession. 90 per cent of ornaments were prepared from pure gold. According to the Bill, a person can keep gold ornaments worth 25,000 rupees. A family can keep gold ornaments worth 50,000 rupees. But I feel the use of 14 carat gold would not appeal to our people especially in the rural areas. They are asked to pay more for the preparation of ornaments from 14 carat gold. I may submit that the problem facing the goldsmiths is actually a question of their rehabilitation. Small amounts of grants

will not help these unfortunate people. Let me urge upon the Government that the Government should rectify the mistake, withdraw the Bill in the present form. The hounarable Minister should come forward with a comprehensive Bill. We are a welfare state and in that spirit my amendments should be accepted in case, there is no intention to withdraw the Bill.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह एक ऐसा विधेयक है जिसका सर्वत्र विरोध हुआ है। किसी भी दिशा में इसका स्वागत नहीं हुआ। 199678 अभ्यावेदन इसके विरुद्ध प्राप्त हुए है। इस तरह और इतनी संख्या में अभ्यावेदन किसी भी विधेयक के विरूद्ध प्राप्त नहीं हुए। मुझे इसके विरुद्ध 379 तारें प्राप्त हुई। अन्य माननीय सदस्यों को इसके लिए कितनी तारें आई होंगी, मैं नहीं कह सकता। संयुक्त समिति के 30 सदस्यों की कार्यवाही भी बहुत रोचक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप 40 लाख लोग बरबाद हो गये हैं। सरकार से उनके पुनर्वास के लिये कुछ लोगों को 8, 9 और 12 रुपये दिये गये। इसमें उन लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका। कहा गया है कि सरकार इन बेकार हुए लोगों को ऋण देगी। यह ऋण लेना भी सरल कार्य नहीं है। सरकार तो ऋण देगी, परन्तु कर्मचारियों से तुरन्त काम निकाल लेना सरल बात नहीं। ऋण प्राप्त करने के लिए क्लर्कों इत्यादि को घूस देनी पड़ती है। 2000 रुपया लेने के लिए 500 रुपये की होली करनी पड़ती है। सरकार का इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर क्या नियन्त्रण है। ये लोग अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं परन्तु सरकार उन्हें देश और सरकार पर बोझ बनने पर बाध कर रही है।

कोटि नियन्त्रण के मामला भी ऐसा ही है। 14 कैरट इत्यादि का कोई आकर्षण नहीं। यह भी नितान्त अनावश्यक बात हैं। इसके लिए कोई आंकड़े भी नहीं है। सरकार ने भारत रक्षा नियमों तथा भारत रक्षा अधिनियम का जो कि इस समय देश पर लागू है, लाभ उठाया है। चीनी आक्रमण होने के कारण तथा भारत रक्षा नियमों के प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद जनता ने सोने तथा आभूषणों का दान दिया। मूझे यह महसूस होता है कि सरकार ने उसी लालच में जाकर यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरा यह निश्चित मत है कि प्रस्तुत विधेयक के परिणामस्वरूप तस्कर व्यापार बन्द नहीं होगा। गत दो अथवा तीन महीनों में जितना सोने का तस्कर व्यापार हुआ है, वह पहिले के वर्षों के मुकाबले में कहीं अधिक है।

हमारे देश में जो परिस्थिति है उसे देखते हुए, देश के स्वतन्त्र व्यवसाय तथा स्वतन्त्र व्यापार के लिए यह विधेयक, तथा इसी तरह के पारित किये गये अन्य विधेयक बहुत ही हानिकारक है। इससे सारा स्वतन्त्र व्यवसाय तबाह हो सकता है। मेरे विचार में लोगों के पास सोना होने में कोई अनुचित बात नहीं है क्योंकि इस समय यदि विवाहों में जितने सोने की आवश्यकता होती है वह नहीं दिया गया तो विवाह नहीं हो सकते। इसका परिणाम यह होगा कि समूचा समाज ही समाप्त हो जायेगा।

मैं समस्त विधेयक के अस्तित्व के ही विरूद्ध हूँ और इसका विरोध करता हूँ। मैं प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहिए कि वह यह विधेयक वापिस ले ले। क्योंकि इस देश को इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। इससे सारा समाज ही नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक का उद्देश्य सोने की बिक्री, प्रयोग और संग्रह को नियन्त्रित करना है। मुख्य उद्देश्य यह है कि सोने की तस्करी को रोका जाय और सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी इसका उद्देश्य है कि लोगों का सोने के प्रति मोह भी कम किया जाय। परन्तु मेरा विचार है कि इन उद्देश्यों को स्वर्ण नियन्त्रण आदेशों से प्राप्त नहीं किया जा सका।

जहां तक तस्करी व्यापार को हटाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन यह है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कठोरतम उपाय अपना कर सोने की तस्करी बन्द की जानी चाहिए। इन तस्करों के कारण गरीब स्वर्णकारों को परेशान नहीं करना चाहिए। वे लोग तो पेट भरने के लिए ही यह धन्धा करते चले आ रहे

[श्री मुथिया]

हैं। इसके अतिरिक्त कीमत का प्रश्न है। यह भी बड़ी स्पष्ट बात है कि भारत में सोने का मूल्य कम नहीं हुआ है। और तुलना करने पर पता चलता है कि इस समय यह मूल्य सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से दुगुना है। लोगों का सोने के साथ जहां तक मोह कम करने का प्रश्न है, उसके लिए एक महान दिमांगी क्रांति की आवश्यकता है। इस प्रकार की क्रांति को सफल बनाने के लिए स्त्री तथा पुरूषों को कई वर्षों तक प्रभावशाली प्रचार करके समझाने बुझाने की जरूर है। इसके लिए लोग एकदम तैयार हो जायेंगे, ऐसा सोचना गलती होगी। सिन्धु घाटी सभ्यता के जमाने से लोगों में सोने का मोह इस देश में चला आ रहा है। उसे कानून द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इसमें तो केवल लोगों को परेशान ही किया जायेगा।

मंगल सूत्र के बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि उसके निर्माण में तो 14 कैरेट से अधिक शुद्ध सोने का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही यह भी कि जो 14 कैरट सोना न खरीदना चाहे उन्हें खरीदने के लिए बाध नहीं किया जाना चाहिए। हमारी महिलायें 14 कैरट का सोना खरीदना पसन्द नहीं करती है। अच्छा हो कि सरकार सोने का थोक व्यापार अपने हाथ में ले ले। सरकार को चाहिए कि वह स्वयं सोना खरीदकर राज्य व्यापार निगम जैसे अपने अभिकरणों के द्वारा अधिक शुद्धता वाले सोने को खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए तथा जनता को प्रयोग के लिए बेचना चाहिए। इतना तो किया ही जाना चाहिए कि छोटे छोटे स्वर्णकारों को सरकार कुछ मात्रा में अधिक शुद्धता वाला सोना रखनें की अनुमति दे दे। इसमें वे यह सोना स्वयं अपने अच्छे आभूषण बनाने के काम में लगा सके।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वयं काम करने वाले गरीब स्वर्णकारों को इस विधेयक से कुछ राहत मिली है। मेरा निवेदन यह है कि इन स्वर्णकारों को एक साथ 100 ग्राम सोना रखने के स्थान पर 200 ग्राम रखने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि स्वयं काम करने वाले स्वर्णकारों के लिए अपने पास सोने की मात्रा, प्राप्ति खरीदें तथा बेचे जाने वाले सोने का हिसाब रखने का उपबन्ध कठोर है। अतः खंड 20 को कुछ ढीला किया जाना चाहिए।

खंड 16 के अन्तर्गत 50 ग्राम सोना रखने वाले व्यक्ति को घोषणा करने से छूट है। मेरा निवेदन यह छूट 100 ग्राम कर देनी चाहिए। वैसे संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि व्यक्तियों को 25,000 रुपये और परिवारों के लिए 50,000 रुपये के सोने आभूषणों की घोषणा करना आवश्यक नहीं। यह उपबन्ध ठीक ही है। मंत्री महोदय को यह भी देखना चाहिए कि अधिकारी लोग गरीब स्वर्णकारों को खामखां तंग न करे। उन्हें सोने को लेकर अन्य गरीब व्यक्तियों को भी तंग नहीं करना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरामपुर) : सारा देश इस विधेयक का विरोध कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता क्यों सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए लालादित हो रही है। लगभग सभी राज्यों के स्वर्णकार तथा अन्य जनता इस विधेयक के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त कर चुके है और निरन्तर इस का विरोध कर रहे हैं।

एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन उद्देश्यों के लिए स्वर्ण नियन्त्रण आदेश जारी किया गया था उनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस विधेयक का यह परिणाम जरूर हुआ है कि काफी संख्या में गरीब स्वर्णकार बेकार हो गये है। बाद में दबाव डालने पर 22 कैरट के सोने के आभूषणों को फिर से बनाने की अनुमति देकर कुछ रियायते दी हैं। जब तक किसी स्वर्णकार के पास काफी मात्रा में सोना न हो वह फिर से गहने नहीं बना सकता। अतः यह रियायत लाभदायक सिद्ध नहीं हुई है। सरकार को स्वयं यह निर्णय करना चाहिए कि स्वयं काम करने वाले स्वर्ण कारों को काफी मात्रा में सोना दिया जाय।

यह बात ठीक है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए काफी राशि दी गयी है। परन्तु यह भी सत्य है कि यह राशि उन लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। केवल वही स्वर्णकार यह सारी राशि हड़प कर गये है जिनके मित्र अथवा सम्बन्धी सत्तारूढ़ दल में है। अन्य गरीब लोगों की वही दशा है जो कि सरकार द्वारा धन दिये जाने से पहले थी। यह कहना सभा को तथा देश को मूर्ख बनाने वाली बात है कि स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए काफी प्रयास किया गया है। स्वर्णकार चाहते हैं कि सरकार कृपा करके अब भी इस कानून को समाप्त कर दे और वे अपने रोजगार पर लग जाये।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसे उन लोगों के विरुद्ध भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए नितान्त आवश्यक सोने को दबाये बैठे हैं। मैं यह भी कहूंगा कि यदि सरकार वास्तव में सोने का तस्कर व्यापार ही रोकना चाहती है तो उसे निर्यात व्यापार तथा आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करती हूँ। मैं बारह वर्ष से सदस्यों को यही कहते सुनती हूँ कि सोने का तस्कर व्यापार रोका जाये, किन्तु इसे कैसे रोका जाये, इसका उत्तर देने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया है। यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है। इसे उस समय लाया जाना चाहिये था जब कि मूल्यों में वृद्धि होना आरम्भ हुआ था और पहिली बार सोने में नियंत्रण लागू किया गया था। यदि ऐसा उस समय किया जाता तो जो पेचीदगियां (कम्लीकेशन्स) पैदा हुई हैं वे पैदा न होतीं।

हमारे देश में लोगोंको हजारों वर्ष से सोने का मोह रहा है और इससे छुटकारा पाने में समय लगेगा। वित्त मंत्री महोदय ने इस मामले में जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। यह उद्देश्य का प्रारम्भ ही है। इस विधेयक को स्वत: पूर्ण नहीं कहा जा सकता। बाद में हम, स्थिति में सुधार करने के लिये और त्रुटियों को दूर करने के लिये, उपाय करने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे, इस समस्या को केवल कानून के द्वारा ही हल नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिये राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी सभी पहलुओं की आवश्यकता है जिन्हें एक साथ लेना होगा। स्थिति का मुकाबला करने से ही समस्या का हल निकल आता है। सोने की समस्या कई देशों के सामने आई है और उन्होंने इसका मुकाबला किया। अन्त में स्थिति पर काबू पाने में सफल हुये हैं।

आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अधिकतर सुनारों को रोजगार दिया गया है। मैं नहीं समझ पाती कि साम्यवादी दल के सदस्य इस व्यवसाय का पूर्णत: राष्ट्रीयीकरण किये जाने के बारे में तो कहते हैं। पर जौहरी लोगों के बारे में मौन धारण किये रहते हैं। हमें सुनारों को, उनकी हालत, तथा उनकी समस्याओं को, उन सदस्यों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुये हैं जो उनकी तरफ से बहुत दलील दिया करते हैं। और हम उन सराफ और जौहरियों को भी जानते हैं जो उन्हें रुपया देते थे और उनकी तकनीकी जानकारी का अनुचित लाभ उठाते थे और उनका शोषण किया करते थे। आज उनकी हालत अधिक अच्छी है।

सरकार यह दावा नहीं करती है कि उसने सब सुनारों को रोजगार दे दिया है। हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। तथापि एक ही रात में सबको रोजगार दे देना भी सम्भव नहीं है। केवल सहानुभूति दिखाने से ही समस्या का हल नहीं निकल आता है। ऋण देने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। अत: यह आवश्यक है कि सुनारों को धन उपलब्ध करने के लिये केन्द्र की ओर से एक योजना बनायी जाये।

जिन लोगों को पेशगी तथा ऋण दिये जाते हैं उन्हें तकनीकी राय भी दी जानी चाहिए, चाहे सरकार को इस काम के लिये विदेशी मुद्रा की, अथवा मशीनरी या ऋण आदि लेने की आवश्यकता ही क्यों न पड़े। सरकार को उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सरकार ने सुनारों को केवल व्यक्तिगत रूप से ही सहायता दी है। सरकार को विभिन्न प्रकार से इन लोगों की सहायता करने के लिये योजनायें बनानी चाहिये क्योंकि ये लोग तकनीकी योग्यता प्राप्त हैं और बारीक औजारों (प्रीसीशन इन्स्ट्रूमेन्टस्) से सम्बन्धित काम को दक्षता से कर सकते हैं। अत: सरकार को इन्हें सहकारी समितियों के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिये और इस प्रयोजनार्थ सुनारों की सहकारी समितियों को भी सरकार ने अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the main point for consideration is whether the measures taken by the Government are right or not. I apprehend that the Members in the Treasury Benches have also an anti-feeling against this Bill and they are forced to support it.

The poor is not directly hit by the Gold Control Order for he is confined to the problems relating to basic necessaries of his life such as, house to live in, food to eat and clothes to wear. He is, therefore, not worried about the Bill or the objects and reasons thereof. But the multi-millionnaires exploited the situation when they got an opportunity to preserve their gold by way of converting it into ornaments. This is all because of the policy of the Government which once granted a time-limit of three months for the purpose of declaration of gold and then they further granted a quality limit of gold in the shape of ornaments worth Rs. 25,000. Even now the ornaments of pure gold are being manufactured and sold in the name of old ornaments or under the pretence of repairs. It all resulted in a loss of income tax and sales tax amounting to 25, 30 crores of rupees which the Government had to suffer. The purpose of the Bill has not, therefore, been served.

The Gold Control Bill is rather based on the obstinacy of the former Finance Minister shri Morarji Desai than on its objects and reasons. The new Finance Minister has made some amendments in the Bill but so far as the provision relating to the 14 carat gold is concerned, he could not touch it due to the pressure being exerted on him. The fact is that the Government are not in possession of sufficient gold. That is why it wants to snatch away the gold from the Common man. The gold stock actually lies with the capitalist class who will never come forward to declare or offer the surplus gold which they are in possession of. This situation, has been created as a result of the policy followed by the Government to boost the capitalists.

Recently in reply to a question asked by me the Hon. Minister shri Bhagat admitted that the gold received by the Government in the shape of ornaments etc. for the purpose of Defence Fund, which was donated by the public was not found pure. The point therefore, is whether the so prescribed quantity-limit of gold *i.e.* 14 carat would not be reduced further by these who manufacture ornaments. There is also one vital factor which governs each and every one on matrimonial occasions. Everybody ordinary or big gives ornaments of pure gold to his daughter or daughter-in-law in marriage. Where does this gold come from ? It is all smug gledgold. Being quite aware of the fact that the Bill would not yield any fruitful or desired results, the Government is even then very obstinate in pressing for the passage of the Bill.

I can support the suggestion made by Shri Masani who pleaded for effecting the nationalisation of gold . The Government can thereby prescribe a quantity-limit of pure gold for purposes of individual holding. But what the Government is actually doing is this that they propose to possess pure gold for their use or reserves ; on the other hand, they force the public to purchase gold of 14 carat. The step being taken by the Government is, of course, not desirable and commendable. The provision imposing restrictions on the purity of gold should, therefore, be removed from the Bill.

All the suggestions which have been given with a view to improving the lot of the goldsmiths should be accepted.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this is a very good measure. Many ex-rulers who are sitting opposite have in their safe custody gold in abandance. But they did not come forward to donate even the smallest quantity of gold at the call of the nation during the Chinese attacks on our frontiers which was a very crucial time in the history of our country. Even today there is sufficient gold in the country but it is not being used in the interest of the nation.

I welcome this measure which was brought forward by Shri Morarji Desai. This Bill should have been passed much earlier. The Government have been much liberal in amending certain provisions of the Bill. The Government have also been much more liberal and sympathetic in dealing with the goldsmiths and businessmen that is why the goldsmiths and their Associations are happy with the introduction of this new Bill.

Today the goldsmiths are in a much better position. Because those people were being badly exploited by the financers and the jewellers. Now they are free from their chains.

The Gold Control order has brought down the price of gold also. To apprehend sufficiently in advance that it would not be able to stop the smuggling in gold is not a matured outlook. I am sure that the Bill will do the needful immediately after it is enforced. The Government have provided job to a large number of goldsmiths and have extended all the necessary facilities to them, the Government have further been considerate in starting various schemes for their welfare so that they can easily be filled in the work of manufacture of precision instruments.

I admire the provision of this Bill.

With these words, I support the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि अचानक साम्यवादी दल वालों का सोने के प्रति मोह क्यों बढ़ गया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।]

[Mr. Speaker in the Chair.]

इस चर्चा के दौरान विरोधी सदस्यों द्वारा कई प्रकार के दृष्टान्त दिये गये और धार्मिक पुस्तकों से उक्तियां भी लेकर दुहराई गयी, प्रस्तुत विधेयक में यह स्वीकार किया गया है कि जिस प्रकार सोने का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह इसे बेचा या खरीदा जाता है उससे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक हानि रुपये से नहीं अपितु सोने से होती है और इसी कारण कुछ उपाय किये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मेरे पूर्वाधिकारी भी देश के आर्थिक ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से एक विधेयक लाये थे। स्वर्ण-नियंत्रण सम्बन्धी उपाय में बहुत सीमा तक रियायतें दिये जाने के विचार से मैं सहमत हूं। इसीलिये सरकार ने विधान में रियायतें दी हैं ताकि जिन सुनारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो उनका पुनर्वास हो सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके और उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता दी जा सके। इन सुनारों का धनी वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था। सोने के व्यापारी अथवा सोना का संचय करने वाले ही वास्तव में बुराई की मूल जड़ थे।

यह कहना गलत है कि स्वर्णकारों की संख्या करोड़ों में है। हमारे आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या तीन लाख से भी कम है। इन सुनारों नें आम तौर पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सुनारों के बहुत से प्रतिनिधियों ने, शराफों, सोने चांदी के दुकानदारों तथा कई अन्य व्यक्तियों ने संयुक्त समिति को यह बताया कि यदि सोने चांदी के व्यापारी फिर से मैदान में आ गये तो उनकी दशा दयनीय हो जायेगी क्योंकि वे लोग इन सुनारों, शराफों तथा सोने चांदी के दुकानदारों से कुलियों अथवा श्रमिकों की भांति काम लिया करते हैं। अतः प्रस्तुत विधेयक द्वारा उन्हें सोने चांदी के व्यापारी वर्ग के चंगुल से मुक्त किया गया है।

श्री मी० स० मसानी : वित्त मंत्री महोदय ने संयुक्त समिति का विवरण दिया है। किन्तु उक्त समिति में सुनारों के किसी भी प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्य में ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने विधेयक का शत-प्रतिशत विरोध किया।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : संयुक्त समिति का प्रतिवेदन मौजूद है। उन्होंने प्रस्तुत विधेयक का विरोध नहीं किया (**अन्तर्बाधायें**)।

श्री सोलंकी (कैरा) : सुनारों ने अपने जीवन में कभी भी कुलियों की तरह काम नहीं किया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे दुःख है कि उन्हें राजा तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने राज्य तो किया नहीं है। और फिर कुली शब्द बुरा नहीं है। हमारी तमिल भाषा में तो कुली मजदूरी को कहते हैं और जो यह काम करता है वह मजदूरी कमाने के लिये करता है। अंगरेजी में भले ही आप इसे बुरा शब्द मानिये। फिर भी मैं उन व्यक्तियों से इस विषय पर विवाद नहीं करूंगा जिन्हें मुझ से अधिक पता है।

इस विधेयक का उद्देश्य जहां एक ओर सोने में तस्कर व्यापार को रोकना है वहां यह भी है कि जो व्यक्ति सोने का काम करते हैं वे अपना काम करते रहें। गहने बनाने का काम तो इस देश में रहेगा, यह दूसरी बात है कि इसमें कुछ कमी आ जावे और फिर सुनार शिक्षित हो जावेंगे और उन्हें अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। उस समय इनके बारे में विनियम भी आसान हो जावेंगे और हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस विधेयक के अनुसार सुनारों को अपना काम करने तथा रोटी कमाने का हक है। हां, एक प्रश्न है जिसके बारे में सदस्यों ने विरोध किया है, जिनमें मेरे दल के सदस्य भी शामिल हैं, कहां है और वह है सोने में मिलावट की बात। वैसे तो कुछ व्यक्ति अपनी सिग्रेट रखने तथा घड़ी रखने के बक्स भी 9 कैरेट सोने के बनवाते हैं।

फिर सुनारों को काम करते रहने की आज्ञा इस विधेयक में इसलिये भी दी गई है ताकि सारे सुनार एकदम बेकार न हो जावें। इसलिये सोने की किस्म पर पाबंदी लगाने का जहां एक कारण सुनारों को बेकारी से बचाना है, वहां यह भी है कि वे लोगों के फैशन आदि में कमी न आने दें के शौक को भी पूरा करते रहें। कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने सोने के गहनों को तुड़वाकर उन्हें आपस में बांटना चाहें अथवा उसी सोने के कई छोटे छोटे गहने बनवाना चाहे तो वह तभी हो सकता है जब यह सुनार अपना कारोबार समाप्त न करें। इस लिये उस दृष्टि से भी यह विधेयक ठीक है।

मैं फिर तस्कर व्यापार के बारे में कहूं। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो उन व्यक्तियों की पहचान जो यह काम करते हैं और दूसरे उस सोने की पहचान जो वे बाहर से लाते हैं। इसलिये जब हम देखेंगे कि किसी के पास एक विशेष मिकदार से अधिक है तो हम पता लगा सकेंगे। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम अपने समुद्री तटों की ठीक देख भाल कर सकें तो इस ओर काफी सुधार हो जावे। यदि हमें कहीं से तीन या चार तेज रफ्तार जंगी जहाज मिल जावें तो हम तस्करी का 50 से 60 प्रतिशत सोना पकड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास यह कुछ अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्रों से आता है जैसे बरूत और अदन। मैंने पहले भी कहा कि उन व्यक्तियों की पहचान भी आवश्यक है जो तस्करी का सोना यहां लाते हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि सोना यहां इसलिये अधिक आ रहा है क्योंकि सोना महंगा हो गया है। खैर यूं तो यह भी कहा जा सकता है कि सोना इसलिये महंगा हो गया है कि क्योंकि सोना यहां मिल नहीं रहा है।

विरोधी दल के उपनेता ने आलोचना की है कि हमारा आर्थिक संकट बुरी योजनाओं के कारण है और कीमतें भी इसीलिये चढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि विदेशी अब इतनी संख्या में नहीं आ रहे जितनी संख्या में वे पहले आते थे। इस सब का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे पास विदेशी प्रर्याप्त मात्रा में मुद्रा होती जिसके द्वारा हम सोने का आयात कर सकते तो यह सोने का संकट न आता जो आज विद्यमान है।

माननीय सदस्य ने अभी सरकार के एकाधिकार के बारे में कहा। मेरे विचार में सरकार का सदा एकाधिकार होता है चाहे वह यह सरकार हो और चाहे वह किसी और दल की हो। हां उसके अधिनियमों को न्यायालयों में ले जाया जा सकता है और उनका निर्णय माननीय होता है।

इस विधेयक का विरोध किसी ने किसी एक विशेष बात पर किया और किसी ने किसी दूसरी बात पर लेकिन सारे बिल को बुरा किसी ने नहीं कहा। कुछ सदस्यों ने कहा कि सोने का सारा व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसे केवल औद्योगिक कार्यों के लिये ही प्रयोग किया जावे जैसे घड़ियां बनाना आदि। खैर यह तो तभी हो सकता है जब स्टेट बैंक इसे अपने हाथ में लेगा। लेकिन ऐसी बातों में आहिस्ता आहिस्ता जाया जाता है। चाहे आप हमें प्राधिकारवादी कहें परन्तु हम उनमें से नहीं कि ऐसी मुख्य बातों को तानाशाही ढंग से कर दें।

हमारे दल के सदस्यों ने भी कहा है कि हम इस विधेयक को वापिस ले लें और कोई अच्छा विधेयक लावें। मेरे विचार में तो यह अच्छा है कि इस विधेयक पर अमल करें और ठीक ठीक देखते रहें जिससे कोई छोटा व्यक्ति भी इस से अवैधानिक ढंग से सताया न जा सके। मैं तो वैसे उन अधिकारियों को इसके बारे में जता भी दूंगा। अधिकतर तो ऐसा होता है कि छोटे व्यक्तियों को बड़े बड़े धनी अपना एजेंट बना लेते हैं और हमें वास्तव में एक सुनार के पास बहुत सोना मिला। मुझे आशा है कि एक समय ऐसा होगा जब यह अपना खाता स्वयं ठीक रखेंगे। हमने पिघले हुए सोने की मात्रा को भी 100 से बढ़ा कर 150 ग्राम कर दिया है। मुझे पता है कि इसका भी दुरुपयोग होगा परन्तु हमें आशा है कि वे हम से सहयोग करेंगे।

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठसीन हुए।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

श्री मसानी ने मेरे पूर्वाधिकारी का उद्धरण दिया और कहा कि हम देश के हजारों सुनारों से उनके सोने के गहने नहीं पूछेंगे। मैं भी उस बात की पुष्टि करता हूं कि हम व्यक्तिगत तो तभी पूछेंगे जब कम से कम 25,000 रुपये की लागत का गहना होगा और परिवार से तब पूछेंगे जब इसका मूल्य 50,000 रुपये होगा। इस लिये मेरे शिरोमणी पूर्वाधिकारी ने ठीक ही कहा था।

मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि समाजवादी दल ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। यद्यपि श्री प्रभातकार और श्री बनर्जी उन में से हैं जो बैंकों और सोने को सरकारी अधिकार में लेने के हक में हैं परन्तु उन्होंने भी इसका विरोध किया है और मुझे इस से बड़ा आश्चर्य हुआ है।

मेरे मित्र श्री त्रिवेदी ने भी इस विधेयक के बारे में एक नाटक सा कर दिया। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह विधेयक जहां तक पाबंदियों का सम्बन्ध है एक अप्रभावकारी विधान है। वैसे हमारा उद्देश्य ही यह है कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें ठीक मार्ग पर लाये और यह पता लगाये कि देश में कितना सोना है। हमारे पास अभी ऐसा कोई यंत्र नहीं आया जिस से यह पता लगे कि वज्र-कक्षों में रखे सोने का पता लगाया जा सके क्योंकि कहने वालों का यह मत है कि वहां इतना सोना है कि कहीं कहीं जब किसी ने उसे देखा है उनकी आंखें चुंधया गई हैं। शायद कभी हम उस पर काबू पा सकें।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

जहां तक सुनारों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में भी सुविधायें दी जायेंगी जहां उनकी स्वाभाविक रुचियां ठीक प्रयोग की जा सके। वैसे हम चाहते तो यह हैं कि सुनार अपने आप ही अपना कारोबार बंद करदें तो करदें हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। यूं तो मेरे विचार में जैसे जैसा समय बदलता जावेगा, व्यक्तियों के सुःख आदि के मापक भी बदल जावेंगे। मैं आप को एक उदाहरण दूं कि एक बड़ी फर्म (सार्थ) ने नंगल घाटी के लोगों के रहन सहन के स्तर के बारे में जांच की और इस परिणाम पर पहूंचे कि उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया है। उनका कहना है कि 97 प्रतिशत के घरों में परदे लग गये हैं; 50 प्रति शत व्यक्तियों के घरों में रेडियो सैट लगे हैं, 50 प्रति शत व्यक्तियों के घरों में सिलाई की मशीन है और 40 प्रति शत के बच्चे इंजिनियरिंग शिक्षा संस्थाओं में दाखिल हो गये हैं। परन्तु सुनार की दो दुकानों में से एक बंद हो गई है और दूसरी केवल मरम्मत का काम करती है। इसलिये मेरा विचार है कि आगे आनेवाले लोग रेडियो और टेलीवीज़न सैट को अपने रहन सहन के स्तर का मापक मानेंगे न कि सोने की चूड़ियों को।

मुझे आशा है कि मैंने सदस्यों के भ्रम कि यह विधेयक कोई कठोर पग है, दूर कर दियें हैं। उन्हें और भी कोई शिकायत होगी तो उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जावेगा तथा यथा सम्भव दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा।

उपाध्यक्ष-महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 70 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Substitute Motion No. 70 was put and negatived.

उपाध्यक्ष-महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों के उत्पादन संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियन्त्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 150, विपक्ष में 39.

Ayes 150, Noes 39

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 (परिभाशायें)

श्री हेमराज : मैं अपना संशोधन संख्या 222 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 71 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं :

इसका सम्बन्ध "प्रमाणित सुनारों" की परिभाषा से है। मेरे प्रस्ताव का आशय यह है कि प्रत्येक सुनार को जो सोनानियंत्रण आदेश लागू होने से पूव सोने का काम करता था "प्रमाणित सुनार" कहलाने का अधिकार है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि वह सरकार से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दे और उनकी सारी शर्तें पूरी करे और तभी उसे "प्रमाणित सुनार" कहलाने का अधिकार है।

वित्त मंत्री के प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूं कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि साम्यवादी दल भी इस विधेयक में अन्य विरोधी दलों के साथ क्यों है। इसका भी एक कारण है। वित्त मंत्री के ही अनुसार सोना नियंत्रण आदेश का उद्देश्य सोने में तस्करी को रोकना था। परन्तु वह तो रुका नहीं और बल्कि अधिक हो गया है। इसलिये यह अपने उद्देश्य ही में विफल हो गया है। दूसरे इस से देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। परन्तु वह इन में विफल हो गये हैं।

जहां तक सुनारों के फिर बसाव का सम्बन्ध है वित्त मंत्री अपने आंकड़ों के ही अनुसार अब तक 20 प्रति शत सुनारों को ही फिर बसा सके हैं। चलो इसे भी मान लें तो बाकी 80 प्रति शत का क्या होगा। इसी प्रकार सरकार अपने इस वचन में भी विफल हो गई है जिस में उसने कहा था कि वह सुनारों के बच्चों को शिक्षा तथा कर्ज देंगे। जब ऐसी बातें हो तो हमें इसका विरोध करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : अब तक जो "गहनों" की परिभाषा की गई है उस से ऐसा दिखाई देता है कि यदि किसी गहने में थोड़ा सा भी सोना हो तो वह "निर्मित" की सूची में आ जाता है। इस लिये मेरा अभिप्राय यह है कि इस सूचि में वही आवे जो जिसमें "पूर्णतया" या "मुख्यतया" सोने से बनी हो।

Shri Hem Raj (Kangra) : From the Finance Minister's speech it was evident that he had soft corner for goldsmiths and the poor. In this clause only people in possession of refineries have been given permission to purify gold. This will create great inconvenience to villagers as they will first have to get their gold purified from a refinery holder and then only can be got an ornament made from a goldsmith. I want that the words "or the workshop of a certified goldsmith" may be added to sub-clause (i).

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को सदन के सम्मुख मत दान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 71 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 71 was put and negatived

संशोधन संख्या 222 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

Amendment No. 222 was by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 — (कुछ मामलों में सोने की चीजें बनाने पर प्रतिबंध)

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5, 22, 23, 24 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोलंकी (कैरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 73 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री चांडक (छिंदवाडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरा यह संशोधन प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि प्रमाणित सुनारों को विवरण देने की आवश्यकता न रहे । वे छोटे और गरीब व्यक्ति हैं और अधिकतर अनपढ़ हैं । इस लिये उन्हें इस काम के लिये कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति रखने पड़ेंगे ।

श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय यह क्यों नहीं मानते कि "सुनार" शब्द वह "ऐसा काम करने वाला, साफ काम करने वाला अथवा दूसरा व्यक्ति" के स्थान पर "सुनार" शब्द क्यों लगाते ।

श्री नि० चं० चटर्जी : (बर्दवान) : यदि आप खण्ड 13 को देखें तो पता चलेगा कि प्रमाणित सुनार को यह अधिकार है कि वह गहने बनायेगा और तयार करेगा परन्तु खण्ड 3 में लिखा है : " (ग) और कोई व्यक्ति सोने की कोई वस्तु न बनायेगा तैयार करेगा" । इसका अभिप्राय तो पूरी तरह और सामान्य तरह प्रतिबंध लगाना होगा । इस लिये खण्ड 13 की बात को स्पष्ट कर देना चाहिये ।

Shri Chandak : The object of my amendment is that word 'of 14 carat' may be taken out of this because this gives us no safeguard. It rather complicates the matters. It is said that 14 carat gold contains 58 per cent gold and 42 per cent brass and silver. It will encourage concealment of smuggled gold. The Minister will appreciate that this proposal of 14 carat serves no purpose of ours. I do not know why the Government considers it as the sovereign remedy for all our ills and that it would fulfill the object of Gold Control Bill.

By permitting people to keep undeclared gold ornaments to the extent of Rs. 25,000 and Rs. 50,000 and by permitting goldsmiths to manufacture new ornaments from old gold ornaments, the smuggled gold in the country can not be identified. There are many loopholes in this. Further, smuggled gold cannot be identified by declaring a mixture of 58% gold and 42% copper as gold. Some other ways and means may be devised for identifying it. The entire gold in the country may be got declared, irrespective of the quantity in anybody's possession and the gold not purchased through the authorised agent may be treated as smuggled gold. There is no utility of 14 carat gold for this purpose. Moreover, small goldsmiths in rural and urban areas have got no good means and machinery to manufacture gold ornaments with 14 carat gold and will not be able to pull on their business easily. Govt. cannot rehabilitate them with this scheme of 14 carat gold and only big goldsmiths will be benefited by it. I therefore, feel that this provision of 14 carat Gold may be deleted.

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं । खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) में 'कोई अन्य व्यक्ति' के स्थान पर 'प्रमाणित स्वर्णकारों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति' को रखने से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । अतः यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय मित्रों से यह निवेदन करता हूं कि वे उपखण्ड 3(1) को पढ़ें। इस सम्बन्ध में दूसरा उपबन्ध खण्ड 13 में किया गया है जिससे कि प्रमाणित स्वर्णकारों की स्थिति पुष्ट होती है। मेरे माननीय मित्र श्री चांडक ने 14 कैरट के सोने के बारे में पुनः जो प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री अल्वारेस : खण्ड 13 में प्रमाणित स्वर्णकारों की कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई गई है। वह कोई व्यापारी अथवा प्रमाणित स्वर्णकार कोई भी हो सकता है। अतः खण्ड 3 में स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। असंदिग्धता को दूर करने के लिये ही यह संशोधन लाया गया है।

श्री नम्बियार : 14 कैरट के गहनों को लोग नहीं खरीद रहे हैं। फिर उन पर व्यर्थ ही धन क्यों बरबाद किया जाये। इसके स्थान पर 18 कैरट के गहनों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय अपने संशोधन संख्या 3 को प्रस्तुत किये जाने पर आग्रह करते हैं।

श्री चांडक : जी नहीं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 4 और 5 को मत-विभाजन के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 4 and 5 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 22, 23 और 24 को मत दान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22, 23 और 24 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्विकृत हुये

Amendent Nos. 22, 23 and 24 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 73.

श्री सोलंकी : मैं उस पर आग्रह नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय को इस संशोधन को वापस लेने के लिय सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 73 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 73 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the bill.

खंड 4

(सोने के गहनोपर और अन्य चीजो के बनाने आदी पर प्रतिबंध)

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8, 9, 25 और 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेम राज : मैं अपना संशोधन संख्या 226 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोलंकी : मैं अपने संशोधन संख्या 76, 77 और 78 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प० कुन्हन : मैं श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समर्थन करता हूं । गहनों के लिये 14 कैरट के सोने के स्थान पर 18 कैरट के सोने के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिये । यह विधेयक लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा और इसे पूरा ही वापस ले लिया जाना चाहिये । तस्कर व्यापारियों की संगठित कार्यवाहियों देश की अर्थव्यवस्था के लिये हानि-प्रद हैं और उच्च अधिकारियों के आंशिक समर्थन से उन्हें बल मिल रहा है । इस विधेयक से तस्करी को रोकने को सहायता नहीं मिल सकती । स्वर्ण नियंत्रण आदेशों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप केरल के हजारों स्वर्णकार बेकार हो गये हैं । उन्होंने सरकार के पास अनेकों अभ्यावेदन भेजे हैं परन्तु उनके बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने जैसी उनकी उचित मांगों का भी कोई परिणाम नहीं निकला । मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे तथा उनके बच्चों के कल्याण की व्यवस्था करे । लोग 14 कैरट के बने सोने के गहनों को खरीदते नहीं हैं । इस उपबन्ध पर जोर देकर सरकार को बेकार अपना धन व्यय नहीं करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि श्री नम्बियार के संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं संशोधन संख्या 77 का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि 14 कैरेट के स्थान पर 22 कैरट के सोने के आभूषण बनाने की अनुमति दी जाये । ग्रामीण क्षेत्रों के स्वर्णकारों को 14 कैरट के सोने के आभूषण बनाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इसके लिये उनके पास मशीने नहीं होती । सरकार को इस कठिनाई को अनुभव करना चाहियें तथा इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री नम्बियार : मैं नहीं समझता कि इस 14 कैरेट वाले सोने को रखने का क्या महत्व है । यदि 100 महिलाओं से 14 कैरट वाले सोने के आभूषण लेने के लिये कहा जाये तो उनमें से एक भी उन्हें लेना पसन्द नहीं करेगी । यह 14 कैरट वाला सोना केवल धोखा देने के लिये है । यदि 22 कैरट वालें सोने के उपयोग की अनुमति सरकार देती है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार हूं । यदि 22 करट वाले सोने के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती तो इसके स्थान पर कम से कम 18 कैरट वाले सोने के लियें तो अनुमति दी ही जानी चाहिये जिससे कि कम से कम संकट काल में तो स्वर्ण-निर्मित आभूषण व्यक्तियों के किसी काम आ सकें ।

श्री काशीराम गुप्त : मैं श्री नम्बियार और श्री महीड़ा के संशोधन का समर्थन करता हूं । यदि 22 कैरट की नहीं तो सरकार को कम से कम 18 कैरट के सोने के उपयोग की तो अनुमति देनी ही चाहिये । कांग्रेस दल के अधिकांश सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि 14

कैरट वाले सोने से काम नहीं चलाया जा सकता। यदि लोगों की राय ली जाये तो 99 प्रतिशत का मत 14 कैरट वाले सोने के पक्ष में नहीं मिलेगा, अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हेम राज : जब तक नियमों में ही स्थिति स्पष्ट नहीं की जायेगी तब तक न्यायालय विधि के उपबन्धों के अनुसार ही अपना निर्णय देंगे। आज यदि कोई व्यक्ति बाजार में सोना ले जा कर उसे शुद्ध कराकर आभूषण बनवाना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस खंड के उपबन्धों के अधीन कोई भी स्वर्णकार 14 कैरट से अधिक शुद्धता वाले आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता। मैं यह चाहता हूं कि स्वर्णकार को सोने को स्वयं शुद्ध करके अधिक शुद्धतावाले आभूषणों का निर्माण करने की अनुमति दी जाये। यदि यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उपबन्ध ही निकल जायेगा जिसके अधीन शुद्ध करने वालों को सोने की शुद्धता को कम करने के लिये कहा जा रहा है। अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोने की शुद्धता तो 14 कैरट ही रखी जायेगी, इसे बढ़ाकर 18 या 22 करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री दांडेकर : स्वर्णकारों को तो खण्ड 3 और 13 दोनों के अधीन कुछ अधिकार दिये गये हैं परन्तु अन्य व्यापारियों को खण्ड 13 के अधीन कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि खण्ड 4(1) में "धारा 13 में किये गये उपबन्ध के अतिरिक्त" की स्थान पर "धारा 3 और 13 में किये गये उपबन्धों के अतिरिक्त" रखा जाये।

श्री सोलंकी : 14 कैरट वाले आभूषणों की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि महिलायें उन्हें पहनना ही पसन्द नहीं करतीं। 14 कैरट वाले आभूषणों की चमक बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है तथा इनके निर्माण पर भी काफी अधिक व्यय होता है। अतः ये आभूषण लोकप्रिय नहीं हैं तथा इनकी माँग नहीं है। अतः विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि 22 कैरट सोने की शुद्धता वाले आभूषण बन सकें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं श्री दांडेकर के संशोधन के अनुसार खण्ड 3 में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझता। खण्ड 13 में स्वर्णकारों के हितों की रक्षा की गई है। अन्य बातों का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 8 और 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 7, 8 and 9 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 और 26 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 25 and 26 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 76, 77 और 78 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 76, 77 and 78 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 226 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 226 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 :—(सोने के रखने तथा बेचने पर प्रतिबन्ध)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 6, पंक्ति 13—

"a permit has been obtained under sub-section (3)".

["उप-धारा (3) के अधीन एक परमिट प्राप्त कर ली गई हो"]

के स्थान पर

"the dealer complies with the provisions of sub-section (3)"

["व्यापारी उप-धारा (3) के उपबन्धों को पालन करे"] (238)

(दो) पृष्ठ 7, पंक्तियां 3 और 4—

"under and in accordance with a permit granted by the .....in this behalf'

[" के द्वारा इस कार्य के लिये दी गई परमिट के अन्तर्गत एवं उसके अनुसार"]

के स्थान पर

"but the person to or with whom such gold is sold or otherwise transferred or hypothecated, pledged, mortgaged or charged* shall give to such officer as may be authorised by the Administrator in this behalf, intimation thereof in such form and manner and within such period as may be prescribed".

["लेकिन वह व्यक्ति जिसे अथवा जिसके पास ऐसा सोना बेचा जाता है या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, गिरवी रखा जाता है, रेहन रखा जाता है, या सौंपा* जाता है, किसी ऐसे अधिकारी को जो इस प्रयोजन के लिये प्रशासक द्वारा अधिकृत किया गया हो, ऐसे रूप और ढंग में और ऐसी अवधि के अन्दर जो निश्चित की गई हो, उसकी सूचना देगा।"] (239)

श्रीमन्, इन संशोधनों को रखने का कारण मैं अपने प्रारम्भ के भाषण में बता चुका हूं। यह व्यापारी की स्थिति को अच्छा करने के लिये हैं।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 79 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं संशोधन संख्या 107 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हेम राज : मैं संशोधन संख्या 227 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ 7 पर पंक्ति 3 में शब्द 'चार्जड' के पश्चात् "आभूषण

---

* 23-12-64 को वित्त मंत्री द्वारा सदन में उल्लेखित शुद्धि।

*Correction referred to by the Minister of Finance in the House on 23-12-64.

अथवा अन्य निर्मित उत्पादों के रूप में परिणत" शब्द जोड़ दिये जाये। क्योंकि वर्तमान उपबन्ध के अधीन यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा सोना है जो कि उसे घोषित नहीं करना है तो उस व्यक्ति को उसे उसी रूप में रखना होगा जैसा कि यहां उपबन्ध किया गया है। यह उचित नहीं है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि घोषित न किये जाने वाले अपने सोने को वह चाहे किसी भी रूप में रखे। यदि किसी व्यक्ति को विरासत अथवा उपहार में कुछ सोना मिले तो उसे मनचाहे ढंग से प्रयोग करने की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिये। इस विधेयक का आशय सोने की तस्करी को रोकने का ही होना चाहिये, न कि लोगों को तंग करने का। यदि सरकार का इरादा लोगों को तंग करने का नहीं है तो उसे यह रियायत अवश्य देनी चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : श्रीमन्, मेरा संशोधन भी वैसा ही है जैसा कि श्री नम्बियार का है। मैं श्री नम्बियार के विचारों का समर्थन करता हूं। किसी व्यक्ति को उपहार अथवा विरासत के रूप में सोने की कोई वस्तु प्राप्त हो, उदाहरणार्थ पाउडर बाक्स, तो उसे उस वस्तु को अपनी रुचि के अनुसार उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, वह चाहे उसे उसी रूप में रखे अथवा उसे अन्य कोई रूप दे दें। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दांडेकर अपना भाषण कल प्रारम्भ करें। अब सदन में आधे घंटे की चर्चा की जानी है।

---

*चीनी की 'ए' और 'बी' किस्मों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

*BAN ON MANUFACTURE OF 'A' AND 'B' VARIETIES OF SUGAR

श्री काशीनाथ पाण्डेय (हाटा) : मैंने यह जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। देश में बहुत से चीनी के कारखाने 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का निर्माण कर रहे थे। इन किस्मों की चीनी मोटे दाने की होती है। अब सरकार ने एक आदेश जारी करके इन किस्मों की चीनी के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। देश में जब चीनी की कमी हो तब तो इन किस्मों की चीनी के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना कहीं तक ठीक भी हो सकता है परन्तु अब जब कि देश में चीनी फालतू है तब यह बात निर्माणकर्ताओं पर छोड़ दी जानी चाहिये कि बाजार में जिन किस्मों की चीनी की मांग हो वे उसका उत्पादन करें। इस प्रकार जब चीनी कारखाने 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का निर्माण कर रहे थे, उनसे इस प्रकार के संयंत्र लगाने के लिये कहा गया जिससे कि दोनों प्रकार के क्षतों की चीनी तैयार की जा सके। इस प्रयोजन के लिए नये संयंत्र लगाने और पुराने संयंत्रों में परिवर्तन करने में कारखानों को भारी खर्चा करना पड़ा। सल्फीटेशन संयंत्र में उपयोग के लिए हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सल्फर नहीं थी अतः उसके स्थान पर रस को साफ करने के लिए दूसरा पदार्थ ढूंढना पड़ा जो कि चूना है। अब इस प्रतिबन्धात्मक आदेश के कारण कारखानों को कार्बोनेशन पद्धति के स्थान पर सलफीटेशन पद्धति अपनानी पड़ी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक ऐसे कारखाने में, जिसमें कार्बोनेशन संयंत्र द्वारा बड़े दाने की चीनी का निर्माण किया जाता था, 150 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त इससे चूने के पत्थर का उत्पादन करने वाली खानों में काम करने वाले कर्मचारी भी बेरोजगार हो जायेंगे।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an hour discussion.

[श्री काशीनाथ पाण्डेय]

यह तो ठीक है कि मोठे दाने की चीनी बनाने के लिये पुनः परिष्करण करना होता है और कुछ अधिक प्रक्रियायें अपनानी पड़ती है, परन्तु उत्पादन के परिणामों से यह स्पष्ट है कि सल्फीटेशन संयंत्र की अपेक्षा कार्बोनेशन संयंत्र में चीनी की रिकवरी सर्वदा अधिक होती है।

मंत्रालय ने इस आशा से यह आदेश जारी किया था कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी परन्तु परिणाम विपरीत ही हुआ है। क्योंकि छोटे दाने की चीनी के निर्माण में सेन्ट्रीफ्यूगल पद्धति में अधिक समय लगता है तथा इसके साथ ही चीनी को सुखाने में भी अधिक समय लगता है। मंत्रालय ने बिना इस बात पर विचार किये, कि चीनी बनाने का मौसम प्रारम्भ हो चुका है और यह कि छोटे दाने की चीनी बनाने में कारखाने उत्पादन का सामान्य स्तर कायम नहीं रख सकते, अपना प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन गिर रहा है। दूसरी बात सरकार ने यह बताई थी कि 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का निर्माण न करने पर खोई की बचत होगी। परन्तु यह भी गलत है। क्योंकि जब क्रशिंग ही कम होगा तो स्वभावतः ही खोई भी कम बचेगी। इस अवस्था में हम यदि यह चाहे कि बायलर चलते ही रहे तो इसके लिये खोंई के अलावा अतिरिक्त ईंधन की अवश्यकता होगी। इस प्रकार यह देखा जाता है कि सरकार ने जिन दो उद्देश्यों को लेकर यह आदेश जारी किया था वह दोनों ही पूरे नहीं होंगे।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जब देश में चीनी का अभाव है और कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है तो सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि इस आदेश को इस समय जारी रहने दिया जाये अथवा इसे रोक दिया जाये। इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि किस प्रकार इस आदेश के कारण होने वाली बेरोजगारी को रोका जा सकता है। सरकार को इस मामले को अपने सन्मान का मामला नहीं समझना चाहिये। छोटे दाने की चीनी के लिये भिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त कार्बोनेशन पद्धति के स्थानपर सल्फीटेशन पद्धति से कार्य करने के लिये 400 गुना अधिक सल्फर की आवश्यकता होगी जो कि देश में उपलब्ध नहीं है। नवीन उपकरणों तथा सल्फर का विदेशों से आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा का व्यय करना होगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता पुर्वक विचार करे तथा इस आदेश को अभी लागू न करे।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी): क्या यह सच है 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी के स्थान पर छोटे दाने की चीनी के निर्माण में कारखानों की उत्पादन क्षमता कम हो जायेगी तथा उत्पादन 15 प्रतिशत कम होगा और क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपूर का भी इस बारे में यही मत है? सरकार यह भी बताये कि क्या छोटे दाने की चीनी के निर्माण से श्रमिकों की छंटनी होगी, सल्फर का अधिक उपयोग होगा तथा रिकवरी भी कम होगी, जैसा कि कानपुर चीनी संस्था का भी मत है। क्रशिंग मौसम के प्रारम्भ में ही सरकार ने यह प्रतिबन्ध लागू कर दिया हैं, कारखानों को अपने संयंत्रों को बदलने के लिये भी कोई समय और नोटीस नहीं दिया है जिससे कि कारखानों को अनेकों कठिनाइयां हो रही हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : क्या सरकार चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से लाइसेंस देने की, विशेष रूप से तुंगभद्रा जैसे सिचार्ड क्षेत्रों में जहां कि 1958 से बहुत से प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हैं और वहां गन्ने की निर्धारित फसल भी हो रही है तथा 50 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी हुई है, अपनी नीति को बदलेगी अथवा उस पर पुनर्विचार करेगी? कमलापुर और गंगावती जैसे क्षेत्रों में जहां गन्ने की पर्याप्त फसल है, सरकार की लाइसैंस जारी करने की गति इतनी मन्द क्यों है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह लाइसैंसी वाली बातें आधे घंटे की चर्चा के अन्तर्गत नहीं आती। मेरे माननीय मित्र श्री काशीनाथ पाण्डेय ने दो बातें कही हैं। एक यह कि इस आदेश के परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्ति बेकार हो जायंगे और दूसरी यह है कि इससे उन किस्मों की चीनी का उत्पादन बन्द हो जायेगा जिसे प्राप्त करने के लिये हमने अनेकों वर्षों तक प्रयत्न किया था।

उन्होंने यह भी कहा है कि इसके कारण चीनी का उत्पादन भी कम हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि क्योंकि यह मामला संसद में उठाया गया था अतः मैंने प्रविधिक विशेषज्ञों से राय ली थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि उक्त तीनों ही आशंकायें निर्मूल हैं।

भारत में जो चीनी तैयार की जाती है उसमें दो बातें देखी जाती हैं--एक उसके दाने का आकार और दूसरे उसका रंग। इसके लिये भारत मानक संस्था द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन्स के आधार पर राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर प्रति वर्ष चीनी के दानों के आकार तथा रंग का स्तर निर्धारित करती है। इस समय चीनी की पांच किस्में निर्धारित की गई हैं--'ए', 'बी', 'सी', 'डी' तथा 'ई'। इनमें 'ए' सबसे मोटे दाने वाली चीनी है तथा 'ई' सबसे छोटे दाने वाली। प्रत्येक किस्म के तीन प्रकार के रंग हैं--28, 29 और 30। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 प्रकार की चीनी तैयार होती है। कारखाने का मूल्य निर्धारित करते समय 'डी'-29 किस्म की चीनी को स्टैण्डर्ड माना जाता है और उसके अनुसार ही अन्य किस्मों के अधिक मूल्य निर्धारित किये गये हैं। उदाहरणार्थ 'डी'-29 की अपेक्षा 'ए'-29 का मल्य 4.70 रुपये, 'ए'-30 का 5.70 रुपये, 'बी'-30 का 4 रुपये और 'बी'-29 का 3 रुपये अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नियंत्रण काल में कारखानों ने अधिकाधिक मात्रा में 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का उत्पादन किया है। आरम्भ में 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का उत्पादन 12 प्रतिशत था और आज यह बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय लाभ को देखते हुए न केवल 'ए' तथा 'बी' किस्म की चीनी का उत्पादन किया जाता है अपितु विभिन्न आकारों के दानों को भी बढ़िया किस्म की चीनी में मिला दिया जाता है।

उक्त बातों के अतिरिक्त, बड़े बड़े प्रविधिक विशेषज्ञों की राय भी यह है कि उत्पादन और उपभोग दोनों ही दृष्टियों से बड़े दाने की चीनी का उत्पादन फिजूल है। मोटे दाने की चीनी बनाने के लिये छोटे दाने की चीनी को पिघलाने आदि में चीनी व्यर्थ जाती है। उपभोग के समय वह शीघ्र नहीं घुलती है और पेय पदार्थ में नीचे बैठी रहती है तथा व्यर्थ जाती है। विशेषज्ञों की राय यह है कि यदि बड़े दाने के स्थान पर छोटे दाने वाली चीनी तैयार की जायेगी तो इससे बायलर हाउस की क्षमता 10 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। बड़े दाने की चीनी बनाने के लिये अधिक भाप की आवश्यकता होती है। मध्यम आकार के दाने की चीनी के उत्पादन में कम ईंधन की खपत होगी, बची हुई खोई से कागज तैयार किया जा सकता है तथा इससे चीनी का उत्पादन भी अधिक होता है।

जहां तक सल्फीटेशन और कार्बोनेशन प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है, कार्बोनेशन प्रक्रिया से भी लाभपूर्वक अधिक मात्रा में छोटे दाने वाली चीनी का उत्पादन किया जा सकता है तथा सल्फीटशन प्रक्रिया से भी थोड़ी सी कठिनाई के साथ 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का निर्माण किया जा सकता है।

देश में चीनी के कारखानों में से केवल 36 कारखाने हीं--6 पंजाब के, 20 उत्तर प्रदेश के, 9 बिहार के और 1 मध्य प्रदेश का--'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी तैयार करते हैं। बड़े दाने की चीनी के उत्पादन के लिये कम सेन्ट्रीफ्यूगल क्षमता की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर यह तर्क अपनाया गया है कि यदि ये कारखाने बारीक चीनी का उत्पादन करने लगेंगे तो पर्याप्त सेन्ट्रीफ्यूगल क्षमता इन्हें उपलब्ध नहीं हो सकेगी और परिणामस्वरूप उत्पादन कम होगा। इस मामले की भी जांच की गई है। 26 कारखानों में से लगभग 22 या 23 के पास बारीक चीनी बनाने के लिये पर्याप्त सेन्ट्रीफ्यूगल क्षमता है अतः चीनी का उत्पादन कम नहीं होगा। केवल कुछ एक कारखानों पर ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अधिकांश विकसित देशों में 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का उत्पादन नहीं होता है। वहां पर आम तौर पर 'डी' तथा 'ई' किस्मों की चीनी तैयार होती है तथा बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी 'सी' किस्म जैसी चीनी का निर्माण किया जाता है। वहां पर चीनी की सफेदी पर अधिक जोर दिया जाता है जो कि शुद्धता का परिचायक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 'ए' तथा 'बी' किस्म की चीनी के उत्पादन पर

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

प्रतिबन्ध लगाने के विरोध में किसी भी उपभोक्ता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । उपभोक्ता तो सस्ती चीनी उपलब्ध होने के कारण संतुष्ट ही दिखाई देते हैं । केवल चीनी उद्योग ही इस बारे में अभ्यावेदन कर रहा है जिसका कि मुनाफा कम हो गया है ।

जहां तक छंटनी का प्रश्न है मुझे प्रविधिक विशेषज्ञों ने यह आश्वासन दिया है कि इससे कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा सकती । केवल लोगों को डराने के लिये ही कारखाने वालों ने यह नोटिस जारी किये हैं कि वे छंटनी करेंगे । यह छंटनी की ही नहीं जा सकती, और विशेषत: उत्तर प्रदेश में तो राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों की छंटनी सम्भव ही नहीं है। अत: श्रमिकों के हित में रुचि रखने वाले सदस्यों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है. . . (**अंतर्बाधायें**)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : They ignore notices. They are not making so many employees permanent.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि कोई बात रह जाती है तो उन्हें उसे करने के लिये फिर कहा जा सकता है । कर्मचारियों की छंटनी का सवाल ही नहीं है और यदि किसी ने नोटिस जारी भी किये हैं तो वह 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी के निर्माण को जारी रखने पर जोर देने के लिये ही किये गये हैं । सभी पहलुओं पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्या मुख्यत: मुनाफ़े में कमी होने की है, तकनीकी नहीं ।

इस मौसम में दो या तीन कारखानों की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । इसलिये प्रविधिक विशेषज्ञों से परामर्श करके सरकार ने यह निर्णय किया है कि 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी बनाने पर से तो प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा परन्तु कारखाने वालों को उन किस्मों की चीनी का अधिक मूल्य रखने की रियायत नहीं दी जायेगी । जो कारखाने चाहे वह 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का उत्पादन कर सकता है परन्तु उस चीनी को वह 'सी' किस्म की चीनी के मूल्य पर ही बेचेगा । (**अंतर्बाधायें**) । मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि न तो उत्पादन में ही कमी होगी और न कर्मचारियों की छंटनी है, अपितु उत्पादन 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है । उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है, केवल 'ए' तथा 'बी' किस्मों की चीनी का मूल्य 'ग' किस्म की चीनी का ही रहेगा । (**अंतर्बाधायें**)

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 दिसम्बर, 1964/2 पौष, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 23, 1964/Pausa 2, 1886 (Saka).

GIPN—S 6—15 Lok Sabha/65—26-7-65—600